रजिस्ट्री सं. डी एल—33001/2001 REGISTERED No. DL—33001/2001

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 21] नई दिल्ली, शनिवार, मई 26, 2001 (ज्येष्ठ 5, 1923)
No. 21] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 26, 2001 (JYAISTHA 5, 1923)

LIBRARIAT LIBRARY GOVERNMENT OF INDIA

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	371
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	409
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और अतिविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	3
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	891
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खण्ड 1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	2119
भाग III—खण्ड 2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से संबन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस	579
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अन्य द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	—
भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	3313
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	107
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए ।

CONTENTS

PAGE

PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court 371

PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court 409

PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence . . 3

PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence 591

PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations . . . . . *

PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi languages of Acts, Ordinances and Regulations . . . . . *

PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills . . . . . *

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) *

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) *

PAGE

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories) . *

PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence . *

PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India . . 2119

PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs 579

PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners . . . . . —

PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies 3313

PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies . . 107

PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi . *

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1
[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 जनवरी 2001

सं० 56-प्रेज/2001—राष्ट्रपति निम्नलिखित कार्मिकों को उनके उत्कृष्ट वीरतापूर्ण कार्यों के लिए 'कीर्ति चक्र' प्रदान करने का सहर्ष अनुमोदन करते हैं :—

1. लेफ्टिनेंट माएकर नरेन्द्र आत्माराम (एन सी-00135), ई एम ई 11 सिख
(मरणोपरांत)

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 26 फरवरी, 2000)

लेफ्टिनेंट माएकर नरेन्द्र आत्माराम ने पक्की सूचना मिलने पर असम के नौगांव जिले के बगारीगुड़ी नामक गांव में एक मोहल्ले में तलाशी कार्रवाई आरम्भ की जहां उल्फा के दुर्दांत आतंकवादी छुपे हुए थे। 26 फरवरी, 2000 को लगभग 2230 बजे जब वे उस मकान की ओर बढ़ रहे थे तभी वहां से अचानक उन पर गोलियां चलाई गईं जोकि उनके पेट में लगी। अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए वे अपने दल के साथ उस मकान पर टूट पड़े। अत्यधिक खून बह जाने के बावजूद वे आतंकवादियों के साथ भिड़ गए और अत्यन्त नजदीक से उनमें से दो को मार गिराया। उन्होंने आतंकवादियों से लोहा लेने के लिए अपने दल को प्रेरित किया। उनकी वीरतापूर्ण और सतत् कार्रवाई से उनके जवानों को काफी प्रेरित किया जिससे उल्फा के तीन दुर्दांत आतंकवादियों का सफाया कर दिया गया और शस्त्र, गोलाबारूद और आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए। सभी आतंकवादियों का सफाया हो जाने तक इस अफसर ने वहां से हटाए जाने से इंकार कर दिया। बाद में अपने जख्मों के कारण वे वीरगति को प्राप्त हुए।

लेफ्टिनेंट माएकर नरेन्द्र आत्माराम ने अटल साहस, उत्कृष्ट बहादुरी और अदम्य भावना का प्रदर्शन किया और भारतीय सेना की सर्वोच्च परम्पराओं के अनुरूप सर्वोच्च बलिदान दिया।

2. मेजर प्रदीप आर० ताथावाड़े (आई सी-41913)
8 जम्मू-कश्मीर लाइट इन्फैंट्री
(मरणोपरांत)

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 17 जून 2000)

17 जून, 2000 को जम्मू-कश्मीर में पुंछ जिले के शाहपुर में एक कार्रवाई में उपकमांडर मेजर प्रदीप ताथावाड़े 6 दुर्दांत विदेशी भाड़े के आतंकवादियों की खोज का नेतृत्व करने को स्वेच्छा से आगे आए। इस अफसर ने घनी वनस्पति से भरे जंगल के भीतरी भाग में उन आतंकवादियों को ढूंढ निकालने में चुस्त नेतृत्व का प्रदर्शन किया। उन्होंने बड़ी दक्षता के साथ जवानों को तैनात करते हुए वहां घेरा डाल दिया। इसके बाद दोनों ओर से भीषण गोलीबारी के बीच इस अफसर ने तीन आतंकवादियों को भागने का प्रयास करते हुए देख लिया। अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए भारी गोलाबारी से पूर्णतः अविचलित यह अफसर रेंगता हुआ एक ओर से उन आतंकवादियों की ओर बढ़ा। उनके नजदीक पहुंच कर उसने आड़ छोड़ दी और दो आतंकवादियों को भून डाला। तीसरे आतंकवादी को पकड़ने के लिए जब वह आगे बढ़े तो दोनों गुत्थम-गुत्था हो गए और उसके बाद दोनों ने एक दूसरे पर गोली चला दी। इस अफसर के साथी द्वारा उस आतंकवादी को भून डालने से पहले यह अफसर घातक रूप से जख्मी हो गया। उपचार हेतु ले जाए जाते समय अपने जख्मों के कारण रास्ते में ही यह अफसर वीरगति को प्राप्त हो गया।

मेजर प्रदीप आर० ताथावाड़े ने आतंकवादियों द्वारा की जा रही गोलाबारी के सम्मुख उत्कृष्ट वीरता, अतुलनीय साहस और कर्तव्यपरायणता का प्रदर्शन किया और अपना सर्वोच्च बलिदान दिया।

3. कैप्टन आर० सुब्रामनियन (आई सी-56963),
1 पैरा (विशेष बल)
(मरणोपरांत)

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 18 जून, 2000)

17 जून, 2000 को जब कैप्टन आर० सुब्रामनियन अपनी आकस्मिक छुट्टी से वापस आए तो उससे पहले ही उनके दल को जम्मू-कश्मीर में हफरूदा के जंगल में तैनात कर दिया गया

था । वह कार्रवाई स्थल पर पहुंच गए जहां उनके दल का 18 जून, 2000 को 1430 बजे घुसपैठ कर रहे विदेशी आतंकवादियों के एक दल से सामना हो गया था । इसके बाद हुई मुठभेड़ में छह विदेशी आतंकवादी मारे गये और उनसे एक आर पी जी लांचर तथा दो ए के 27 राइफलें बरामद हुई ।

अगले दिन अर्थात 19 जून, 2000 को 0700 बजे जब इस क्षेत्र में खोजी कार्यवाई पुनः आरंभ की गई तो कैप्टन आर० सुब्रामनियन ने आगे-आगे रह कर दल का नेतृत्व करने की इच्छा व्यक्त की । 0800 बजे आगे चल रहे स्काउटों पर गोलीबारी होने लगी और वे बहुत नजदीक से आतंकवादियों से घिर गए । कैप्टन आर० सुब्रामनियन अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए एक ओर से आतंकवादियों की ओर बढ़े और उनमें से दो को मार गिराया । किंतु छिपे हुए तीसरे आतंकवादी ने उन पर ए के 47 राइफल से गोलियों की बौछार करके उन्हें गंभीर रूप से जख्मी कर दिया । कैप्टन आर० सुब्रामनियन ने अपने जख्मों की तनिक भी परवाह न करते हुए उस आतंकवादी पर हमला कर उसे भून डाला और उसके बाद अपने जख्मों के कारण वे भी वीरगति को प्राप्त हुए ।

इस प्रकार कैप्टन आर० सुब्रामनियन ने आतंकवादियों के सम्मुख अनुकरणीय साहस, बहादुरी और उत्कृष्ट युद्धक नेतृत्व का प्रदर्शन किया और अपना सर्वोच्च बलिदान दिया ।

4. लैफ्टिनैन्ट रविन्द्र छिकारा (आई सी-58158), 6 ग्रेनेडियर्स

(मरणोपरांत)

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 19 जुलाई, 2000)

19 जुलाई, 2000 को लैफ्टिनेंट छिकारा ने जम्मू कश्मीर में राजौरी जिले में नैली नामक गांव में एक कार्रवाई के दौरान घातक प्लाटून का नेतृत्व किया । पक्की सूचना मिलने पर लेफ्टिनेंट रविन्द्र छिकारा ने 1030 बजे कार्रवाई आरंभ की । उनका दल आतंकवादियों द्वारा एक पूर्णतः सुरक्षित ठिकाने से की जा रही भारी गोलीबारी में घिर गया । अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए वह गोलियों की बौछार के बीच एक ओर से आतंकवादियों की ओर बढ़े और आतंकवादियों के सुदृढ़ ठिकाने पर हमला बोल दिया और दोनों ओर से भीषण गोलाबारी में एक आतंकवादी को मार गिराया । अन्य आतंकवादियों ने गोलाबारी करते हुए बड़े शिलाखंडों के पीछे सुरक्षित पोजीशन ले ली । इस अफसर ने उन आतंकवादियों का पीछा किया और एक अन्य आतंकवादी को ढेर कर दिया किन्तु उनके सीने पर कई गोलियां लग गईं । बहुत अधिक खून बहते जाने के बावजूद वे एक अन्य आतंकवादी पर झपट पड़े और वीरगति को प्राप्त होने से पहले गुत्थमगुत्था भिड़ंत में उसे भी मार गिराया । उनके अनुकरणीय नेतृत्व से प्रेरित होकर, अब तक आतंकवादियों की गोलीबारी के बीच घिरे उनके सैन्य दल ने हमला बोलकर तीन और आतंकवादियों को मार गिराया और इस प्रकार कुल छह आतंकवादियों का सफाया कर दिया गया और बड़ी मात्रा में शस्त्र और गोलीबारूद बरामद किए गए ।

लैफ्टिनेंट रविन्द्र छिकारा ने अपनी जान की तनिक भी परवाह न करते हुए उत्कृष्ट वीरता और दायित्व से बढ़कर समर्पण भावना का प्रदर्शन किया और अपना सर्वोच्च बलिदान दिया ।

5. विंग कमांडर राजीव कोठियाल (15696) उड़ान (पायलट)

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 4 जनवरी 2001)

विंग कमांडर राजीव कोठियाल को 15 जून, 1979 को भारतीय वायुसेना में लड़ाकू पायलट के रूप में कमीशन प्रदान किया गया था । विभिन्न लड़ाकू स्क्वाड्रनों में सफलतापूर्वक अपना सेवाकाल पूरा कराने के बाद उन्होंने अग्रिम पंक्ति की वायु श्रेष्ठता वाली मिग-29 स्क्वाड्रन में फ्लाइट कमांडर के रूप में कार्य किया । इस कार्यकाल के पूरा होने पर अमरीकी वायुसेना टेस्ट पायलट स्कूल में एक्सपरीमेंटल टेस्ट पायलट कोर्स के लिए उनका चयन किया गया । उन्होंने मई, 1990 में इस प्रतिष्ठित संस्था से सफलतापूर्वक स्नातक की डिग्री प्राप्त की । फरवरी, 1995 में विंग कमांडर कोठियाल का हल्का लड़ाकू विमान परियोजना के लिए टेस्ट पायलट के रूप में चुनौतीपूर्ण कार्य के लिए चयन किया गया । तब से वे हल्का लड़ाकू विमान के डिजायन और विकास के प्रत्येक क्षेत्र में सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं और हल्का लड़ाकू विमान परियोजना के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण पायलट सेवा प्रदान कर रहे हैं । डिजीटल फ्लाई बाइ वायर उड़ान नियंत्रण प्रणाली, कॉकपिट वास्तुशिल्प और पायलट की जांच सूचियों तथा आपातकालीन प्रक्रियाओं के लिए नियंत्रण व्यवस्था का सफलतापूर्वक विकास किए जाने का श्रेय विंग कमांडर कोठियाल के व्यावसायिक अध्यवसाय और उनकी प्रतिभा के इस्तेमाल को जाता है । विकास कार्यकलापों में सफलतापूर्वक हिस्सा लेने के बाद विंग कमांडर कोठियाल को हल्का लड़ाकू विमान के प्रथम आदिरूप की पहली उड़ान का कार्य 4-1-2001 को सौंपा गया । यह पहला अवसर था जब पूर्णतः भारत में विकसित किसी विमान को फ्लाई बाइ वायर उड़ान नियंत्रक प्रणाली से उड़ान भरनी थी । इस जटिल प्रणाली में फ्लाई बाइ वायर उड़ान नियंत्रण प्रणालियां लगी हुई हैं जिनके द्वारा किसी असंतुलित विमान को बेहद फुर्ती से उड़ाया जा सकता है । विंग कमांडर कोठियाल ने बड़ी सावधानी से उड़ान की योजना बनाई और हर आकस्मिकता से निपटने की व्यवस्था सुनिश्चित की । विंग कमांडर कोठियाल ने अत्यंत अनुकरणीय ढंग से प्रथम परीक्षण उड़ान भरी ।

प्रथम उड़ान कार्य में विंग कमांडर कोठियाल ने असाधारण व्यावसायिकता, साहस तथा बहादुरी का प्रदर्शन किया जो कि भारतीय वायुसेना की सर्वोच्च परम्पराओं के अनुरूप थी ।

बरुण मित्रा,
राष्ट्रपति का उप सचिव

सं० 57-पेंज 2001—राष्ट्रपति निम्नलिखित कार्मिकों को उनके वीरतापूर्ण कार्यों के लिए 'शौर्य चक्र" प्रदान करने का सहर्ष अनुमोदन करते हैं :—

1. श्री धर्मपाल, जम्मू-कश्मीर

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 12 सितम्बर, 1999)

12 सितम्बर, 1999 को लगभग 2100 बजे जब श्रीमती बिमला देवी तथा उनके पुत्र श्री धर्मपाल घर में अकेले थे तो दो हथियारबंद आतंकवादी उनके घर पहुंचे। आतंकवादियों ने श्रीमती बिमला देवी को धमकी दी तथा भोजन और पानी मांगा। श्रीमती बिमला देवी शांत रही तथा आतंकवादियों को अंदर आने के लिए कहा। श्री धर्मपाल ने आतंकवादियों को बातचीत में उलझा लिया तथा उनकी माता पानी लाने के बहाने घर से बाहर निकल गई तथा पड़ोसियों को खबर कर दी। इसी बीच, एक आतंकवादी को संदेह हो गया तथा जब उसने बाहर निकल कर गांव वालों के आने की आवाज सुनी तो वह भागने की कोशिश करने लगा। श्री धर्मपाल ने तुरंत उसका पीछा किया। इस आतंकवादी ने श्री धर्मपाल पर गोली चलाने की कोशिश की परंतु ऐसा करने से पहले ही श्री धर्मपाल उस पर कूद पड़े तथा उग्रवादी से हथियार छीन कर उस पर काबू कर लिया। दूसरे उग्रवादी को उनकी माता तथा ग्रामीणों ने पकड़ लिया। पकड़े गए उग्रवादियों में से एक उग्रवादी भूतपूर्व पाकिस्तानी सैनिक था। इन उग्रवादियों के पकड़े जाने से काफी मात्रा में हथियार तथा गोलाबारूद भी बरामद किए गए।

इस प्रकार श्री धर्मपाल ने अपने जीवन के प्रति गंभीर खतरे की परवाह किए बिना एक हथियारबंद उग्रवादी को काबू करने और पकड़ने में अनुकरणीय साहस तथा सूझबूझ का प्रदर्शन किया।

2. श्री सुरजीत सिंह, जम्मू-कश्मीर

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 19 जुलाई, 1999)

19 जुलाई, 1999 को लगभग 2130 बजे उग्रवादियों के एक दल ने गांव लेहोटा, तहसील-थावरी, जिला-डोडा, जम्मू-कश्मीर के ग्रामीणों पर आक्रमण कर दिया तथा-अत्याधुनिक हथियारों से अंधा-धुंध गोलीबारी की। वहां पर नौ सदस्यों से बनी एक ग्राम रक्षा समिति थी तथा इस घटना के समय ग्राम रक्षा समिति के दो सदस्य बंकरों में अपनी ड्यूटी पर तैनात थे। उन्होंने गोलीबारी का जवाब दिया परन्तु इस कार्रवाई में उनको गोलियों के घाव लगे तथा इसके बाद वे मौके पर ही मारे गए। ग्राम रक्षा समिति के अन्य सदस्यों ने भी मोर्चा संभाला तथा जवाबी गोलाबारी की, परन्तु उस समय तक उग्रवादी गांव के नजदीक पहुंच गए थे तथा उन्होंने खिड़कियों और चिमनियों में से ग्रेनेड फेंकना शुरू कर दिया था। इन ग्रेनेडों के फटने तथा भारी गोलीबारी से ग्राम रक्षा समिति के पांच सदस्य तथा दस सिविलियन मारे गए। जब एक उग्रवादी ने चिमनी में से श्री लेखराज के घर में एक ग्रेनेड फेंकने की कोशिश की तो उनके पुत्र श्री सुरजीत ने उस उग्रवादी पर गोलीबारी की तथा उसे मौके पर ही ढेर कर दिया। इसी गांव के श्री अमरीक सिंह नामक अन्य लड़के ने उग्रवादियों के साथ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उग्रवादियों द्वारा उनके पिता श्री कृष्णलाल के मारे जाने पर उन्होंने अपने पिता जी का हथियार उठाया तथा उग्रवादियों पर गोली चलानी शुरू कर दी। इस लड़के ने सारी रात उग्रवादियों पर गोलीबारी जारी रखी तथा उनको गांव के नजदीक नहीं आने दिया। श्री सुरजीत सिंह ने उग्रवादियों का कड़ा सामना किया तथा उनके विरुद्ध बहादुरी से लड़े।

श्री सुरजीत सिंह ने पूरी तरह से हथियार बंद उग्रवादियों के विरुद्ध लड़ाई में सूझबूझ, अनुकरणीय साहस तथा उत्कृष्ट बहादुरी का प्रदर्शन करते हुए उग्रवादियों से कई ग्रामीणों का जीवन बचाया।

3. अमरीक सिंह, जम्मू-कश्मीर

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 19 जुलाई, 1999)

19 जुलाई, 1999 को लगभग 2130 बजे उग्रवादियों के एक दल ने ग्राम लेहोटा, तहसील-थावरी, जिला-डोडा, जम्मू-कश्मीर के ग्रामवासियों पर अत्याधुनिक हथियारों से अंधाधुंध गोलीबारी करते हुए आक्रमण कर दिया। इस गांव में नौ सदस्यों से बनी एक ग्राम रक्षा समिति थी जिसके दो सदस्य बंकरों में ड्यूटी पर तैनात थे। उन्होंने इस गोलीबारी का जवाब दिया परंतु इस गोलीबारी में उन्हें गोलियों के घाव लगे तथा इसके बाद वे मौके पर ही मारे गए। ग्राम रक्षा समिति के अन्य सदस्यों ने भी मोर्चा संभाला तथा गोलीबारी का जवाब दिया। परन्तु तब तक उग्रवादी गांव के नजदीक पहुंच गये थे तथा उन्होंने खिड़कियों तथा चिमनियों में से घरों में ग्रेनेड फेंकना शुरू कर दिया था। इन ग्रेनेडों के फटने तथा भारी गोलीबारी से ग्राम रक्षा समिति के पाँच सदस्य तथा दस सिविलियन मारे गये थे।

इस घटना में अपने पिता श्री कृष्ण लाल के मारे जाने के बाद इसी गांव के श्री अमरीक सिंह ने भी एक अहम भूमिका निभाई। उन्होंने अपने पिता जी के हथियार उठाये तथा उग्रवादियों पर गोलियों की वर्षा शुरू कर दी। इस गोलीबारी से उग्रवादी भौंचक्के रह गये। इस लड़के ने रात भर उग्रवादियों का कड़ा मुकाबला किया तथा उन्हें गांव के नजदीक नहीं आने दिया।

श्री अमरीक सिंह ने पूर्णरूप से हथियारबन्द उग्रवादियों से लड़ाई में अनुकरणीय साहस, सूझ-बूझ और बहादुरी का परिचय देते हुए उग्रवादियों से ग्रामीणों के प्राणों की रक्षा की।

4. मेजर देवेन्द्र सिंह मनकोटी, से० मे०, (आई०सी०-45651)
15 सिख लाइट इन्फैन्ट्री

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 19 फरवरी 2000)

19 फरवरी, 2000 को एक सूत्र ने मेजर डी० एस० मनकोटी को सूचना दी कि लखीमपुर (असम), सिमलगुड़ी बाजार में धन उगाहने के लिये एन० डी० एफ० बी० के कुछ आतंकवादियों के आने की संभावना है। उन्होंने तुरन्त गुपचुप

कार्रवाई की योजना बनाई और बाजार में तय समय पर एक चाय की दुकान पर मिलना तय किया। एक अन्य अफसर और एक अन्य रैंक के जवान के साथ वे सादे वस्त्रों मे सिविल वाहन से बाजार की ओर गये और संदेह होने से बचने के लिए अकेले ही दुकान तक गये। दुकान के भीतर मौजूद मुखबिर ने दुकान के बाहर खड़े आतंकवादी को पहचान लिया और जब मेजर मनकोटी अपने दल को लाने के लिये पीछे मुड़े तो उस आतंकवादी को शक हो गया और उसने अफसर के सीने पर पिस्तौल तानकर उनका रास्ता रोकते हुए उनसे उनकी पहचान पूछी। इसके बाद हुई गुत्थम गुथा में उस आतंकवादी ने 6 गोलियां चलाई जोकि उस अफसर को नहीं लगीं। मनकोटी ने उस आतंकवादी को दबोच लिया और फुर्ती से अपनी पिस्तौल निकालकर उसे वहीं ढेर कर दिया। इसी बीच दूसरे आतंकवादी ने मेजर डी एस मनकोटी पर गोली चला दी मेजर मनकोटी ने तुरन्त पलटकर वार किया और गोली आतंकवादी की ठोडी में जा लगी। इसके बाद की झड़प ने एक और गोली आंतकवादी के कंधे पर लगी। इसी बीच इस अफसर को अपने पिस्तौल की खाली मैगजीन बदलनी पड़ी तभी इसका फायदा उठाकर वह आतंकवादी साथ की एक झाड़ी में गायब हो गया किन्तु बाद में पता चला कि जख्मों के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी।

मेजर डी०एस० मनकोटी ने आतंकवादियों के सम्मुख वीरता, साहस और अनवरत आक्रामक कार्रवाई का प्रदर्शन किया।

5. लैफ्टिनेंट ललीत कुमार शर्मा, (एस०एस० 37816), सेना आयुध कोर, 18 सिख

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख 21 मार्च, 2000)

21 मार्च, 2000 को पक्की सूचना मिलने पर, लैफ्टिनेंट ललीत कुमार शर्मा अपने दल के साथ तुरंत बानमोजा, (असम) नामक गांव में तलाशी कार्रवाई के लिए चल पड़े। जैसे ही इस अफसर के नेतृत्व में यह तलाशी दल उस आवासीय परिसर की तरफ बढ़ा तभी आतंकवादियों ने अत्यन्त निकट से स्वचालित हथियारो से गोलीबारी आरंभ कर दी। दोनों तरफ से हुई गोलीबारी मे इस अफसर ने एक खतरनाक आतंकवादी को ढेर कर दिया। एक ए०के० 36 राइफल बरामद की गई। आतंकवादियों की गोली-बारी में इस अफसर के दायें घुटने में भी गोली के जख्म लग गए। अपने जख्मों की परवाह न करते हुए और अपने जीवन को भीषण-तम खतरे में डालते हुए उन्होंने बाकी बचे आतंकवादियों का पीछा किया और अत्यन्त नजदीकी से हुई प्रचड गोलाबारी के बाद उन्होने दुर्दांत आतंकवादी को ढेर कर दिया। लै० शर्मा ने पानी से भरे खेतों और घनी झाड़ियों के बीच शेष बचे आतंकवादियों का पीछा किया और उनके रेडियो आपरेटर के उनके पास आ पहुंचने पर उन दोनों ने मिलकर गोलीबारी करते हुए उस तीसरे आतंकवादी को जख्मी कर दिया जो बाद में अपनी ए०के० 57 राइफल के साथ मृत पाया गया। यद्यपि उनको अत्यधिक रक्तस्राव हो रहा था किंतु उन्होंने सुरक्षित स्थान पर ले जाये जाने से इंकार कर दिया और तब तक कार्रवाई का निर्देशन और अपने जवानों को प्रेरित करते रहे जब तक कि उन्हें जबरदस्ती वहां से निकालकर सुरक्षित स्थान पर नहीं पहुंचा दिया गया।

लैफ्टिनेंट ललीत कुमार शर्मा ने शस्त्रों से लैस आतंकवादियों के सम्मुख उच्च कोटि के अदम्य साहस, दृढ़ संकल्प शक्ति का प्रदर्शन किया।

6. मेजर जोस मावेलिल जोर्ज (आई०सी०-43714), आर्टिलरी 8 असम राइफल्स

(पुरस्कार का प्रभावी तारीख : 23 मार्च, 2000)

23 मार्च, 2000 को मणिपुर मे लैमापोकपम नाम गाव में कुछ भूमिगत विद्रोहियों के होने की मिली पक्की सूचना के आधार पर मेजर जोस मावेलिल जोर्ज ने एक गश्ती दल को गांव की तलाशी लेने और भूमिगत विद्रोहियों को पकड़ने के लिए भेजा। एक विद्रोही से मिली सूचना के आधार पर मेजर जोर्ज के जवान पूरी सतर्कता बरतते हुए छिपते-छिपाते आगे बढ़े। जब वे एक झोंपड़ी की ओर बढ़ रहे थे तभी उन पर झोंपड़ी में से भारी गोलीबारी होने लगी। बिना समय नष्ट किये मेजर जोर्ज और अन्य जवान झोंपड़ी की ओर झपटे और भूमिगत विद्रोहियों पर गोलीबारी शुरू कर दी। जवान ने उन दो विद्रोहियों को मार गिराया जो खिड़की में से गोली-बारी कर रहे थे। इसी बीच तीन भूमिगत विद्रोही झोंपड़ी के पीछे से दौड़ते हुए झील की ओर बढ़े जहां उनके भागने के लिए एक लकड़ी की नाव तैयार थी। मेजर जोर्ज ने जैसे ही उन्हें देखा तो वे उन भागते हुए विद्रोहियों की ओर दौड़े तभी एक विद्रोही पीछे मुड़ा और अफसर पर गोलिया चलाने लगा। मेजर जोर्ज अपनी जान की परवाह न करते हुए और तुरंत जवाबी कार्रवाई करते हुए उस विद्रोही पर टूट पड़े और तुरंत गोली से उसे तथा अन्य भागते हुए विद्रोही को मार गिराया। उनके दल ने एक अन्य भागते आतंक-वादी को भून डाला।

मेजर जोस मावेलिल जोर्ज ने आतंकवादियों के सम्मुख असा-धारण साहस, पराक्रम और अत्यन्त उच्च कोटि के नेतृत्व का प्रदर्शन किया।

7. 2687926 ग्रेनेडियर मोहम्मद इकराम, 6 ग्रेनेडियर्स (मरणोपरांत)

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 07 अप्रैल, 2000)

07 अप्रैल, 2000 को ग्रेनेडियर्स मोहम्मद इकराम ने जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले ने नैली गांव में एक कार्रवाई में तलाशी दल के सदस्य के रूप मे भाग लिया था। सुबह 0600 बजे इस तलाशी दल ने तलाशी अभियान शुरू किया। जब यह तलाशी दल घने झाड़-झंखाड़ में आतंकवादियों के छुपने के ठिकाने की ओर बढ़ रहा था तब उन पर छोटे हथियारों से भारी सटीक गोलीबारी शुरु हो गई। यहां पर ग्रेनेडियर इकराम ने दो आतंकवादियों को पहाड़ी के ऊपर की ओर भागते देखा। व्यक्तिगत सुरक्षा की कतई परवाह किए बिना वे एक अन्य सैनिक के साथ उठ खड़े हुए तथा भागते हुए आतंकवादियों का पीछा किया और एक को मार गिराया तथा एक अन्य को घायल कर दिया। तथापि घायल आतंकवादी आड़ लेते

में कामकाब हो गया तथा जब ग्रेनेडियर इकराम उस आतंकवादी के निकट पहुंचा तो उसने ग्रेनेडियर इकराम को गोलियों की बौछार से गंभीर रूप से घायल कर दिया। इसके बाद आतंकवादी भी मारा गया और हथियार तथा गोलाबारूद जब्त किए गए। ग्रेनेडियर इकराम भी अपने घावों के कारण वीरगति को प्राप्त हुए।

ग्रेनेडियर मोहम्मद इकराम ने उग्रवादियों का मुकाबला करते हुए अनुकरणीय साहस और उच्च कोटि की वीरता का प्रदर्शन किया और अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया।

8. 2670986 कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार सुशील कुमार, 14 ग्रेनेडियर्स

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 28 अप्रैल, 2000)

28 अप्रैल, 2000 को कम्पनी क्वार्टर मास्टर हवलदार सुशील कुमार जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल की अत्यन्त ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों में मलनार क्षेत्र में तलाशी और सफाया कार्रवाई के दौरान सेक्शन कमांडर थे। तलाशी के दौरान 1430 बजे हवलदार सुशील कुमार ने एक छोटे नाले में घनी झाड़ियों के बीच कुछ संदिग्ध हरकतें देखीं उन्होंने तुरन्त अपने सेक्शन की तैनाती की और उस क्षेत्र के मुआयने के लिए चल पड़े। छुपे हुए आतंकवादी घबरा गए और अंधाधंध गोलियां चलाने लगे। हवलदार सुशील कुमार ने आतंकवादियों के भागने का मार्ग बंद कर दिया और भारी गोलीबारी के बीच आगे बढ़े। उन्होंने अत्यन्त निकट से एक आतंकवादी को ललकारा और उसे मार गिराया। हवलदार सुशील कुमार अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहे। इस प्रक्रिया में उनके जांघ की जड़ में एक गोली लग गई। गंभीर जख्म के बावजूद वे रेंगकर आगे बढ़े और एक अन्य आतंकवादी को ढेर कर दिया। उनके शरीर से अत्यधिक रक्त बह रहा था किन्तु उन्होंने सुरक्षित स्थान पर ले जाए जाने से इंकार कर दिया और किसी भी आतंकवादी को भागने से रोकने के लिए सभी कार्रवाइयां कीं। उनके उदाहरण से प्रेरित होकर उनके अन्य साथियों ने बाद में शेष दो आतंकवादियों का भी सफाया कर दिया।

कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार सुशील कुमार ने आतंकवादियों का मुकाबला करते हुए अपनी सुरक्षा की लेशमात्र भी परवाह किए बिना अनुकरणीय वीरता और असाधारण साहस का प्रदर्शन किया।

9. 14407226 गनर अलपा यादगिरि रेड्डी, वायु रक्षा तोपखाना।
15 राष्ट्रीय राइफल्स (मरणोपरांत)

(पुरस्कार की प्रभावी तरीख : 07 अप्रैल, 2000)

गनर अलपा यादगिरि रेड्डी अपने हौसले तथा प्रेरणा के कारण कमान अधिकारी त्वरित प्रतिक्रिया दल में शामिल थे। जम्मू कश्मीर के पतुशाई गांव में विदेशी आतंकवादी होने की सूचना मिली थी। 3 मई 2000 को जब आंतरिक घेराबंदी दस्ता अपना घेरा कस रहा था तो आतंकवादियों ने घर से अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दीं। गनर रेड्डी आंतरिक घेराबंदी दस्ते में एक अधिकारी के साथ तैनात थे। भीषण गोलीबारी भिड़ंत शुरू हो गई। घेराबंदी दस्ते की गोलीबारी की आड़ में यह अधिकारी आतंकवादियों पर टूट पड़ा। उस अधिकारी ने दो आतंकवादियों को घायल कर दिया परन्तु स्वयं भी घायल हो गए। गनर रेड्डी ने तुरन्त आगे बढ़कर आतंकवादियों की भारी गोलीबारी की बाढ़ में से निकलकर इस अधिकारी को बचाया। इस अधिकारी को बचाने के प्रयास के दौरान उन्हें बायीं छाती में गंभीर जख्म लग गए फिर भी उन्होंने दोबारा आक्रमण करके दो आतंकवादियों को मार गिराया। गनर रेड्डी ने वहां से हटाए जाने से मना कर दिया तथा अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए सघन गोलीबारी के मध्य रेंगकर तीसरे आतंकवादी के नजदीक आए तथा उसे भी ढेर कर दिया। गनर रेड्डी बाद में वहां से सुरक्षित स्थान पर ले जाते वक्त घावों के कारण वीरगति को प्राप्त हुए।

गनर अलपा यादगिरि रेड्डी ने दायित्व से बढ़कर अतुलनीय बहादुरी तथा साहस का प्रदर्शन किया और भारतीय सेना की सर्वोच्च परम्पराओं के अनुरूप अपने जीवन का बलिदान दिया।

10. 5749452 हवलदार पिरथा बहादुर मगर
4/8 गोरखा राइफल्स

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 07 मई, 2000)

06 मई 2000 को जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास सैरगाह नाला में आतंकवादियों की हरकतों के बारे में सूचना प्राप्त होने पर उस सब सैक्टर की सभी चौकियों को चौकस कर दिया गया था। 07 मई, 2000 को 10.30 बजे नियंत्रण रेखा पार करने का प्रयास कर रहे 3 आतंकवादियों पर नाले में नीचे उतर रहे तलाशी दल द्वारा गोलीबारी की गई। आतंकवादी पीछे मुड़े और नाले के साथ-साथ नीचे भाग गए। 14000 फीट से भी अधिक ऊंचाई पर अत्यन्त कठिन भभाग में डटे हवलदार मगर और अन्य रैंक के दो जवान बड़ी तेजी से नीचे उतरे और नाले से 100 मीटर की ऊंचाई वाले स्थान पर आकर पोजीशन ले ली। इस ओर आ रहे 3 आतंकवादियों को सबसे पहले हवलदार मगर ने देखा। अपनी सुरक्षा की तनिक भी परवाह न करते हुए वे आगे बढ़े और घटनों के बल पोजीशन ले ली और तीनों आतंकवादियों को ढेर कर दिया।

हवलदार पिरथा बहादुर मगर ने उग्रवादियों का मुकाबला करते हुए अपनी सुरक्षा की तनिक भी परवाह किए बिना प्रचंड साहस और आक्रामक भावना का प्रदर्शन किया।

11 कैप्टन हरी राजकुमार (आई सी–57228), 9 ग्रेनेडियर्स

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 08 मई, 2000)

07 मई, 2000 को कैप्टन हरी राजकुमार को असम में तिनसुखिया जिले में पिथाकुटी नामक गांव में एक मकान में कुछ आतंकवादियों द्वारा शरण लेने के बारे में सूचना मिली। यह अफसर तुरन्त हरकत में आ गया और 8 मई, 2000 को 0430 बजे संदिग्ध क्षेत्र में पहुंच गया। जैसे ही यह दस्ता संदिग्ध क्षेत्र में एक मकान के समीप पहुंचा इस पर आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। कैप्टन हरी राजकुमार ने आतंकवादियों को संघर्ष में इस तरह उलझा लिया जिससे कि वे गोलीबारी न कर पायें और अन्य किसी

हानि को बचाया जा सके। वे नियंत्रित और सटीक भिडंत सुनिश्चित करने के लिए एक जवान से दूसरे जवान के पास जाते रहे। एक आतंकवादी को जो उनके दल के दो सदस्यों के साथ प्रभावी रूप से भिड़ा हुआ था, उस अफसर ने मार गिराया गया।

इस मुठभेड़ के फलस्वरूप शस्त्रों सहित पांच आतंकवादी मारे गए और उनके कब्जे से एक ए के–56, दो ए के–47, दो हथगोले, विभिन्न किस्म का गोलाबारूद और आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए। जमीन और नियंत्रित गोलीबारी के कुशल इस्तेमाल से इस क्षेत्र में सिविलियनों को पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित हुई।

कैप्टन हरी राजकुमार ने आतंकवादियो के सम्मुख वीरता, साहस, व्यावसायिक कुशाग्रता और नेतृत्व गुणों का प्रदर्शन किया।

12. 4350972 एक कंपनी हवलदार मेजर वानलाल छुंगा, असम 35 राष्ट्रीय राइफल्स

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 12 मई, 2000)

12 मई, 2000 को कंपनी हवलदार मेजर वानलाल छुंगा, में बडगाम में मछियारी के घने जंगलों में एक तलाशी दस्ते में शामिल थे। अपनी गहरी पकड़ और जंगल परिवेश संबंधी परम्परागत निपुणता के कारण उन्होंने एक तरफ आने वाली हल्की सीटी की सी आवाज सुनी। वे दो अन्य रैंकों के साथ चुपचाप उस दिशा मे बढ़ चले। कुछ दूरी पर एक आतंकवादी को खाना बनाते देखा उन्होंने अपने दल को संगठित किया और रेंगते हुए आगे बढ़े। उनकी हलचल को एक अन्य आतंकवादी ने देख लिया और उन पर गोलियां चलाने लगा। पूर्णतः शांत रहते हुए कंपनी हवलदार मेजर वानलाल छुंगा ने उस आतंकवादी पर गोलियों की घनी बौछार कर दी और अत्यन्त निकट से उसे तत्काल मार गिराया। एक अन्य आतंकवादी ने कंपनी हवलदार मेजर वानलाल छुंगा पर एक ग्रेनेड फेंका। छुंगा ने धैर्य बनाये रखते हुए पलट कर उस आतंकवादी पर एक ग्रेनेड फेंका। इसी बीच दल का एक सदस्य आगे बढ़ा और उस आतंकवादी पर एक ग्रेनेड फेंका जो कडा मुकाबला कर रहा था। इस स्थिति का फायदा उठाते हुए कपनी हवलदार मेजर वानलाल छुंगा उस आतंकवादी पर टूट पडे किन्तु उनकी ए के राइफल में कुछ खराबी आ गई और उससे गोलियां नहीं चलीं। किन्तु वे रूके नहीं और खुद ही उस आतंकवादी पर झपट पड़े और अपनी राइफल से उसकी खोपड़ी पर जोरदार प्रहार किया जिससे उसकी सांस उखड़ गई।

कंपनी हवलदार मेजर वानलाल छुंगा ने अनुकरणीय वीरता, असाधारण साहस और दायित्व से बढ़कर निःस्वार्थ सेवा भाव, का प्रदर्शन किया।

13. जे० सी०–211259 सूबेदार राजन बासूमतरी, असम 35 राष्ट्रीय राइफल्स (मरणोपरान्त)

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 14 मई, 2000)

14 मई, 2000 को सूबेदार राजन बासूमतरी उस कमांडो प्लाटून में शामिल थे जिसे जम्मू कश्मीर में बटगांव जिले में दीनीवार में हेलिकॉप्टर से उतारा गया था। भारी गोलाबारी के कारण अन्य दस्तों की आमदरफ्त कुछ समय के लिए रुक गई। सूबेदार राजन बासूमतरी अपने एक साथी के साथ सावधानी के साथ आगे बढ़े। आतंकवादियों ने उनको बढ़ते हुए देख लिया और उन पर 2 हथगोले फेंके। सूबेदार बासूमतरी ने अपने साथी पर मण्डराते खतरे को भांपकर स्वयं को आगे करते हुए आंतकवादियों पर गोली चलाते हुए उनका ध्यान अपनी ओर खींचा।

सूबेदार राजन बासूमतरी ने प्रचण्ड साहस का विशिष्ट प्रदर्शन करते हुए आंतकवादियों का ग्रेनेड उठा लिया और पलटकर उन्हीं पर फेंक दिया। तभी एक तीसरे आंतकवादी ने अत्यन्यत नजदीक से सूबेदार बासूमतरी पर गोलियों की बौछार शुरू कर दी। सूबेदार बासूमतरी के शरीर और उनकी बायीं भजा पर ए के 57 की 7 गोलियां लग गईं। सूबेदार बासूमतरी ने गम्भीर रूप से घायल होने के बावजूद अपनी ए० के० 47 से आंतकवादी पर गोलियों की बौछार कर दी और उस आंतकवादी को मारकर अपने साथी की जान बचा ली। सभी आंतकवादियों का सफाया होने तक सूबेदार बासूमतरी ने वहां से हटाए जाने से इन्कार कर दिया। बाद में अपने जख्मों के कारण वे वीरगति को प्राप्त हो गए।

सूबेदार बासूमतरी ने वीरता प्रचण्ड साहस और सहयोगी भावना का प्रदर्शन किया और भारतीय सेना की सर्वोच्च परम्पराओं के अनुरूप अपने जीवन का बलिदान दिया।

14. मेजर सुखमीत सिंह (आई2 सी०–46889) आर्टिलरी, 17 असम राइफल्स

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 18 मई, 2000)

18 मई, 2000 को उग्रवादियों की मौजूदगी के बारे में पक्की सूचना मिलने पर मेजर सुखमीत सिंह ने इम्फाल के वांगेई नाम गांव में कारवाई के एक दस्ते का नेतृत्व किया।

जब यह दस्ता संदिग्ध मकान की ओर बढ़ा तो इस अफसर ने सिविलियनों की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित की क्योंकि यह क्षेत्र घनी आबादी वाला था। निरन्तर गोलीबारी कर रहे भूमिगत विद्रोहियों को रोकने के लिये आरम्भ में मेजर सुखमीत सिंह रेंगते हुए आगे बढ़े और तुरन्त एक के बाद एक, दो हथगोले मकान के अन्दर फेंके ताकि भूमिगत विद्रोहियों को रोका जा सके। तत्पश्चात् मेजर सुखमीत सिंह ने स्वयं आक्रमणकारी दल का नेतृत्व किया और कैस्पियर वाहन का नया इस्तेमाल करते हुए लक्षित मकान की ओर आगे बढ़े। कैस्पियर वाहन पर लगी लाइट मशीनगनों से की जा रही गोलीबारी की आड़ मे व अपने दल के साथ तेजी से उस मकान के अन्दर घुस पड़े जहां एक विद्रोही से उनका सामना हो गया और उसे वही मार गिराया। मेजर सुखमीत सिंह तेजी से एक कमरे के अन्दर घुसे और वहां मौजूद उन दो भूमिगत विद्रोहियों को अत्यन्त निकट से भून डाला जो बाहर खड़े घेराबन्दी दल पर निरन्तर गोलीबारी कर रहे थे। इस समस्त कार्रवाई में चार भूमिगत विद्रोही मारे गए और शस्त्र/गोलाबारूद और युद्ध जैसी सामग्री बरामद की गई।

मेजर सुखमीत सिंह ने वीरता तथा साहस का प्रदर्शन किया और अपनी सुरक्षा की लेशमात्र भी परवाह न करते हुए यह कार्य पूरा किया ।

15. जे० सी०–518250, सूबेदार मदन लाल, 11 डोगरा
(पुरस्कार की प्रभावी तारीख 22 मई, 2000)

22 मई, 2000 को सूबेदार मदनलाल और उनके दल का जम्मू कश्मीर में राजौरी जिले के साज नामक गांव में दो घरों से गोलीबारी कर रहे 3 आतंकवादियों से सामना हो गया । सूबेदार मदन लाल एक घर में घुस पड़े और एक आतंकवादी को मार गिराया । यह देखकर अन्य दो आतंकवादी पास में घनी झाड़ियों वाले एक नाले में कूद पड़े । सूबेदार मदनलाल ने निरन्तर उन आंतकवादियों का नाले में पीछा किया और साथ ही साथ अपने दल को नाले के दोनों छोर कवर करने के लिये तैनात किया । आगे दोनों ओर से हुई भारी गोलीबारी के दौरान सूबेदार मदनलाल इंच दर इंच रेंगने के बाद आंतकवादियों के समीप पहुंच गये और एक आतंकवादी को वहीं तत्काल ढेर कर दिया । इससे तीसरा आतंकवादी घबरा गया और भागकर पास के एक कच्चे मकान में छुप गया । सूबेदार मदनलाल ने इस मकान को घेर लिया और पोजीशन लेकर धुए वाला ग्रेनेड उस पर फेंका । उन्होंने गोली चलाकर तीसरे आतंकवादी को भी ढेर कर दिया ।

सूबेदार मदन लाल ने उग्रवादियों का सामना करते हुए वीरता, बहादुरी और साहस का प्रदर्शन किया ।

16. जे० सी 518643, सूबेदार देशराज ठाकुर, 10 डोगरा
(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 26 मई, 2000) ।

26 मई, 2000 को सूबेदार देशराज ठाकुर ने उस घातक प्लाटून का नेतृत्व किया जिसे जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले में रणजाति जंगल के उत्तरी भाग में घेरा डालने का कार्य सौंपा गया था । लगभग 0825 बजे घातक प्लाटून के स्काउटों ने एक ढोक के बाहर आतंकवादियों के एक दल को देखा । घातक प्लाटून आगे बढ़ी और ढोक को घेर लिया । यह देखकर तीन आतंकवादी नाले की ओर भागे । सूबेदार देशराज ने 5 सदस्यों के एक दल के साथ भागते हुए आंतकवादियों का पीछा किया । घने जंगल में एक घण्टे तक आतंकवादियों के कदमों के निशानों का पीछा करने के के बाद वे एक स्थान पर पहुंचे जहां आतंकवादियो के पाव के निशान गायब थे । सूबेदार देशराज के दल के एक जवान ने एक बड़े पत्थर के पीछे कुछ संदिग्ध हरकतो के बारे में सूचना दी । स्थिति की गम्भीरता को भांपते हुए सूबेदार देशराज ने तुरन्त बिजली की तेजी से उस क्षेत्र को घेर लिया तभी 2 आतंकवादियों ने स्वचालित हथियारों से उन पर धावा बोल दिया । सूबेदार देशराज एक आतंकवादी को पूर्णत अचम्भे में डालते हुए उसकी ओर बढ़े और अत्यन्त नजदीक से उसे मार गिराया दूसरे आतंकवादी ने अपनी पीका राइफल से गोलीबारी करके अब सूबेदार देशराज को असहाय कर दिया क्योंकि उनके पास गोलीबारूद खत्म हो चुके थे । सूबेदार देशराज रेंगते हुए मृत आतंकवादी की ओर बढ़े और सामने खड़ी निश्चित मौत के बावजूद उसकी ए के 47 राइफल उठा ली और पीका की गोलियों की बौछार के बीच उस आतंकवादी पर टूट पड़े और उस दूसरे आंतकवादी को भी ढेर कर दिया ।

सूबेदार देशराज ने उग्रवादियों का मुकाबला करते हुए असीम जोश, अटल साहस और असाधारण वीरता का प्रदर्शन किया ।

17. मेजर संजय सूद (आई० सी०–47568), गार्ड्स,
21 राष्ट्रीय राइफल्स
(मरणोपरांत)
(पुरस्कार की प्रभावी तारीख . 22 जून, 2000)

22 जून, 2000 को जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में हंगनीकूट में एक कार्रवाई के लिए मेजर संजय सूद स्वेच्छा से आगे आए । जब इस अफसर का दल गांव में घुसा तो वे एक मकान से की जा रही सघन गोलीबारी में फंस गए । यह अफसर अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए गोलियों की बौछार और हथगोले के प्रहार के बीच आगे बढ़ा और उस मकान की बगल में पहुंच गए । इस अफसर ने मकान में प्रवेश करने के लिए खुले बरामदे से दो हथगोले फेंके और उग्रवादियों के समीप पहुंच गए । अपनी गर्दन पर लगी गोली के जख्म के बावजूद इन्होंने उस आतंकवादी को गुत्थम-गुत्था लड़ाई में मार गिराया । बाद में अपने जख्मों के कारण मेजर सूद वीरगति को प्राप्त हुए ।

इस प्रकार मेजर संजय सूद ने उग्रवादियों का मुकाबला करते हुए प्रचंड धैर्य, वीरता तथा साहस का प्रदर्शन किया और अपना सर्वोच्च बलिदान दिया ।

18. कैप्टन अमित प्रकाश (आई० सी०–57824),
सेना सेवा कोर, 11 सिख
(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 24 जून, 2000)

उल्फा के एक्शन ग्रुप की मौजूदगी के बारे में सूचना प्राप्त होने पर कैप्टन अमित प्रकाश ने जिला नौगांव (असम) में लुटुमई रिजर्व फोरेस्ट में एक कार्रवाई की योजना बनाई । विषम भूभाग में निरंतर बारिश में दो घंटे चलने के बाद प्रभावी घेराबंदी कर दी गई और 24 जून, 2000 को पौ फटने के साथ ही तलाशी कार्रवाई आरंभ कर दी गई । जैसे ही कैप्टन अमित और उनका तलाशी दल केले के घने बगीचे की ओर बढ़ा तो उन पर लघु शस्त्रों से भारी गोलीबारी होने लगी । यह अफसर गोलियों की बौछार के बीच बाग की ओर झपटा और एक साहसिक कार्यवाई में अत्यंत निकट से एक आतंकवादी को भून डाला । तलाशी कार्यवाई पुनः आरंभ होने पर कैप्टन अमित ने खेत में एक अन्य आतंकवादी को पोजीशन लेते देख लिया । उन्होंने फुर्ति से आगे बढ़कर खेत की घेराबंदी की और उस आतंकवादी को [illegible]

करने को कहा, किंतु उस आतंकवादी ने एक ग्रेनेड फेंक दिया। अपने दल पर मंडराते बड़े खतरे को महसूस करते हुए उन्होंने आतंकवादी पर गोली चलाते रहने के लिए अपने दल के एक हिस्से को तैनात किया और अपने एक साथी के साथ रेंगते हुए उस आतंकवादी को पीछे की ओर पहुंच कर उस पर हमला करते हुए उसे वहीं मार गिराया।

कैप्टन अमित प्रकाश ने आतंकवादियों का मुकाबला करते हुए प्रचंड साहस, बहादुरी और अदम्य हिम्मत का प्रदर्शन किया।

19 जे० सी०–498054 सूबेदार सुखचैन सिंह, 11 सिख

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख . 24 जून, 2000)

24 जून, 2000 को लुटुमई रिजर्व फोरेस्ट में उल्फा के ठिकाने पर की जाने वाली कार्रवाई के दौरान सूबेदार सुखचैन सिंह तलाशी दल के ग्रुप कमांडर थे। तलाशी के दौरान सूबेदार सुखचैन सिंह ने एक आतंकवादी को घास के ढेर के पीछे पोजीशन लेते देख लिया। उन्होंने अपने एक साथी के साथ तुरंत उस आतंकवादी को घेर लिया और उसे आत्मसमर्पण करने को कहा। आत्मसमर्पण करने के बजाय उस आतंकवादी ने जोरदार आक्रमण कर दिया और एक हथगोला फेंका तथा भागने की कोशिश की। सूबेदार सुखचैन ने अपने ऊपर फेंके गए ग्रेनेड से होने वाले खतरे की परवाह न करते हुए उस आतंकवादी पर हमला कर दिया। जब वह ग्रेनेड फटा तो सूबेदार सुखचैन का बायां हाथ और पैर बुरी तरह जख्मी हो गए और उनसे अत्यधिक रक्त बहने लगा। इसके बावजूद उन्होंने उस आतंकवादी का पीछा किया और उसे अपनी नजरों से ओझल नहीं होने दिया। सूबेदार सुखचैन उस आतंकवादी से भिड़ गए और नजदीकी भिड़ंत में गोली मारकर उसे ढेर कर दिया। बुरी तरह से जख्मी होने और बहुत ज्यादा रक्त बहते जाने के बावजूद उन्होंने कार्य पूरा होने तक वहां से हटाए जाने से इंकार कर दिया।

सूबेदार सुखचैन ने आतंकवादियों का मुकाबला करते हुए वीरता, साहस और अदम्य भावना का प्रदर्शन किया।

20. 2879407 लांस हवलदार नैन पाल सिंह, राजपूताना राइफल्स—9 राष्ट्रीय राइफल्स

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 08 जुलाई, 2000)

8 जुलाई, 2000 को जम्मू कश्मीर में अनंतनाग जिले में फालू नामक गांव में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में पक्की सूचना मिलने पर एक घेराबंदी और तलाशी कार्यवाई आरंभ की गई। 1650 बजे आतंकवादियों के साथ उनका उस समय सामना हो गया जब लांस हवलदार नैन पाल सिंह के नेतृत्व में एक अंदरुनी घेराबंदी दल पर एक मकान से गोलीबारी की गई। संक्षेप अंतरारोधन और गोलीबारी से आसपास के दो घरों में चार आतंकवादियों के मौजूद होने की पुष्टि हो गई। लांस हवलदार नैन पाल सिंह के दल को इन मकानों से दूर जाती एक तंग गली की निगरानी का कार्य सौंपा गया था। आतंकवादियों द्वारा हथगोले फेंके जाने और प्रभावी गोलीबारी किए जाने के बावजूद लांस हवलदार नैन पाल सिंह ने उनके भागने के मार्ग को बंद रखा। उसके बाद दोनों ओर से सघन गोलीबारी हुई। लगभग 1810 बजे दो आतंकवादी जलते हुए मकान से बाहर कूदे और उस गली की ओर भागने लगे जहां लांस हवलदार नैन पाल सिंह तैनात थे। लांस हवलदार नैन पाल सिंह ने एक आतंकवादी को मार गिराया। तब तक दूसरा आतंकवादी भी उनके निकट आ पहुंचा। लांस हवलदार नैन पाल सिंह उससे भिड़ गए और एक भीषण गुत्थम गुत्था द्वंद्वयुद्ध में उसे मार गिराया। इसके साथ उन मकानों में से रुक-रुककर गोलीबारी होती रही। बाद में लांस हवलदार नैन पाल सिंह ने एक मकान में से दर्दनाक चीखें सुनीं। यह भांपकर कि कोई आतंकवादी जख्मी हो सकता है, लांस हवलदार नैन पाल सिंह ने अपनी दल के साथ उस मकान की तलाशी लेने की पहल की। सबसे पहले लांस हवलदार नैन पाल सिंह तेजी से उस मकान में घुसे, कमरे के अंदर गए और अत्यंत निकट से तीसरे आतंकवादी को ढेर कर दिया।

लांस हवलदार नैन पाल सिंह ने आतंकवादियों का मुकाबला करते हुए पहल शक्ति, असाधारण धैर्य और प्रचंड साहस का प्रदर्शन किया।

21. जी०एस०–159564–पी० ओवरसीयर मोहन सिंह, सीमा सड़क संगठन (मरणोपरांत)

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 10 जुलाई, 2000)

ओवरसीयर मोहन सिंह को चीन अध्ययन दल सड़कों में से राष्ट्रीय व सामरिक महत्व वाली हयालिंग–मेटांगलियंग–चग–लोहागम सड़क पर पहाड़ काटकर सड़क बनाने संबंधी निर्माण कार्य के प्रभारी के रूप में तैनात किया गया था। इस 57 कि० मी० लंबी सड़क का निर्माण चीन–भारत सीमा के कुशल प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है। यह सड़क अत्यधिक कठोर चट्टान युक्त क्षेत्र से युक्त ऊबड़–खाबड़ पर्वतीय प्रदेश वाली ढलाई घाटी में से गुजरती है। निरंतर वर्षा वाला यह प्रतिकूल प्रदेश सड़क निर्माण कार्य के कटान के लिए एक बड़ी चुनौती है। ओवरसीयर, मोहन सिंह को 0.000 से 8.000 कि०मी० लंबी सड़क पर इस महत्वपूर्ण तथा समयबद्ध परियोजना के सड़क निर्माण कार्य की कटाई का प्रभारी बनाया गया था। 10 जुलाई, 2000 को लगभग 1300 बजे वे घाटी की ओर निर्माण कार्य वाली सड़क के कोने पर खड़े थे तथा चट्टानी शैल पर खतरनाक तथा ऊंची कटाई कार्य कर रहे डोजर कार्य देख रहे थे। अचानक, पहाड़ी की चोटी से भारी मलबे के साथ एक बहुत बड़ा शिलाखंड कार्यस्थल पर लगे डोजर तथा कम्प्रेशर की ओर लुढ़कता हुआ गिरने लगा। ओवरसीयर मोहन सिंह ने अपनी सतर्क नजरों से भांपते हुए तुरन्त शोर मचाया तथा डोजर तथा कम्प्रेशर चालकों को सुरक्षित स्थानों पर चले जाने के लिए निर्देश दिए। यह बहादुर सुपरवाइजर अपने जीवन की परवाह

किए बिना इस कार्य में सहयोग देने लगा तथा कम्प्रेशर को कार्य-स्थल से दूर ले जाने में सहायता देने लगा। ऐसा करते वक्त वे समय रहते अपनी ओर तेजी से आते शिलाखंड के रास्ते से अपने आप को नहीं हटा सके तथा इस शिलाखंड की टक्कर लगने से वे 70 मीटर गहरी खाई में गिर गए। इस तरह गहरी घाटी में गिर पड़ने के फलस्वरूप, ओवरसीयर मोहन सिंह के सिर में गहरी चोटें आ गईं जिनके कारण उनकी मृत्यु हो गई।

इस प्रकार ओवरसीयर मोहन सिंह ने सरकारी सम्पत्ति और मानव जीवन की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए अनुकरणीय साहस और निःस्वार्थ दायित्व भावना का प्रदर्शन किया और अपना सर्वोच्च बलिदान दिया।

22. लैफ्टिनेंट हरी सिंह बिष्ट (आई०सी०-59276), 3/11 गोरखा राइफल्स (मरणोपरांत)

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 21 जुलाई 2000)

लैफ्टिनेंट हरी सिंह बिष्ट उस घातक प्लाटून का संचालन कर रहे थे जिसने जम्मू कश्मीर में मश्कियारी नामक गांव में एक कार्यवाई की। 8 आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में सूचना प्राप्त होने पर 21 जुलाई, 2000 को तलाशी और सफाया कार्यवाई आरंभ की गई। जब वे संदिग्ध मकानों की ओर बढ़ रहे थे तभी उन पर भारी गोलीबारी होने लगी। लैफ्टिनेंट बिष्ट ने तुरन्त सहायता दल को तैनात किया और बड़े साहसपूर्ण तरीके से आक्रमण दल का नेतृत्व किया। आतंकवादी ठिकाने की ओर बढ़ते हुए उन्होंने एक आतंकवादी को ढेर कर दिया और शेष को उलझाये रखा। वे भारी गोलीबारी के बीच आतंकवादी ठिकाने की ओर आगे बढ़े। तभी अचानक मक्के के खेतों में से एक आतंकवादी बाहर निकला और अपनी पीका मशीनगन से गोलियां चलाकर ले० बिष्ट को जख्मी कर दिया। अत्यधिक रक्त बहने पर भी वे अपने जवानों को आतंकवादियों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करते और निर्देश देते रहे और स्वयं आतंकवादी पर हमला कर उसे तत्काल मार गिराया। किंतु अपने जख्मों के कारण वे वीरगति को प्राप्त हुए।

लैफ्टिनेंट हरी सिंह बिष्ट ने आतंकवादियों का मुकाबला करते हुए अदम्य प्रचंड साहस, अतुलनीय बहादुरी और प्रखर नेतृत्व का प्रदर्शन किया और अपना सर्वोच्च बलिदान दिया।

वरुण मित्रा
राष्ट्रपति का उप सचिव

सं० 58—प्रेज/2001—राष्ट्रपति निम्नलिखित कार्मिकों को अत्यन्त असाधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए "परम विशिष्ट सेवा मेडल" प्रदान किए जाने का सहर्ष अनुमोदन करते हैं :—

1. लेफ्टि० जनरल अशोक कुमार पुरी (आई०सी०-12326) अ०वि०से०मे०, इंजीनियर्स

2. लेफ्टि० जनरल मदन पाल सिंह भंडारी (आई०सी० 12581), वि०से०मे०, आर्टिलरी

3. लेफ्टि० जनरल अवतार सिंह (आई०सी०-12909), आर्टिलरी

4. लेफ्टि० जनरल कादम्बी रामास्वामी सम्पत कुमार (आई०सी०-13027), अ०वि०से०मे०, वि०से०मे०, आर्टिलरी

5. लेफ्टि० जनरल राजेन्द्र सिंह कादयान (आई०सी०-13153), अ०वि०से०मे०, वि०से०मे०, इन्फैन्ट्री

6. लेफ्टि० जनरल भूपाल सिंह मलिक (आई०सी०-13198) अ०वि०से०मे०, इन्फैंट्री

7. लेफ्टि० जनरल विजय लाल (आई०सी०-13306), अ०वि०से०मे०, आर्मी आर्डनेंस कोर

8. लेफ्टि० जनरल अदुसुमिल्ली शेषागिरी राव (आई०सी०-13385), अ०वि०से०मे०, इन्फैंट्री

9. लेफ्टि० जनरल मोहन आनन्द गुरबक्षनी (आई०सी०-13633), अ०वि०से०मे०, इन्फैंट्री

10. लेफ्टि० जनरल शंकर प्रसाद (आई०सी०-13642), वि०से०मे०, इन्फैंट्री

11. लेफ्टि० जनरल शमशेर सिंह मेहता (आई०सी०-13898), अ०वि०से०मे०, वि०से०मे०, क्वचित कोर

12. लेफ्टि० जनरल गुरप्रीत सिंह (आई०सी०-13914), इन्फैंट्री

13. लेफ्टि० जनरल वीरेन्द्र कुमार सेवाल (आई०सी०-13947), क्वचित कोर

14. लेफ्टि० जनरल इन्द्र कुमार छिटवाल (आई०सी०-14145), रक्षा सेवा कोर

15. लेफ्टि० जनरल गुरबक्श सिंह सिंहोटा (आई०सी०-15471), अ०वि०से०मे०, वीर चक्र, आर्टिलरी

16. लेफ्टि० जनरल अर्जुन सिंह खन्ना (आई०सी०-15511) अ०वि०से०मे०, वीर चक्र, आर्टिलरी

17. लेफ्टि० जनरल जॉन रंजन मुखर्जी (आई०सी०-15795) अ०वि०से०मे०, वि०से०मे०, इन्फैंट्री

18. वाइस एडमिरल राजेश्वर नाथ, अ०वि०से०मे० (40175-एफ०)

19. वाइस एडमिरल हरिन्द्र सिंह, अ०वि०से०मे० (00531 एफ०)

20. वाइस एडमिरल जॉन कॉलिन डि० सिल्वा, अ०वि०से०मे० (00556-एन०)

21. एयर मार्शल प्रकाश सदाशिवराव पिंगले, अ०वि०से०मे० वीर चक्र, वी०मे० (6755) फ्लाइंग (पायलट)

22. एयर मार्शल तेग्तर जाल मास्टर, अ०वि०से०मे० (7224) फ्लाइंग (पायलट)

23. एयर मार्शल खुशिन्दर सिंह बिन्धरा, अ०वि०से०मे०, वी०मे० (6863) फ्लाइंग (पायलट)

24. एयर वाइस मार्शल सुरेन्द्र सिंह चौहान, अ० वि०से० मे०, वि०से०मे० (7853) एयरो० इंजी० (मैक०)

25. एयर वाईस मार्शल गुलशन कुमार क्वात्रा, अ०वि०से० मे०, वि०से०मे०, (8001) एयरो० इंजी० (मैक०)

बरूण मित्रा
राष्ट्रपति का उप सचिव

सं० 59-प्रेज/2001—राष्ट्रपति मेजर जनरल गमबीर सिंह नेगी (आ.ई०सी०-16545) अविसेम, विसेमे, इन्फैंट्री को असाधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए "अति विशिष्ट सेवा मेडल का बार" प्रदान किए जाने का सहर्ष अनुमोदन करते है ।

बरूण मित्रा
राष्ट्रपति का उप सचिव

सं० 60-प्रेज/2001—राष्ट्रपति निम्नलिखित कार्मिकों को असाधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए "अति विशिष्ट सेवा मेडल" प्रदान किए जाने का सहर्ष अनुमोदन करते हैं :—

1. लेफ्टि० जनरल विनेश सिंह चौहान (आई० सी०-13951) उयुसेमे, विसेमे, इन्फैंट्री ।

2. लेफ्टि० जनरल ब्रिज मोहन कपूर (आई० सी०-14385) कवचित कोर ।

3. मेजर जनरल सदन प्रदीप मुरगाई (आई०सी०-13236) इलै० एंड मैके० इंजीनियर्स ।

4. मेजर जनरल जगतार सिंह कांग (आई०सी०-14060) विसमे, इंटैलिजेंस कोर ।

5. मेजर जनरल अरियगपुडी रविन्द्र कुमार (आई०सी०-14418) विसेमे, इन्फैंट्री ।

6. लेफ्टि० जनरल ओंकार सिंह लोहचब (आई० सी०-14531), विसेमे, इन्फैंट्री ।

7. मेजर जनरल राजेन्द्र कुमार मेहता (आई० सी०-14851) विसेमे, इलै० एंड मैक० इंजीनियर्स ।

8. मेजर जनरल विजय कृष्णा (आई० सी०-14875) इलै० एंड मैके० इंजीनियर्स ।

9. मेजर जनरल विनोद कुमार वर्मा (आई०सी०-14885) इलै० एंड मैके० इंजीनियर्स ।

10. मेजर जनरल विजय कुमार धुआ (आई० सी०-15041), विसेमे, इंजीनियर्स ।

11. मेजर जनरल शान्तनू चौधरी (आई०सी०-15690) विसेमे, आर्टिलरी ।

12. मेजर जनरल मिसाल प्रकाश रामाराव (आई० सी०-16045), विसेमे, आर्टिलरी ।

13. मेजर जनरल पुट्टागुंटा शिवाराम कृष्णा चौधरी (आई० सी०-16664) आर्टिलरी ।

14. मेजर जनरल मनमोहन सिंह (आई० सी०-16300), सिगनल्स ।

15. मेजर जनरल सुरेन्द्र कुमार सनन (आई० सी०-22880) विसेमे, जज एडवोकेट जनरल ।

16. ब्रिगेडियर राजेन्द्र सिंह (आई० सी०-16779), विसेमे, इलै० एंड मैके० इंजीनियर्स ।

17. ब्रिगेडियर सतीश प्रकाश कालरा (एम० आर०-02094) आर्मी मेडिकल कोर ।

18. रियर एडमिरल जितेन्द्र कुमार तलवार (60134-टी) ।

19. रियर एडमिरल वासुदेव बोस, विसेमे (50203-वाई) ।

20. रियर एडमिरल शेखरीपुरम कृष्णन कल्याण कृष्णन, विसेमे (40302-डब्ल्यु) ।

21. रियर एडमिरल राजेन्द्र कुमार शर्मा विसेमे (00843-आर) ।

22. सर्जन रियर एडमिरल सत्य पाल मल्होत्रा (75583-बी) ।

23. कोमोडोर प्रेमजीत रविन्द्र फ्रैंकलिन, विसेमे (00635-टी) ।

24. कमोडोर सोमीर सुशील चन्द्र मुखर्जी, विसेमे (40430-के) ।

25. एयर मार्शल लालजी कुमार वर्मा (7768) मेडिकल ।

26. एयर वाइस मार्शल पूर्णेन्दु कुमार मुखर्जी (7698) फ्लाइंग (पायलट) ।

27. एयर वाइस मार्शल सतीश कुमार रामलाल धाम, विसेमे (8097) मेडिकल ।

28. एयर वाइस मार्शल रमेश चन्द्र महादिक, विसेमे (8570) प्रशासनिक ।

29. एयर वाइस मार्शल विजय अच्युत पटकर, विसेमे (8632) एयरोनाटिकल इंजीनियरिंग (इलैक्ट्रानिक्स) ।

30. एयर वाइस मार्शल विजय कृष्णा पाण्डेय वामे (8990) फ्लाइंग (पायलट) ।

31. एयर वाइस मार्शल सुभाष चंद्र रस्तोगी, विसेमे (8999) फ्लाइंग (पायलट) ।

32. एयर वाइस मार्शल पूरन चन्द्र सिंह रौतेला, शौर्य चक्र, विसेमे (9576) एयरो० इंजी० (इलैक्ट्रानिक्स) ।

33. एयर कोमोडोर डोनोवन एरिक जोनस (10131) फ्लाइंग (पायलट) ।

34. एयर कोमोडोर श्री हर्ष त्रिपाठी (11087) एडमिन०/लीगल ।

35. एयर कोमोडोर तेक्केकरा थामस जाब, विसेम (11507), एयरो० इंजी० (मैके०) ।

36. एयर कोमोडोर अशोक धरम छिब्बर (12118) फ्लाइंग (पायलट) ।

37. जीओ–1133एच० श्री बंसी लाल टिक्कू, अपर महानिदेशक सीमा सड़क ।

38. जीओ–866पी० चीफ इंजीनियर, सिविल ललित कुमार मंजू, बी० आर० ओ० ।

बरुण मित्रा
राष्ट्रपति का उप सचिव,

सं० 61–प्रेज/2001—राष्ट्रपति, निम्नलिखित कार्मिकों को युद्ध स्थितियों के दौरान उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए "युद्ध सेवा मेडल" प्रदान किए जाने का सहर्ष अनुमोदन करते हैं :—

1. ब्रिगेडियर दीपक मुखर्जी (आई०सी०–19107) इन्फैंट्री हैडक्वार्टर 104 इन्फैंट्री ब्रिगेड ।

2. ब्रिगेडियर रणधीर कुमार मेहता (आई० सी०–19550) विसेमे, इन्फैंट्री ।

3. ब्रिगेडियर तेज कुमार सपरू (आई० सी०–23302) इन्फैंट्री हैडक्वार्टर 12, इन्फेन्ट्री ब्रिगेड ।

4. ब्रिगेडियर बहुखण्डी प्रेम सदन (आई० सी०–90223) इन्फैंट्री ।

5. मेजर राज पाल पुनिया (आई०सी०–41862) मैकानाइजड इन्फैंट्री ।

6. मेजर हरिन्दर पाल सूद (आई०सी०–43678) पैरा (स्पेशल फोर्स) ।

7. ग्रुप कैप्टन बिजेन्द्र सिंह सिवाच, अविसेमे, वामे (12413) फ्लाइंग (पायलट) ।

बरुण मित्रा
राष्ट्रपति का उप सचिव

सं० 62-प्रेज/2001—राष्ट्रपति, निम्नलिखित कार्मिकों को उच्च कोटि की कर्त्तव्यपरायणता की विशिष्ट सेवा के लिए "विशिष्ट सेवा मैडल का बार" प्रदान किए जाने का सहर्ष अनुमोदन करते हैं :—

1. ब्रिगेडियर वीर चंद जैन (आई सी-17280), वि०से०मे० इलैक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग ।

2. ब्रिगेडियर प्रेमेन्द्र सिंह राना (आई सी-24237), वि० से० मे०, इन्फैंट्री ।

बरुण मित्रा
राष्ट्रपति का उप सचिव

सं० 63-प्रेज/2001—राष्ट्रपति निम्नलिखित कार्मिकों को उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए "विशिष्ट सेवा मैडल" प्रदान किए जाने का अनुमोदन करते हैं :—

1. मेजर जनरल रविन्दर कुमार बत्रा (आई सी-12812) इलै० एंड मैक० इंजीनियर्स (रिटायर्ड) ।

2. मेजर जनरल मनमोहन भाटिया (आई सी-13233), सिगनल ।

3. मेजर जनरल इन्द्र जीत सिंह बोरा (आई सी-14638), मैकानाइज्ड इन्फैंट्री ।

4. मेजर जनरल सुभाष चन्द्र गोयल (आई सी-14843), इलै० एंड मैक० इंजीनियर्स ।

5. मेजर जनरल महेन्द्र पाल सिंह त्यागी (आई सी-18329) आर्मी एजूकेशन कोर (रिटायर्ड) ।

6. मेजर जनरल माधवा आनन्द टुटकणे (एमआर-1817) रक्षा चिकित्सा कोर ।

7. मेजर जनरल श्रीनिवास पट्टाभीरमन (आईसी-17210) सेमे, इंजीनियर्स ।

8. मेजर जनरल प्रमोद कुमार ग्रोवर (आईसी-17252), इंजीनियर्स ।

9. मेजर जनरल कुलदीप चन्द्रा विज (आईसी-26028), आर्टिलरी ।

10. ब्रिगेडियर देविन्दर कृष्ण खन्ना (आईसी-16299), कुमाऊं (रिटायर्ड) ।

11. ब्रिगेडियर पवित्र कुमार चक्रवर्ती (आईसी-16581), कवचित कोर (रिटायर्ड) ।

12. ब्रिगेडियर सतीश कुमार (आईसी-16694), एयर डिफेंस आर्टिलरी ।

13. ब्रिगेडियर देवेन्दर सिंह खुराना (आईसी-16653), आर्टिलरी ।

14. ब्रिगेडियर मुनिसामी सुदंदीराम (आईसी-16857), इंजीनियर्स ।

15. ब्रिगेडियर रघेन्द्र सिंह बत्रा (आईसी-16925); इलै० एंड मैक० इंजीनियर्स ।

16. ब्रिगेडियर बचित्तर सिंह धालीवाल (आईसी-17239), इंजीनियर्स ।

17. ब्रिगेडियर अरुण रॉय (आईसी-17595), मैकानाइज्ड इंफैंट्री ।

18. ब्रिगेडियर राकेश कुमार मलिक (आईसी-17685), सिगनल ।

19. ब्रिगेडियर अजीत सिंह बाजवा (आईसी-19004), आर्टिलरी ।

20. ब्रिगेडियर परमजीत सिंह अरोड़ा (आईसी-19185), सिगनल ।

21. ब्रिगेडियर राज कुमार सिंह (आईसी-19890), इंफैंट्री।
22. ब्रिगेडियर बरट्रेंड विलियम कोल्मन (आईसी-19899), आर्टिलरी।
23. ब्रिगेडियर राम प्रकाश सैनी (आईसी-23041), आर्टीलरी।
24. ब्रिगेडियर कृष्ण नाथ मेहरा (आईसी-23282), इंफैंट्री।
25. ब्रिगेडियर अशोक कुमार दुग्गल (आईसी-23367), इन्फैंट्री।
26. ब्रिगेडियर बसन्त कुमार पोन्वर (आईसी-23671), इन्फैंट्री।
27. ब्रिगेडियर सतिन्दर पाल सिंह नारंग (आईसी-26531) आर्टिलरी
28. ब्रिगेडियर कमल कुमार सूद (आईसी-28024) इंफेन्ट्री
29. ब्रिगेडियर विजय कुमार जोशी (आईसी-28324) इंटेलीजेंस
30. ब्रिगेडियर ओमपाल सिंह चौहान (आईसी-28471) मैकानाइज्ड इंफैंट्री
31. ब्रिगेडियर कुलवंत सिंह डोगरा (आईसी-28805) एयर डिफेंस आर्टिलरी
32. ब्रिगेडियर राजेन्द्र पाल सिंह (आईसी-28899) इंफैंट्री
33. ब्रिगेडियर तारा सिंह (आईसी-29491) इन्फैंट्री
34. ब्रिगेडियर सतीश कुमार बहल (आईसी-29220) इन्फैंट्री
35. ब्रिगेडियर सुशील कुमार दोवल (आईसी-32025) इन्फैंट्री
36. ब्रिगेडियर विनोद कुमार नलवाड़ (एमआर-02088) रक्षा चिकित्सा कोर
37. ब्रिगेडियर अमिया कुमार लाहिरी (एमआर-02224) रक्षा चिकित्सा कोर
38. ब्रिगेडियर जनक राज भारद्वाज (एमआर-02600) रक्षा चिकित्सा कोर
39. ब्रिगेडियर सर्व विजय पाल सिंह (आईसी-24790) आर्टिलरी
40. कर्नल अभय कुमार गुप्ता (आईसी-25136) ग्रेनेडियर्स
41. कर्नल बलबीर सिंह विर्क (आईसी-25583) सिगनल
42. कर्नल राजेश कोछर (आईसी-27325), इलै० एंड मैक० इंजीनियर्स
43. कर्नल दुराईपांडियान राजन (आईसी-27673) आर्टिलरी
44. कर्नल सर्वपाथराय अशोका राम (आईसी-27878) इंजीनियर्स
45. कर्नल कंवर प्रभात सिंह (आईसी-28216) गढ़वाल राइफल
46. कर्नल राजेन्द्र सिंह लगेह (आईसी-30054) 8 गोरखा राइफल
47. कर्नल सुखराज पाल कोछर (आईसी-30137) सिगनल
48. कर्नल रविन्दर आहूजा (आईसी-31346) आर्टिलरी
49. कर्नल अभय कुमार (आईसी-31383) आर्टिलरी
50. कर्नल जहांगीर फीरोज अंकलेसरिया (आईसी-34828) 6/5 गोरखा राइफल (फ्रंटियर फोर्स)
51. कर्नल पोथेरी चेरुवारी धनराज (आईसी-34877) मद्रास, 8 आसाम राइफल
52. कर्नल राजेश आर्य (आईसी-34938) आर्टिलरी
53. कर्नल वेनुगोपाल मेनन (आईसी-35110) इंजीनियर्स
54. कर्नल बिपिन रावत (आईसी-35471) 5/11, गोरखा राइफल
55. कर्नल सुब्रता साहा (आईसी-35494) 5, आसाम रेजीमेंट
56. कर्नल सुधीर सिंह (आईसी-35727) सिख लाइट इन्फैंट्री, 4 आसाम राइफल
57. कर्नल इंद्र मणि पाठक (आईसी-36990) इंजीनियर्स
58. कर्नल सुरेश कुमार जामवाल (आईसी-37184) 11, सिख
59. कर्नल राघव रघुनन्दन सिंह (आईसी-37379) 14, ग्रेनेडियर्स
60. कर्नल पाम्पापति डोड्डाप्पा हल्लुर (आईसी-38487) 8 महार
61. कर्नल शिव राम मेहता (एमआर-2985) रक्षा चिकित्सा कोर
62. कर्नल राजेन्द्र प्रसाद त्रिपाठी (एमआर-003672) रक्षा चिकित्सा कोर
63. कर्नल (श्रीमती) सरोज मुखर्जी (एमआर-04449) रक्षा चिकित्सा कोर, हैड 27, माउन्टेन डिवीजन
64. कर्नल अद्य प्रकाश खटक (डीआर-10264) आर्मी डेंटल कोर
65. कर्नल परमजीत सिंह (डी आर-10267) आर्मी डेंटल कोर
66. कर्नल कमलेश चन्द्र मिश्रा (टीसी-31449) रक्षा डाक सेवा, 2 सीबीपीओ
67. लैफ्टि० कर्नल ललित पांडे (आई सी-37736) मैकानाईज्ड इंफैंट्री

68. लेफ्टि० कर्नल अमरदीप सिंह सिद्ध (आईसी–40078 आर्मी एविएशन

69. लेफ्टि० कर्नल कुलबीर शर्मा (एमआर–03737) रक्षा चिकित्सा कोर

70. लेफ्टि कर्नल संजीव चोपड़ा (एमआर–04142) रक्षा चिकित्सा कोर

71. लेफ्टि० कर्नल (श्रीमति) अल्का गोस्वामी (एमआर–04617), रक्षा चिकित्सा कोर

72. लेफ्टि० कर्नल रविन्दर सिंह यादव (एमआर–04938), रक्षा चिकित्सा कोर

73. मेजर संजय कुमार सिंह (एम आर–05912) रक्षा चिकित्सा कोर

74. मेजर पुरनन्दु (एमआर–06084) मेमे, रक्षा चिकित्सा कोर

75. ब्रिगेडियर अनिल कुमार जैन (आई सी–17209), इंजीनियर्स, डी आर डी ओ

76. कमोडोर रवि रामाकृष्णन नायर (00569–ई)

77. कमोडोर शंकरन नायर बालचन्द्रन (50295–एफ)

78 कमोडोर बिजेन्द्र कुमार आहलूवालिया (60191–बाई)

79. कमोडोर मुथुकृष्णन जितेन्द्रन (40485–के)

80. कमोडोर रत्नाकर भूषण (50367–डब्ल्यू)

81. कमोडोर देवेन्द्रकुमार जोशी, नौमे (01507–जेड)

82. कैप्टन श्रीनिवास वसंत आठल्ये (40617–के)

83. सर्जन कमांडर मूर कांत रविन्द्रन (75192–आर)

84. सर्जन कमांडर सुब्रमाणिय गणेशन (75199–एफ)

85. कमांडर सतीश चावला (02416-आर)

86. कमांडर अतुल खन्ना (50813–एच)

87. कमांडर संजीव काले (50869–के)

88. कमांडर मदन मोहन चतुर्वेदी (00633–एन)

89. हरदेव सिंह, एम सीपीओ 1 क्यूए, 1 बीजीआई नं० 085220–एच

90. रंग राव, एमसीपीओ 1 क्यूए1, नं० 085531–आर

91. जसवीर सिंह, एमसीपीओ एएफ II, नं० 107690–ए

92. एयर कमोडोर रमेश चन्दर ककड़ (11481), एयरो, इंजीनियर्स (इलैक्ट्रॉनिक्स)

93 एयर कमोडोर मोहन लाल वर्मा (11708) लेखा

94. एयर कमोडोर जयंत कुमार दे (12250) चिकित्सा

95. ग्रुप कैप्टन नारायणन विजय कुमार (12725) लेखा

96. ग्रुप कैप्टन नरेन्द्र कुमार उपाध्या, यूसेमे (12779) फ्लाइंग (पायलट)

97. ग्रुप कैप्टन अजीत सिंह (13147) फ्लाइंग (पायलट)

98. ग्रुप कैप्टन रघुबीर सिंह संधु (13174) एयरो, इंजीनियर्स (मैकेनिकल)

99. ग्रुप कैप्टन नरेश वर्मा (13235), प्रशासनिक

100. ग्रुप कैप्टन राजीव शर्मा (13299) एयरो, इंजीनियर्स (इलैक्ट्रॉनिक्स)

101 ग्रुप कैप्टन अरविंद महान्ति (13314) परिभारिकी

102. ग्रुप कैप्टन जसविंदर चौहान (14079) फ्लाइंग (पायलट)

103. ग्रुप कैप्टन प्रफुल कुमार (14093) फ्लाइंग (पायलट)

104. ग्रुप कैप्टन समीर चंद गौड़, शौर्य चक्र, (14118) एयरो, इंजीनियरिंग (मैक.)

105. ग्रुप कैप्टन तरुण कुमार वर्मा (14273) फ्लाइंग (पायलट)

106. ग्रुप कैप्टन जोस माथप्पन (14278) फ्लाइंग (पायलट)

107. ग्रुप कैप्टन राजन भसीन (15006), फ्लाइंग (पायलट)

108. विंग कमांडर गजेन्द्र सिंह (14582) एयरो, इंजीनियरिंग (इलैक्ट्रोनिक्स)

109. विंग कमांडर प्रभु दयाल गिल (14739) प्रशासनिक

110. विंग कमांडर किरण प्रभाकर पलसुले (15593), प्रशासनिक, फाइटर कंट्रोलर

111. विंग कमांडर अमित कुमार माथुर (15754) परिभारिकी

112. विंग कमांडर सौरी कान्त पारही (16111), प्रशासनिक, फ्लाइट कंट्रोल

113. विंग कमांडर मधुसूदन नायर जयकुमारन थम्पी (16632) फ्लाइंग (पायलट)

114. स्क्वाड्रन लीडर नवल सक्सेरवाल (17515) परिभारिकी

115. स्क्वाड्रन लीडर राजेन्द्र कुमार यादव (17816) एयरो, इंजीनियरिंग (इलैक्ट्रोनिक्स)

116. स्क्वाड्रन लीडर संजय सेठ (18162) लेखा

117. स्क्वाड्रन लीडर रामनारायणन रमेश (18735) एयरो, इंजीनियरिंग (मैक)

118. स्क्वाड्रन लीडर संजय कुमार सिंह (20119) फ्लाइंग (पायलट)

119. 285568 मास्टर वारंट आफिसर गनपत राम, फ्लाइट मेंटेनेंस फिटर (एम)

120. 248554 वारंट अफसर मुमेया टेरेंम, वर्कशाप फिटर (बी)

121. जी ओ–1167 डब्ल्यू सुपरिटेंडिंग इंजीनियर (ई एंड एम), एस जी उमा शंकर मिश्रा

122. जी ओ–1349–के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर (सिविल) एस जी थैंकट पन्नीकोट बेलयुधन

123. जी ओ–1471–ए सुपरिटेंडिंग इंजीनियर (सिविल) एस जी श्याम सुंदर पोरवाल

वरुण मित्रा
राष्ट्रपति का उप सचिव

सं० 64–प्रेस/2001–राष्ट्रपति निम्नलिखित कार्मिकों को असाधारण साहसपूर्ण कार्यों के लिए "सेना मेडल का बार" प्रदान किए जाने का सहर्ष अनुमोदन करते हैं :–

1. मेजर किशन सिंह मेहरा (आईसी–49435) सेमे, 13, कुमाऊं
2. मेजर किरित नायर (आईसी–54636) सेमे, सिख लाइट इन्फैंट्री, 19, राष्ट्रीय राइफल

वरुण मित्रा
राष्ट्रपति का उप सचिव

सं० 65–प्रेस/2001—राष्ट्रपति लेफ्टि कमांडर तिलक राज ठाकुर, नौसेना मेडल (03719–ए) को असाधारण साहसपूर्ण कार्यों के लिए "नौसेना मेडल का बार" प्रदान किए जाने का सहर्ष अनुमोदन करते हैं ।

वरुण मित्रा
राष्ट्रपति का उप सचिव

सं० 66–प्रेस/2001—राष्ट्रपति निम्नलिखित कार्मिकों को असाधारण साहसपूर्ण कार्यों के लिए "सेना मेडल" प्रदान किए जाने का सहर्ष अनुमोदन करते हैं :–

1. कर्नल रुस्तम पटनायक (आईसी–38768), महार, 30, राष्ट्रीय राइफल
2. लेफ्टि० कर्नल सोबन सिंह (आईसी–40548) 5, गोरखा राइफल (फ्रंटियर फोर्स) 33, राष्ट्रीय राइफल
3. मेजर निर्दोष भोला विशन (आईसी–42635) इंटेलीजेंस कोर, 6डीईटी ईसी एलयू
4. मेजर बलविंदर सिंह बजवा (आईसी–43567), आर्टिलरी 34, राष्ट्रीय राइफल (मरणोपरांत)
5. मेजर अमरदीप सिंह ढिल्लों (आईसी–44713) कवचित कोर, मुख्यालय 57, माउंटेन डिवीजन
6. मेजर मनमोहन सिंह रेखी (आईसी–44810), 11, डोगरा
7. मेजर विक्रमजीत सिंह (आईसी–45557), 5, राजपूताना राइफल
8. मेजर प्रमोद वी ओ (आईसी–45816), आर्टिलरी 17, पैरा फील्ड रेजिमेंट
9. मेजर एलेक्स जैकब मोहन (आईसी–46919), 8, मराठा लाइट इन्फैंट्री
10. मेजर प्रेमवीर सिंह सांगवान (आईसी–47084), आर्टिलरी 7, आसाम राइफल
11. मेजर राजबीर सिंह (आईसी–47923), 7 गार्ड्स
12. मेजर दीपक सिंह बिष्ट (आईसी–50694) 1, पैरा (स्पेशल फोर्स)
13. मेजर जोग निरंजन सुभाष (आईसी–50778), गार्ड्स 35, राष्ट्रीय राइफल
14. मेजर संजीव कुमार मंडल (आईसी–52019), 5, जम्मू एण्ड कश्मीर राइफल
15. मेजर शुभांकर बासु (आईसी–52959), 20, जम्मू-कश्मीर राइफल
16. मेजर संजीव सोकिवा (आईसी–53591), 4, जम्मू-कश्मीर लाइट इफैंट्री
17. मेजर हिमांशु कटारिया (आईसी–53939), 5, राजपूताना राइफल
18. मेजर विनोद कुमार (आईसी–57448), रक्षा सेवा सेना कोर, 8, जम्मू-कश्मीर लाइट इन्फैंट्री
19. कैप्टन विपिन कुमार मल (आईसी–53060), आर्टिलरी 21, राष्ट्रीय राइफल
20. कैप्टन सुदेश कुमार गोस्वामी (आईसी–53992), 9, पैरा (स्पैशल फोस)
21. कैप्टन आशीष खन्ना (आई सी–54332) आर्टिलरी, स्पेशल ग्रुप (22 स्पेशल फोर्स)
22. कैप्टन जयरामन नम्बियार (आई सी–54755) आर्टिलरी, 3, राष्ट्रीय राईफल
23. कैप्टन प्रद्युमन सिंह बनाफर (आई सी–54807) आर्टिलरी, 17, आसाम राईफल
24. कैप्टन मनोज कुमार सिन्हा (आई सी–55036) सेना सेवा कोर, 33, राष्ट्रीय राईफल
25. कैप्टन रवि कुमार (आई सी–56869), 7, बिहार
26. रंगा साय राजन (आई सी–57377), 3, ग्रेनेडियर्स
27. कैप्टन आकाश खजांची (आई सी–57379), 2, सिख
28. कैप्टन विनय भारद्वाज (एस एस–36586), इंजीनियर्स स्पेशल ग्रुप (22 स्पेशल फोर्स)
29. कैप्टन विक्रमजीत सिंह (एस एस–36765), 6, जाट

30. कैप्टन ओमकार नाथ राव (एस एस–36810), 22 मराठा लाईट इन्फेन्ट्री (मरणोपरांत)

31. कैप्टन संजय सिंह तंवर (एस एस–37068), 16 पंजाब

32. कैप्टन गुरप्रताप सिंह चहल (एस एस–38169), 20 सिख (मरणोपरांत)

33. कैप्टन भूपेन्द्र सिंह कोयर (आई सी–57796) इलै० एंड मैक० इंजीनियरिंग, 3 राष्ट्रीय राईफल

34. लेफ्टिनेन्ट समिन्दर मोर (आई सी–58146) आर्टिलरी 17 पैरा फील्ड रेजिमेंट

35. लेफ्टिनेंट सूरज भवन राठौर (आई सी–58255) सेना आयुध कोर, 8 मराठा लाईट इंफेंट्री

36. लेफ्टि० प्रशांत कुमार पीर्वा (आईसी–58611) 5 जम्मू-कश्मीर लाइट इन्फैंट्री

37. लेफ्टि० पारितोष उपाध्याय (आईसी–59177) सेना आयुध कोर 9 ग्रेनेडियर्स

38. लेफ्टि० तरुण मय्यर (आईसी–59477) इलै० एंड मैक० इंजीनियरिंग, 8 जाट (मरणोपरांत)

39. लेफ्टि० जसबीर सिंह (एसएस–37516) 15 सिख लाइट इन्फैंट्री

40. लेफ्टि० ग्यामी (एसएस–37634), सेना आयुध कोर, 14 राजपूत

41. लेफ्टि० संजय आर्य (एसएस–38151) 5/8 गोरखा राइफल

42. लेफ्टि० रवीन्दर सिंह जानी (एससी–00132) 11 डोगरा

43. असिस्टेंट कमांडेंट डोंगुल तोंखोसेई हौकिप (आईआरएल ए–73200) सीमा सुरक्षा बल 11 सिख

44. जेसी–193712 सूबेदार बलबीर सिंह, राजपूताना राइफल, 9 राष्ट्रीय राइफल

45. जेसी–418209 सूबेदार जागीर सिंह, मैकानाइज्ड इन्फैंट्री, 26 राष्ट्रीय राइफल

46. जेसी–518402 सूबेदार हलका राम, शौर्य चक्र, डोगरा 11 राष्ट्रीय राइफल

47. जेसी–612053 सूबेदार बिल बहादुर थापा, 4 गोरखा-राइफल, 15 राष्ट्रीय राइफल (मरणोपरांत)

48. जेसी–617208 सूबेदार रेशम बहादुर थापा 6/5 गोरखा राइफल (एफएफ)

49. जेसी–623037 सूबेदार गोविन्द सिंह भण्डारी, 4/8 गोरखा राइफल

50. जेसी–629068 सूबेदार पर्ण बहादुर क्षेत्री, 2/9 गोरखा राइफल

51. जेसी–82786 नायब सूबेदार देव सिंह, 8 आसाम राइफल

52. जेसी–448864 नायब सूबेदार मदन सिंह सेखावत, 14 ग्रेनेडियर्स ।

53. जेसी–458384 नायब सूबेदार योगिन्दर पॉल, 8 मराठा लाइट इन्फैंट्री ।

54. जेसी–538786 नायब सूबेदार देव सिंह, 2 कुमाऊं ।

55. 83310 हवलदार किकर सिंह, 8 आसाम राइफल ।

56. 2876250 हवलदार प्रहलाद सिंह, 12 राजपूताना राइफल ।

57. 2878785 हवलदार महावीर सिंह, राजपूताना राइफल, 18 राष्ट्रीय राइफल ।

58. 2880199 पृथ्वीराज सिंह, 20 राजपूताना राइफल (मरणोपरांत) ।

59. 3376470 हवलदार लाल सिंह, सिख, 16 राष्ट्रीय राइफल ।

60. 4173588 हवलदार साधु राम, 13 कुमाऊं (मरणोपरांत) ।

61. 4262842 हवलदार बिमाथ नायक, 21 बिहार ।

62. 4263326 हवलदार अधिवंस प्रसाद सिंह, 2 बिहार ।

63. 4466196 हवलदार मनजीत सिंह, 3 सिख लाइट इन्फैंट्री ।

64. 5344919 हवलदार धिल बहादुर पुन, 1/4 गोरखा राइफल ।

65. 5750422 हवलदार रेशिन राना, 5/8, गोरखा राइफल ।

66. 5846138 हवलदार निर्मल बहादुर बस्नेत, 2/9 गोरखा राइफल ।

67. 9086505 हवलदार निसार हुसैन शाह, जम्मू-कश्मीर लाइट इंफैंट्री, 31 राष्ट्रीय राइफल ।

68. 14468156 हवलदार कुलबीर सिंह, आर्टिलरी 17 पैरा फील्ड रेजिमेंट ।

69. 14906612 हवलदार कृष्ण कुमार, मैकेनाइज्ड इन्फैंट्री (मरणोपरांत) ।

70. 3982362 लांस हवलदार धर्मन सिंह, 16 डोगरा ।

71. 5752990 लांस हवलदार जीवन बहादुर थापा, 7/8 गोरखा राइफल ।

72. 1483722 नायक जसबीर सिंह, 8 इंडिपेंडेंट फील्ड कंपनी, इंजीनियर्स ।

73. 2883095 नायक तारा चन्द 8 राजपूताना राइफल ।

74. 3387589 नायक जागीर सिंह, सिख, 6 राष्ट्रीय राइफल (मरणोपरांत) ।

75. 3391104 नायक भगवन्त सिंह, 22 सिख (मरणोपरांत) ।

76. 3984308 नायक जोगिन्दर सिंह, 16 डोगरा (मरणोपरांत) ।

77. 3984606 नायक गोरख राम, 11 डोगरा ।

78. 4176954 नायक लाल मनी यादव, 13 कुमाऊं । (मरणोपरांत) ।

79. 9094166 नायक फजल हुसैन, 5 जम्मू-कश्मीर लाइट इन्फैंट्री ।

80. 14377975 नायक राजेन्द्र भगत, एयर डिफेंस आर्टिलरी, 15 राष्ट्रीय राइफल (मरणोपरांत) ।

81. 2596837 लांस नायक मनोज वी वी, 26 मद्रास ।

82. 4070376 लांस नाइक धनबीर सिंह, गढ़वाल राइफल, 14 राष्ट्रीय राइफल (मरणोपरांत) ।

83. 4070872 लांस नायक पान सिंह, गढ़वाल राइफल, 36 राष्ट्रीय राइफल।

84. 4180077 लांस नाइक बंशी धर जोशी, 2 कुमाऊं ।

85. 5044911 लांस नाइक भीम बहादुर पुन, 1 गढ़वाल राइफल, 15 राष्ट्रीय राइफल ।

86. 14403689 लांस नाइक पी०वी० बीनू, आर्टिलरी 17 पैरा फील्ड रेजिमेंट ।

87. 14414168 लांस नाइक एन्टोनी पी० ए०, आर्टिलरी 17 पैरा फील्ड रेजिमेंट ।

88. 2997898 सिपाही बिरम सिंह, 3 राजपूत ।

89. 3187598 सिपाही सतेन्द्र कुमार, जाट, 34 राष्ट्रीय राइफल (मरणोपरांत) ।

90. 3394475 सिपाही जगदेव सिंह, सिख 19 राष्ट्रीय राइफल ।

91. 3795308 सिपाही मनजीन्दर सिंह, 11 सिख ।

92. 3989328 सिपाही मोहिन्दर कुमार, 11 डोगरा ।

93. 3994489 सिपाही अश्वनी कुमार, डोगरा, 31 राष्ट्रीय राइफल ।

94. 4169050 सिपाही हीरा सिंह, 2 कुमाऊं ।

95. 4362199 सिपाही दैखोलन कुकी, असम, 36 राष्ट्रीय राइफल ।

96. 4471542 सिपाही मोहन सिंह, 1 सिख लाइट इन्फैंट्री

97. 4566514 सिपाही मंगल सिंह, महार, 30 राष्ट्रीय राइफल

98. 83746 राइफलमैन चन्द्र बहादुर सुनार, 8 आसाम राइफल

99. 173355 राइफलमैन सुरेश कुमार के०, 17 आसाम राइफल

100. 2888870 राइफलमैन ओमपाल, राजपूताना राइफल, 18 राष्ट्रीय राइफल

101. 2891771 राइफलमैन यशवंत कुमार, 5 राजपूताना राइफल

102. 2901438 राइफलमैन अजय सिंह, 2.9 आसाम राइफल (मरणोपरांत)

103 5045815 राइफलमैन उत्तर राम गुरुंग, 1-गोरखा राइफल, 15 राष्ट्रीय राइफल (मरणोपरांत)

104. 5347597 राइफलमैन टेक बहादुर पुन, 1/4 गोरखा राइफल

105. 9098425 राइफलमैन मोहम्मद फरीद खान, 4 जम्मू-कश्मीर लाइट इन्फैंट्री

106. 9098645 राइफलमैन मोहम्मद रजाक, जम्मू-कश्मीर लाइट इन्फैंट्री, 15 राष्ट्रीय राइफल

107. 2688760 ग्रेनेडियर भगवान दास, 9 ग्रेनेडियर्स

108. 15129519 गनर विपन कुमार, आर्टिलरी, 95 फील्ड रेजिमेंट

109. 13694718 गार्ड्समैन अजमेर सिंह, 7 गार्ड्स

110. 15389183 सिगनलमन रणबीर सिंह नेगी, सिगनल्स, 34 राष्ट्रीय राइफल

111. 9421935 पैराटूपर शरद थापा, 1 पैरा (स्पेशल फोर्स)

अरुण मित्रा
राष्ट्रपति का उप सचिव

सं० 67-प्रेज/2001—राष्ट्रपति, निम्नलिखित कार्मिकों को असाधारण साहसपूर्ण कार्य के लिए "नौसेना मेडल" प्रदान किए जाने का सहर्ष अनुमोदन करते हैं :—

1. लेफ्टि० कमांडर सुधीर गुहा, (02432-ए)
2. गोवर्धन सिंह तंवर, सीपीओ आरसी1 (एसडी) (160358-ए)
3. ए०के० शांति भाई पटेल, एलएस आरपी1 (167295-टी)

अरुण मित्रा
राष्ट्रपति का उप सचिव

सं० 68-प्रेज/2001—राष्ट्रपति, निम्नलिखित कार्मिकों को असाधारण साहसपूर्ण कार्य के लिए "वायुसेना मेडल" प्रदान किए जाने का सहर्ष अनुमोदन करते हैं :—

1. विंग कमांडर राकेश कुमार नेगी (15869) फ्लाइंग (पायलट
2. विंग कमांडर अरुन तिल्लू समतानी (17002) फ्लाइंग (पायलट)
3. स्क्वाड्रन लीडर जॉर्ज थामस (17722) फ्लाइंग (पायलट)
4. स्क्वाड्रन लीडर धर्मेंद्र सिंह (18580) फ्लाइंग (पायलट)
5. फ्लाइट लेफ्टि. प्रणय दीक्षित (22726) फ्लाइंग (पायलट)

अरुण मित्रा
राष्ट्रपति का उप सचिव

सं० 69-प्रेज/2001—राष्ट्रपति, ब्रिगेडियर राज कुमार करवाल (आई-सी-24652), से० मे० वि० से० मे०, इन्फैंट्री को असाधारण कर्तव्यपरायणतापूर्ण कार्यों के लिए "सेना मेडल का बार" प्रदान किए जाने का सहर्ष अनुमोदन करते है ।

बरुण मित्रा
राष्ट्रपति का उप सचिव

सं० 70-प्रेज/2001—राष्ट्रपति, कमाडर पंकज माधव जोशी नौ० मे० (02114-बी) को असाधारण कर्तव्यपरायण-तापूर्ण कार्यों के लिए "नौसेना मेडल का बार', प्रदान किए जाने का सहर्ष अनुमोदन करते हैं ।

बरुण मित्रा
राष्ट्रपति का उप सचिव

सं० 71-प्रेज/2001—राष्ट्रपति, निम्नलिखित कार्मिकों को असाधारण कर्तव्यपरायणतापूर्ण कार्यों के लिए 'सेना मेडल' प्रदान किए जाने का सहर्ष अनुमोदन करते हैं :—

1. ब्रिगेडियर आनन्द सागर भगत (आई सी-19029), सिग्नल्स
2. ब्रिगेडियर देवावरम विक्टर डेविड ऐज़हर (आई सी-24926) इन्फैंट्री, वि० से० मे०
3. ब्रिगेडियर नोबल थंबूराज (आई सी-23276), इंजीनियर्स
4. ब्रिगेडियर कंवर लाल (आई सी-32136), वायु रक्षा तोपखाना
5. कर्नल राज नन्दन सिंह (आई सी-31351), असम, 35 राष्ट्रीय रायफल्स
6. कर्नल इन्दर प्रीत सिंह गिल (आई सी-34474), 3 सिख लाईट इन्फैंट्री
7. कर्नल रामाचन्द्रन भानातिल (आई सी-34501), इन्फैंट्री, 12 राष्ट्रीय राईफल्स
8. कर्नल देवेन्द्र कुमार पुरोहित (आई सी-35153), 9 महार
9. कर्नल कुलदीप चंद डोगरा (आई सी-35169), इन्फैंट्री, 12 राष्ट्रीय राईफल्स
10. कर्नल विनोद कुमार अवस्थी (आई सी-35274), इन्फैंट्री, 36 राष्ट्रीय राईफल्स
11. कर्नल नीरज बाली (आई सी-35538), बिहार, 24 राष्ट्रीय राईफल्स
12. कर्नल मोहम्मद मकबूल शाह (आई सी-35653), 16 मराठा लाईट इन्फैंट्री
13. कर्नल महेन्द्र सिंह हाडा (आई सी-36010), 13 कुमांऊ
14. कर्नल संजय कुलकर्णी (आई सी-37022), शौर्य चक्र, इन्फैंट्री, 26 राष्ट्रीय राईफल्स
15. कर्नल सैयद अहमद अली (आई सी-37061), 15 कुमांऊ
16. कर्नल सतीश कुमार दुआ (आई सी-38311), 8 जम्मू-कश्मीर लाईट इन्फैंट्री
17. कर्नल ललित मोहन चमोला (आई सी-38373), मराठा लाइट इन्फैंट्री, 17 राष्ट्रीय राईफल्स
18. कर्नल अजय शाह (आई सी-38645), गढ़वाल राई-फल्स, 14 राष्ट्रीय राईफल्स
19. कर्नल दलबीर सिंह चहल (आई सी-39126) 2/9 गोरखा राईफल्स
20. लैफ्टिनेंट कर्नल मनदीप ग्रेवाल (आई सी-37968), 15 डोगरा
21. लैफ्टिनेंट कर्नल के० के० अनिल कुमार (आई सी-40830) 5 आसाम रेजिमेंट
22. लैफ्टिनेंट कर्नल प्रणव कुमार लाहरी (एम आर-04882) रक्षा चिकित्सा कोर, 92 बेस हॉस्पिटल
23. मेजर मोहन विजाकाट (आई सी-41729), सिग्नल्स
24. मेजर देवब्रत ओहरी (आई सी-43344), कवचित कोर, 26 राष्ट्रीय राइफल्स
25. मेजर उमेश चन्द्र प्रसाद (आई सी-43516), इंजीनियर्स
26. मेजर मनीष मोहन ऐरी (आई सी-48085), जम्मू-कश्मीर लाइट इन्फैंट्री, 31 राष्ट्रीय राइफल्स (कमांडो)
27. मेजर राजेश मिश्रा (आई सी-53263), 8 महार
28. मेजर चन्द्रशेखरन पिल्लै (एफ एल-3798), वि.से.मे., इलैक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल इंजीनियर्स
29. कैप्टन संजय हुडा (आई सी-50696), इंजीनियर्स
30. कैप्टन वकील कुमार (आई सी-56646) आसूचना कोर
31. 1568933 हवलदार शेडगे दिलीप दगडु, 117 इंजीनियर रेजिमेंट
32. 3386121 हवलदार देविन्दर सिंह, 14 सिख
33. 2683591 लांस नायक श्याम सुन्दर सिंह, 14 ग्रेनेडियर्स
34. 2791634 सिपाही भैरू पाटिल, 26 मराठा लाइट इन्फैंट्री
35. 9096981 राइफलमैन सजाद अली वानी, जम्मू-कश्मीर लाइट इन्फैंट्री, 9 राष्ट्रीय राइफल्स
36. 6954971 ऑफ्टसमैन कमल सिंह सेना आयुधकोर

बरुण मित्रा
राष्ट्रपति का उप सचिव

सं० 72-प्रेज/2001—राष्ट्रपति निम्नलिखित कार्मिकों को असाधारण कर्तव्यपरायणतापूर्ण कार्यों के लिए 'नौ सेना मेडल' प्रदान किए जाने का सहर्ष अनुमोदन करते हैं :—

1. कैप्टन आनंद यसवन्त कलसकर, वि०सें०मे०(01532-एफ)
2. कैप्टन विजय कुमार नामबल्ला, (40689-जेड)
3. कैप्टन निकुन्ज किशोर मिश्रा (50576-डब्ल्यू)
4. कमांडर सुभाशीष भौमिक (01746-टी)
5. कमांडर जॉर्ज अब्राहम (01833-आर)
6. कमांडर विनय बधवार (02437-एन)
7. नरेन्द्र राम, चीफ पेटी ऑफिसर सी बी I (104587-जेड)

बरुण मित्रा
राष्ट्रपति का उप सचिव

सं० 73-प्रेज/2001—राष्ट्रपति, निम्नलिखित कार्मिकों को असाधारण कर्तव्यपरायणतापूर्ण कार्यों के लिए 'वायु सेना मेडल' प्रदान किए जाने का सहर्ष अनुमोदन करते हैं :—

1. ग्रुप कैप्टन मोतीलाल नल्लूरी (13911) फ्लाइंग (पायलट)
2. ग्रुप कैप्टन मनमोहन सूद (13945) फ्लाइंग (पायलट)
3. ग्रुप कैप्टन इन्दर सिंह (14082) फ्लाइंग (पायलट)
4. विंग कमांडर राघवेन्द्र नाथ जोशी (15432), फ्लाइंग (पायलट)
5. विंग कमांडर परमजीत सिंह मान (15570), फ्लाइंग (पायलट)
6. विंग कमांडर गिरीश बबन देव (15681), फ्लाइंग (पायलट)
7. विंग कमांडर उमेश शास्त्री (15698), फ्लाइंग (पायलट)
8. विंग कमांडर अनिल खोसला (15871), फ्लाइंग (पायलट)
9. विंग कमांडर श्याम बिहारी प्रसाद सिन्हा (16053), फ्लाइंग (पायलट)
10. विंग कमांडर स० हरपाल सिंह (16071), फ्लाइंग (पायलट)
11. विंग कमांडर बालाकृष्णन सुरेश (16206), फ्लाइंग (पायलट)
12. विंग कमांडर जसजीत सिंह क्लेर (16225), फ्लाइंग (पायलट)
13. विंग कमांडर तजिन्दर सिंह सरीन (17138), फ्लाइंग (पायलट)
14. 669018 जूनियर वारंट ऑफिसर कानिया वीटिल राजीव, फ्लाइट इंजीनियर

बरुण मित्रा
राष्ट्रपति का उप सचिव

सं० 74-प्रेज/2001—राष्ट्रपति, "आपरेशन विजय" तथा "प्रति विद्रोही संक्रियाओं" के संबंध में "सेनाध्यक्ष" "नौसेनाध्यक्ष" तथा "वायु सेनाध्यक्ष" से रक्षा मंत्री को प्राप्त "उल्लेख पत्रों" में निम्नलिखित अफसरों/कार्मिकों के नामों को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए जाने के लिए सहर्ष आदेश देते हैं :—

सेना — आपरेशन विजय

1. आईसी-35164 कर्नल रयान पीटर लोबो, 8 गोरखा राईफल
2. आईसी-35375 कर्नल प्रेम मंडोत्रा, 18 पंजाब
3. आईसी-35419 इंद्रपाल सिंह आहुजा, 106 इंजीनियर रेजिमेंट
4. जेसी-225769 सूबेदार एम छोक्कर, 2 इंजीनियर रेजिमेंट
5. जेसी-306680 नायब सूबेदार वी विजय कुमार, 2 इंजीनियर रेजिमेंट
6. 1379613 हवलदार चेरुकुई राममोहन राव, 14 इंजीनियर रेजिमेंट
7. 4186894 सिपाही शंभु नाथ यादव, 13 कुमाऊं

आपरेशन रक्षक

8. आईसी-50136 मेजर निकेत सूदा, 51, इंजीनियर रेजिमेंट
9. आईसी-53556 कैप्टन अब्राहम नोबल, आर्टि०, 314 फील्ड रेजिमेंट
10. आई-57455 कैप्टन प्रवीन कुमार, वीर चक्र, 14 सिख
11. जेसी-448380 सूबेदार कर्मबीर सिंह, 3 ग्रेनेडियर
12. जेसी-558651 नायब सूबेदार राम तपस्या सिंह 7 बिहार
13. 4265233 नायक धुरेन्दर राय, 7 बिहार
14. 3988411 नायक महीं राम शर्मा 12 डोगरा
15. 2685111 लांस नायक जितेन्द्र कुमार, 3 ग्रेनेडियर्स
16. 5451653 लांस नायक फत्ता बहादुर मगारंगी, 6/5 गोरखा राइफल (एफ एफ)
17. 4566501 सिपाही वी बी साहब रोहिदास, महार 1 राष्ट्रीय राईफल (मरणोपरांत)
18. 3393891 सिपाही कुलवीर सिंह, सिख, 16 राष्ट्रीय राईफल (मरणोपरांत)
19. 1490719 सैपर तैप्पी, 51 इंजीनियर रेजिमेंट
20. 2688072 ग्रेनेडियर धर्मबीर, 3 ग्रेनेडियर
21. 2686976 ग्रेनेडियर प्रकाश चन्द, 6 ग्रेनेडियर्स

आपरेशन मेघदूत

22. आईसी—56976 कैप्टन हरमीत देसाई, 26 मराठा लाइट इन्फैंट्री
23. एसएस—37049 कैप्टन जयदीप सिंह कवचित कोर, 26 मराठा लाइट इन्फैंट्री

24. 16315396 सैपर शेख अब्दुल, 2 इंजीनियर रेजिमेंट (मरणोपरान्त)

ऑपरेशन राइनो

25. आईसी—35487 कर्नल नरेन्द्र पाल सिंह हीरा, 15 सिख लाइट इन्फेन्ट्री

26. आईसी—38682 कर्नल अभिनन्दन कुमार सिंह, 18 सिख

27. आईसी—44746 मेजर सुरिन्दर सिंह संधु, आर्टिलरी 18 फील्ड रेजिमेंट

28. आईसी—50180 कैप्टन कुण्डी राज जोर्सी, राजपूताना राइफल, 1 आसूचना प्लाटून

29. आईसी—51801 कैप्टन सुरेन्द्र सिंह, 6 जाट

30. आईसी—54443 कैप्टन जतिन्द्र पाल सिंह खेरा, 16 पंजाब

31. आरसी—728 कैप्टन शिवदासन वी, 26 मद्रास

32. आईसी—59171 लेफ्टि० राजीव शंकर, सेना सेवा कोर, 9 ग्रेनेडियर्स

33. जेसी—185190 सूबेदार जोगिन्दर सिंह, 18 सिख

34. 2480144 हवलदार मोहिंदर सिंह, 16 पंजाब

35. 9086491 हवलदार रतन सिंह, 5 जम्मू-कश्मीर लाईट इंफेंट्री

36. 3389860 लांस नायक जगरूप सिंह, 18 सिख

37. 9094695 लांस नायक मोहम्मद इकबाल, 5 जम्मू-कश्मीर लाईट इंफैंट्री

38. 3188659 सिपाही राज कुमार, 6 जाट

39. 9103306 राइफलमैन मोहिन्दर सिंह, 5 जम्मू-कश्मीर लाईट इन्फेंट्री

ऑपरेशन ऑरचिड

40. आईसी—48649 मेजर जयदीप यादव, 16 आसाम राइफल

ऑपरेशन हिफाजत

41. आईसी—51222 कैप्टन रजनीश गंभीर, आर्टिलरी, 17 आसाम राइफल

नौसेना

ऑपरेशन विजय

1. लेफ्टि. कमांडर रवि नौटियाल (03062 एच)
2. लेफ्टि. कमांडर अजय कुमार जौली (03323 ह)
3. लेफ्टि. वी. के. प्रसन्ना (04220 आर)

वायु सेना

ऑपरेशन सफेद सागर / ऑपरेशन कुकरी

1. स्क्वाड्रन लीडर मोरध्वज सिंह चौधरी (20744) फ्लाइंग (पायलट)
2. फ्लाइट लेफ्टि०, संदीप सिंह गिल (21832) फ्लाइंग (पायलट)
3. 250186 मास्टर वारंट ऑफिसर सुसाई अरुल सुसाई माइकल, इंजन फिटर
4. 918713 वारंट ऑफिसर गणपति यादवी पाण्डियन, रडार फिटर
5. 642573 वारंट ऑफिसर राम इकबाल सिंह, फ्लाइट इंजीनियर
6. 678551 सार्जेंट रामाकृष्णा सुपति, एयर फ्रेम फिटर
7. 696891 सार्जेंट शशी कुमार चोनह, फ्लाइट इंजीनियर

वरुण मित्रा, राष्ट्रपति का उप-सचिव

सं० 75-प्रेज/2001—राष्ट्रपति विभिन्न पदकों एवं अलंकरणों को धारण करने के लिए निम्नलिखित पूर्वता-क्रम का निर्धारण करते हैं। इससे इस सचिवालय से जारी की गई दिनांक 11 नवम्बर, 1998 की अधिसूचना सं० 104-प्रेज/98 का अधिक्रमण हो जाता है :—

1. भारत रत्न
2. परम वीर चक्र
3. अशोक चक्र
4. पद्म विभूषण
5. पद्म भूषण
6. सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक
7. परम विशिष्ट सेवा पदक
8. महावीर चक्र
9. कीर्ति चक्र
10. पद्म श्री
11. सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक
12. उत्तम युद्ध सेवा पदक
13. अति विशिष्ट सेवा पदक
14. वीर चक्र
15. शौर्य चक्र
16. शौर्य के लिए राष्ट्रपति का पुलिस एवं अग्निशमन सेवा पदक
17. शौर्य के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक
18. शौर्य के लिए राष्ट्रपति का अग्निशमन सेवा पदक
19. शौर्य के लिए राष्ट्रपति का सुधारात्मक सेवा पदक
20. शौर्य के लिए राष्ट्रपति का होम गार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा पदक
21. युद्ध सेवा पदक
22. सेना/नौसेना/वायु सेना पदक
23. विशिष्ट सेवा पदक

24. शौर्य के लिए पुलिस पदक
25. शौर्य के लिए अग्निशमन सेवा पदक
26. शौर्य के लिए सुधारात्मक सेवा पदक
27. शौर्य के लिए होम गार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा पदक
28. उत्तम जीवन रक्षा पदक
29. पराक्रम पदक
30. सामान्य सेवा पदक–1947
31. सामान्य सेवा पदक–1965
32. विशिष्ट सेवा पदक
33. समर सेवा स्टार–1965
34. पूर्वी स्टार
35. पश्चिमी स्टार
36. सियाचिन ग्लेशियर पदक
37. रक्षा पदक–1965
38. संग्राम पदक
39. सैन्य सेवा पदक
40. हाई अल्टीट्यूड पदक
41. पुलिस (विशेष ड्यूटी) पदक–1962
42. विदेश सेवा पदक
43. उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस एवं अग्निशमन सेवा पदक
44. उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक
45. उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का अग्निशमन सेवा पदक
46. विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का सुधारात्मक सेवा पदक
47. उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का होम गार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा पदक
48. सराहनीय सेवा पदक
49. दीर्घ सेवा एवं सदाचरण पदक
50. सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक
51. सराहनीय सेवा के लिए अग्निशमन सेवा पदक
52. सराहनीय सेवा के लिए सुधारात्मक सेवा पदक
53. सराहनीय सेवा के लिए होम गार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा पदक
54. जीवन रक्षा पदक
55. प्रादेशिक सेना अलंकरण
56. प्रादेशिक सेना पदक
57. भारतीय स्वतंत्रता पदक–1947
58. स्वतंत्रता पदक–1950
59. स्वतंत्रता की स्वर्ण जयन्ती पदक
60. 25वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ पदक
61. 30 वर्ष की सेवा पदक
62. 20 वर्ष की सेवा पदक
63. 9 वर्ष की सेवा पदक
64. राष्ट्र मंडल अलंकरण
65. अन्य अलंकरण

वरुण मित्रा,
राष्ट्रपति का उप सचिव

लोक सभा सचिवालय

(प्राक्कलन समिति शाखा)

नई दिल्ली–110001, दिनांक 1 मई 2001

प्राक्कलन समिति (2001–2002) के सदस्य

सं० 4/2/ई० सी०/2001.—लोक सभा के निम्नलिखित सदस्यों को प्राक्कलन समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने हेतु 30 अप्रैल, 2002 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए निर्वाचित किया गया है :—

1. श्री जी० एम० बनातवाला
2. श्री एम० वेंगरप्पा
3. श्री सुरेन्द्र सिंह बरवाला
4. श्री लाल मुनि चौबे
5. श्री ए० बी० ए० गनी खां चौधरी
6. श्रीमती शीला गौतम
7. श्री अनंत गंगाराम गीते
8. श्री शंकर प्रसाद जायसवाल
9. श्री विनोद खन्ना
10. श्री एन० एन० कृष्णदास
11. डा० सी० कृष्णन
12. श्री ए० कृष्णास्वामी
13. डा० राम कृष्ण कुसमरिया
14. श्री पी० आर० किन्डिया
15. श्री समीक लाहिड़ी
16. श्री सनत कुमार मंडल
17. श्री मंजय लाल
18. श्री श्याम बिहारी मिश्र
19. श्री नागमणि
20. प्रो० रासासिंह रावत
21. श्री जी० गंगा रेड्डी
22. श्री अब्दुल रशीद शाहीन
23. श्री चंद्र नाथ सिंह
24. श्री महेश्वर सिंह
25. श्री रामपाल सिंह

26. श्री कोडीकुनील सुरेश
27. श्री लाल बिहारी तिवारी
28. श्री शंकर सिंह वाघेला
29. प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु
30. श्री रवि प्रकाश वर्मा

अध्यक्ष महोदय ने प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु, संसद सदस्य को प्राक्कलन समिति (2001-2002) का सभापति नियुक्त किया है।

के० एल० नारंग
निदेशक

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 29 मार्च 2001

सं० एफ० 9-18/2000-यू-3.—चेन्नई चिकित्सा कालेज और अनुसंधान संस्थान को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम (1956) की धारा 3 के प्रावधान के अधीन इस मंत्रालय की दिनांक 7 जुलाई, 1998 की अधिसूचना संख्या एफ० 9-3/97-यू-3 के द्वारा इस शर्त पर सम विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया था कि तीन वर्ष के बाद इसकी समीक्षा की जायेगी।

राज्य सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर केन्द्र सरकार ने एतद् द्वारा चेन्नई चिकित्सा कालेज और अनुसंधान संस्थान का सम विश्वविद्यालय का दर्जा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है और यह संस्था सम विश्वविद्यालय की घोषणा से पूर्व प्रचलित स्थिति में प्रत्यावर्तित हो गई है।

पी० के० गुप्ता,
उप सचिव

पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय

(संस्कृति विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 3 अप्रैल 2001

संकल्प

संख्या एच. 15/11/2000 स्था.—इस विभाग के दिनांक 4 मई 2000, 22 जून 2000 और 27 जून 2000 के समसंख्यक संकल्प के क्रम में, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की समीक्षा समिति का कार्यकाल दिनांक 30 जून 2001 तक बढ़ाया जाता है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी संबंधितों को भेजी जाये।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को जन सामान्य के सूचनार्थ भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये।

एल० खियांते
उप-सचिव

विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 15 जनवरी 2001

सं० 6/2/97-ट्रांस०—दिनांक 4 अगस्त, 1997 को जारी विद्युत मंत्रालय के समसंख्यक संकल्प के आंशिक संशोधन में निदेशक (वित्त एवं वाणिज्यिक), न्यूक्लीयर पावर कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (एन०पी०सी०आई०एल०) को कार्यकारी निदेशक (ओ) वित्त ऊर्जा विभाग/एन०पी०सी आई० एल० के स्थान पर दक्षिणी, पश्चिमी, पूर्वी, उत्तर-पूर्वी और उत्तरी क्षेत्र के क्षेत्रीय विद्युत बोर्डों के संबंध में ऊर्जा विभाग/एन०पी०सी०आई०एल० का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया जाता है।

अन्य संघटक वही रहेंगे।

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त संकल्प पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली की राज्य सरकारों, चण्डीगढ़ के केन्द्र शासित प्रशासन, भाखड़ा प्रबंधन बोर्ड, पावरग्रिड कार्पोरेशन लि० उत्तरी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्रीय एन०टी०पी०सी०, एन०एच०पी०सी०, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, भारत सरकार के सभी मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति के सचिव, योजना आयोग, तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार को प्रेषित किया जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प आम सूचना हेतु भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

जे० वासुदेवन,
अपर सचिव

दिनांक 11 अप्रैल 2001

संकल्प

सं० 3/1/2001-ट्रांस I—विद्युत मंत्रालय के संकल्प सं० 7/5/82-ट्रांस, दिनांक 9 अगस्त, 1982 में आंशिक संशोधन करते हुए केन्द्रीय विद्युत एवं दूरसंचार समन्वय समिति

को निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार पुनर्गठित करने का निर्णय लिया गया है :—

समिति का गठन

1.	मुख्य अभियंता (एलडी एंड टी), प्रत्येक वैकल्पिक केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, नई दिल्ली ।	वर्ष में अध्यक्ष
2.	मुख्य महाप्रबन्धक, परेषण एवं वितरण सर्किल, भारत संचार निगम लि० (बीएसएनएल), जबलपुर	—वही—
3.	निदेशक (पीटीसीसी) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण	सचिव (बिजुत)
4.	जीजीएम, पारेषण और वितरण सर्किल, बीएसएनएल, जबलपुर	सचिव (दूरसंचार)
5.	निदेशक (दूरसंचार), रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली	सदस्य
6.	निदेशक (एमएल), संचार मंत्रालय	सदस्य
7.	एसएलपीटीसीसी के अध्यक्ष/सह-अध्यक्ष	सदस्य
8.	निदेशक (जीपी), संचार मंत्रालय	सदस्य
9.	सशस्त्र सेना मुख्यालय के प्रतिनिधि	सदस्य
10.	डीडीजी (एनई), टीईसी, बीएसएनएल, हैदराबाद	सदस्य
11.	डीईटी (पीटीसीसी), पारेषण और वितरण सर्किल, बीएसएनएल	एमोसिएट सदस्य

2. समिति का मुख्यालय दिल्ली में होगा तथा डाक एवं तार निदेशालय सचिवालय सेवा उपलब्ध करायेंगे ।

3. समिति का गठन :

(क) उक्त विषय पर सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी मौजूदा नियमों एवं विनियमों का अध्ययन एवं वर्तमान शोधों तथा विकासों एवं अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रचलित व्यवहारों के मद्देनजर अपेक्षित संशोधन सुझाना, यदि कोई हो ।

(ख) समन्वय की समस्या से सम्बन्धित वैज्ञानिक एवं क्षेत्र अध्ययन शुरू करना ।

(ग) सभी समन्वय सम्बन्धी मामलों की जांच एवं अध्ययन तथा किए जाने वाले उपायों की सिफारिश करना ।

4. उपरोक्त कार्यों को पूरा करने के लिए समिति भारत संचार निगम लि० (बीएसएनएल) की अभियांत्रिकी शाखा से, केन्द्र एवं राज्य सरकारों के अभियांत्रिकी विभागों से तथा देश के अन्य वैज्ञानिक संगठनों जैसे भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर तथा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली से सहायता ले सकती है ताकि यह विभिन्न क्षेत्र अध्ययन एवं प्रयोग पूरे कर सकें ।

5. इस प्रयोजन से कि क्षेत्र जांच एवं अन्वेषण कार्य समिति की ओर से विभिन्न वैज्ञानिक निकायों तथा बीएसएनएल पूरा करे, यह सिफारिश की जाती है कि केन्द्रीय एवं राज्य सरकारें जिनकी समन्वय समस्याओं पर विचार किया जाना है, इस उद्देश्य से अपने वार्षिक बजट में आवश्यक एकमुश्त अनुदान का प्रावधान करें ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त संकल्प की सूचना सभी राज्य सरकारों, नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन, नेशनल हाईड्रोलिक पावर कार्पोरेशन, पावरग्रिड कार्पोरेशन आफ इंडिया लि०, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, सभी क्षेत्रीय बोर्डों भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति के सचिव, योजना आयोग तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को दे दी जाए ।

आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त संकल्प को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए ।

जे० वासुदेवन, अवर सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 26th January 2001

No. 56-Pres/2001.—The President is pleased to approve the award of KIRTI CHAKRA to the undermentioned persons for the acts of conspicuous gallantry :—

1. LIEUTENANT MAYEKAR NARENDRA ATMA RAM (SC-00135) EME, 11 SIKH (POSTHUMOUS)

(Effective date of the award 26th February, 2000).

Lieutenant Mayekar Narendra Atmaram on receipt of specific information, carried out search of a locality in village Bagariguri, District Nagaon, Assam where hardcore ULFA militants were hiding. While approaching the house at about 2230 hours on 26 February 2000 he was suddenly fired upon from the house and hit in the abdomen. With utter disregard to his personal safety he charged into the house with his party. Though bleeding profusely he engaged the militants in a hand to hand fight and killed two of them fighting at close quarters. He exhorted his party to take on the other militants. His gallant and spontaneous action greatly inspired his men and resulted in the killing of three hardcore ULFA militants and recovery of arms, ammunition and incriminating documents. The officer refuse to eb evacuated till all the militants were killed. He later succumber to his injuries.

Lieutenant Mayekar Narendra Atmaram displayed cool courage, conspicuous braverv, indomitable spirit and made the supreme sacrifice in the best traditions of the Indian Army.

2. MAJOR PRADEEP R TATHAWADE (IC-41913) 8, JAMMU AND KASHMIR LIGHT INFANTRY (POSTHUMOUS)

(Effective date of the award 17th June, 2000).

On 17 June 2000, in an operation at Shahpur, Poonch District in Jammu and Kashmir, Major Pradeep Tathawade, Second-in-command, volunteered to lead the search for five hardcore foreign mercenaries. The officer displayed dynamic leadership in tracking them to a re-entrant replete with dense foliage. He sprung the cordon, disposing troops adroitly. Heavy exchange of fire ensued, during which the officer noticed three terrorists attempting to escape, undeterred

by heavy firing, he crawled forward to outflank them, disregarding own safety. He then broke cover at close quarters and shot two terrorists dead. His charge to intercept the third militant locked them in a hand-to hand combat before they both fired at each other. The officer was fatally wounded before his buddy shot the terrorist dead. The gallant officer succumbed to his wounds when being evacuated.

Major Pradeep R Tathawade displayed conspicuous gallantry, unparalleled courage and devotion to duty in the face of terrorists fire and made the supreme sacrifice.

3. CAPTAIN R SUBRAMANIAN (IC-56963), 1 PARA (SPECIAL FORCE) (POSTHUMOUS)

(Effective date of the award 18th June, 2000)

On 17th June 2000, when Captain R Subramanian had rejoined from casual leave, his team was already inducted in HAPHRUDA Forest in Jammu and Kashmir. He joined the scene of action, where his team had established contact with a group of infiltrating foreign terrorists at 1430 hours on 18th June 2000. The ensuing encounter resulted in killing of six foreign terrorists and recovery of one RPG Launcher and two AK 27 Rifles. The following day at 0700 hours on 19 June 2000, when the search of the area resumed, Captain R Subramanian volunteered to lead from the front. At 0800 hours, the leading scouts were fired upon and pinned down from very close range. Captain R Subramanian, with disregard to his personal safety, closed onto the terrorists from the flank and short two of them dead. However, a third hiding foreign terrorist, fired an AK 47 burst, injuring him grievously. Totally disregarding his wounds, he assaulted the terrorist and shot him dead before succumbing to his injuries.

Captain R Subramanian, thus, displayed conspicuous courage, valour and outstanding combat leadership in the face of the militants and made the supreme sacrifice.

4. LIEUTENANT RAVINDER CHHIKARA (IC 58158), 6 GRENADIERS (POSTHUMOUS)

(Effective date of the award 19th July 2000).

On 19th July 2000, Lieutenant Ravinder Chhikara lead a Ghatak Platoon during an operation in village Naili, district Rajouri in Jammu and Kashmir. On receipt of specific information, Lieutenant Ravinder Chhikara launched an operation at 1030 hours. His team came under heavy fire from well-entrenched terrorists pinning them down. Without caring for his personal safety he maneuvered to a flank amidst flying bullets and charged the fotified location killing one terrorist in a fierce fire-fight. Other terrorists fired and took advantageous position behind boulders. The officer chased these terrorists and killed one more but suffered bullet injuries on his chest. Inspite bleeding profusely he jumped on another terrorist and killed him in a hand to hand fight before attaining martyrdom. Inspite by his exemplary leadership the pinned down troops charged and killed three more militants, thus resulting in killing of a total of six terrorists with recovery of huge quantity of arms and ammunition.

Lieutenant Ravinder Chhikara displayd conspicuous bravery and dedication beyond the call of duty with total disregarded to personnel safety and made the supreme sacrifice.

5. WING COMMANDER RAJIV KOTHIYAL (15656) (FLYING PILOT)

(Effective date of the award [illegible])

Wing Commander Rajiv Kothiyal was [illegible] a Fighter Pilot in the Indian Air Force on 15th June, 1979. After successful stints in various fighter squadrons, he served as Flight Commander in a front-line air superiority MIG-29 squadron. On completion of this tenure, he was selected to undergo the Experimental Test Pilot Course at the United States Air Force Test Pilot School. He graduated successfully from this prestigious institution in May, 1990. In February 1995, Wg Cdr Kothiyal was selected [illegible] Test Pilot [illegible] point. Since [illegible] of the [illegible] the most important [illegible] The successful development of control law for the Digital Fly-by-wire Control [illegible], the Cockpit [illegible] and the pilot's check lists and emergency procedures are attributed to Wg Cdr Kothiyal's professional [illegible] and application of mind [illegible] the development activities. Wg Cdr K[illegible] the task of undertaking [illegible] flight of the first prototype of the LCA [illegible]. [illegible] when an aircraft [illegible], with a Fly-by-wire System. This [illegible] packed with computerised flying controls, which enable unstable aircraft to be flown with a very high degree of [illegible]. Wg Cdr Kothiyal meticulously planned [illegible] and ensured that every [illegible]. Wg Cdr Kothiyal flew the maiden test flight in the most exemplary manner.

Wg Cdr Rajiv Kothiyal in this pioneering act displayed exceptional professionalism [illegible] that were in keeping with the highest traditions of the Indian Air Force.

BARUN MITRA
Deputy Secretary to the President

No. 57-Pres/2001—The President is pleased to approve the award of SHAURYA CHAKRA to the undermentioned persons for the acts of gallantry :—

1. SHRI DHARAM PAL, JAMMU AND KASHMIR

(Effective date of the award 12th September 1999)

On 12th September, 1999 at about 2100 hours, two armed militants approached Smt Bimla Devi and her son Shri Dharam Pal who were the only members present in the house. The militants [illegible] and asked for food and water. Smt. Bimla Devi [illegible] and asked the militants to come inside the house. Shri Dharam Pal engaged the militants in talks while his mother went out of house on the pretext of fetching water and informed the neighbours. In the meantime, one militant who became suspicious went out and on seeing the approaching villagers he tried to flee. Shri Dharam Pal immediately chased him. The militant tried to fire at Shri Dharam Pal but before he could do so, Shri Dharam Pal jumped on him and snatched away the weapon from the militant and overpowered him. Another militant was captured by her mother and villagers. One of the captured militants was a Pakistani soldier. The capture also led to the recovery of [illegible] and ammunition.

Shri Dharam Pal thus displayed exemplary courage, presence of mind in [illegible] and capturing an armed militant [illegible] to his life.

2. SHRI SURJIT SINGH, JAMMU AND KASHMIR

(Effective date of the award 19th July, 1999)

On 19th July, 1999, at about 2130 hours, a group of militants attacked the residents of village Lehota, Tehsil-Thathri, District-Doda, Jammu & Kashmir and opened indiscriminate firing with sophisticated weapons. There was one village Defence Committee (VDC) [illegible] and at the time of incident two VDC members were on duty [illegible]. They retaliated back the fire but received bullet injuries, and consequently died on the spot. Other VDC members [illegible] took their [illegible]. But [illegible] and [illegible] five VDC [illegible] fired upon the militants [illegible] of his [illegible]

father and started firing on militants. The boy fired upon the militants throughout the night and did not allow them to come near the village. Shri Surjit Singh gave a tough resistance to the militants and fought bravely against them.

Shri Surjit Singh showed exemplary courage, presence of mind and bravery in fighting the heavily armed militants and saved the lives of many villagers from the militants.

3. Shri Amrik Singh
Jammu and Kashmir

(Effective date of the award 19th July, 2000)

On 19th July, 1999 at about 2130 hours, a group of militants attacked the residents of village Lchota, Tehsil-Thathri, District Doda, Jammu & Kashmir and opened indiscriminate firing with sophisticated weapons. There was one Village Defence Committee (VDC) consisting of nine members and at the time of incident, two VDC members were on duty in the bunkers. They retaliated back the fire but received bullet injuries and consequently died on the spot. Other VDC members also took their positions and fired back. But by that time militants had come near the village and started throwing grenades inside the houses through windows and chimneys. In this grenade blasts and heavy firing, five VDC members and ten civilians were killed. Shri Amrik Singh of the same village played an important role after his father Shri Krishan Lal got killed in this incident. He took the weapon of his father and started firing upon militants. This gave a surprise to the militants. The boy fired upon militants, gave them tough resistance throughout the night and did not allow them to come near the village.

Shri Amrik Singh showed exemplary courage, presence of mind and bravery in fighting the heavily armed militants and saved the lives of many villagers from the militants.

4. Major Devendra Singh Mankoti, SM (IC-45651)
15 Sikh Light Infantry

(Effective date of the award 19th February, 2000)

On 19th February 2000 a source informed Major DS Mankoti that some NDFB militants were likely to come to simalguri Market in Lakhimpur, Assam for extortion. He quickly planned a covert operation and made a rendezvous at a tea shop in the market at fixed time. Using a civil vehicle, with one more officer and an OR, in civil cloths, he went to the market and walked to the shop alone to avoid suspicion. The source inside the shop unobtrusively identified the militant standing outside the shop when Major Mankoti turned back to fetch his party, the militant got suspicious and blocked his way by placing pistol on officer's chest and questioned his identity. In the ensuing hand to hand fight, the militant fired six rounds which missed the officer. Mankoti tripped the militant and quickly drawing out his pistol, shot the militant dead. In the mean time, another militant opened fire at Major Mankoti who fired back hitting him on the chin. In the following pursuit one more bullet hit the militant on the shoulder. As the officer had to change the empty magazine of the pistol, the militant fled to the adjoining thicket and eloped but was later reported to have succumbed to his injuries.

Major D. S. Mankoti displayed gallantry, courage and relentless offensive action in the face of militants.

5. Lieutenant Lalit Kumar Sharma (SS-37816)
Army Ordnance Corps, 18 Sikh

(Effective date of the award 21st March 2000)

On 21st March, 2000 based on specific information, Lt. Lalit Kumar Sharma alongwith his team immediately set out to carryout search operation in village Ban Moia, Assam. As the search party led by the officer approached the house complex the militants opened up with automatic weapons from very close quarters. In the ensuing fire fight the officer shot dead one dreaded militant. One AK 56 rifle was recovered. The officer also received gun shot wound from militant fire in right knee. Unmindful of his injury and putting his life into utmost danger he chased the remaining militants. After a fierce gun battle at close quarters he shoot dead a hardcore militant. He chased the remainder lot through water-logged fields and thick vegetation and on rejoining by his radio operator together they fired and injured the third militant who was later found dead with his AK-56 Rifle. Though bleeding profusely, the officer refused evacuation and continued directing operations and exhorting his men till he was forcibly removed to a safer place and was evacuated.

Lt Lalit Kumar Sharma displayed indomitable courage, strong determination and leadership of a high order in the face of the militants.

6. Major Jose Mavelil George (IC-43714), Artillery, Assam Rifles

(Effective date of the award 23rd March 2000)

On 23rd March 2000, based on specific information about the presence of some undergrounds in village Laimapokpam in Manipur. Major Jose Mavelil George sent a patrol to search the village and apprehend the undergrounds. Based on the information elicited from one underground led his men stealthily, maintaining full surprise. As they nearing a hut, heavy volume of fire came upon them from the hut.. Without losing time Major George and an other rank rushed towards the but and opened fire on the undergrounds. The other rank managed to kill two undergrounds who were firing through a window. Meanwhile three undergrounds managed to escape through the back of the thatched hut and ran towards the lake where a wooden boat was kept ready for escape. Major George, saw them and immediately rushed after the fleeing undergounds. While doing so one of the undergrounds turned around, and started firing at the officer. Showing quick reflex action and with utter disregard to his own life, Major George immediately charged towards the underground and returned the fire instantly killing that as well another fleeing underground. His team also killed fleeing militant.

Major Jose Mavelil George displayed exceptional courage, valour and leadership of the highest order in the presence of the militants.

7. 2687926 Grenadier Mohammad Ikram,
6 Grenadiers (Posthumous)

(Effective date of the award 07th April, 2000)

On 07th April, 2000 Grenadier Mohammad Ikram participated as member of search party in an operation at Village Naiti, Rajouri District in Jammu and Kashmir. At 0600 hours the search party commenced the search. While closing onto the terrorists, hiding in dense undergrowth, they came under heavy volume of effective small arms fire. At this point Grenadier Ikram observed two terrorists fleeing uphill. With complete disregard to personal safety he got up alongwith an other rank, persued the fleeing terrorists and shot dead one while injuring the other. However, the injured terrorist took cover and while Grenadier Ikram was closing onto him, fired a volley of bullets, thus, grievously injuring Grenadier Ikram. The terrorist was subsequently killed. Arms and ammunition were recovered. Grenadier Ikram, however, succumbed to his injuries.

Grenadier Mohammad Ikram displayed exemplary courage, gallantry of a high order and made the supreme sacrifice while fighting the terrorists.

8. 2670986 Company Quarter Master Havildar
Sushil Kumar

14 Grenadiers

(Effective date of the award 28th April, 2000)

On 28th April, 2000, CQMH Sushil Kumar was Section Commander during a search and destroy operation in area Malnar, in the highly rugged upper reaches of Pir Panjals, Jammu and Kashmir. During search, at 1430 hours, CQMH Sushil Kumar noticed suspicious movement in thick undergrowth in a small nala. He immediately deployed his section and proceeded to examine the area. The hidden terrorists panicked and opened indiscriminate fire. CQMH Sushil Kumar blocked the exit route of the terrorists and manoeuvred in the face of heavy volume of fire. He accosted

one terrorist at point blank range and shot him down. CQMH Sushil Kumar continued closing in without considering for personal safety. In the process, he sustained a gun shot wound in his groin. Despite grievous injury, he crawled forward and killed another terrorist. Bleeding profusely, he refused to move to a safer position and took all actions to prevent escape of any terrorist. Inspite by his example others subsequently eliminated the remaining two terrorists.

CQMH Sushil Kumar displayed exemplary gallantry, exceptional courage and utter disregard to personal safety in fighting the militants.

9. 14407226 Gunner Alappa Yadagiri Reddy (Posthumous)

Air Defence Artillery,
15 Rashtriya Rifles.

(Effective date of the award 03rd May, 2000)

Gunner Alappa Yadagiri Reddy was part of Commanding Officers Quick Reaction Team for his courage and drive. Foreign terrorists were reported in Patushai village in Jammu and Kashmir. On 03 May 2000 while inner cordon was closing-in terrorists opened indiscriminate fire from the house. Gunner Reddy was deployed alongwith an officer in the inner cordon. Force fire fight ensued. The officer charged at terrorists under covering fire of cordon party. The officer injured two terrorists, but also got injured himself. Gunner Reddy quickly moved forward and rescued the officer under heavy volume of fire of the terrorists. While doing so he was grievously wounded on his left chest yet he again charged and killed two terrorists. Gunner Reddy refused to be evacuated and showing indomitable courage, further crawled closer to the third terrorist in face of heavy fire and killed him. Gunner Reddy later succumbed to his injuries during evacuation.

Gunner Alappa Yadagiri Reddy displayed unparalleled bravery and courage beyond the call of the duty and sacrificed his life in the highest traditions of the Indian Army.

10. 5749452 Havildar Pirtha Bahadur Magar
4/8 Gorkha Rifles

(Effective date of the award 07th May, 2000)

On 06th May, 2000, on receipt of information regarding movement of terrorists in the Sire Gah Nala in Jammu and Kashmir near the LC all posts in the sub sector were put on alert. At 1030 hours on 07 May 2000 three terrorists attempting to close he LC were fired upon by the search party descending along the Nala. The terrorists turned and fled down along the Nala. Operating at above 14000 ft and over extremely difficult terrain, Hav Magar and two ORs descended at great speed and reached 100 meters above the Nala and took position. Hav Magar was the first to see the three terrorists approaching. With utter disregard to his personal safety he ran forward took kneeling position and shot dead all the three terrorists.

Havildar Pirtha Bahadur Magar displayed raw courage, aggressive spirit with total disregard to personal safety while facing the terrorists.

11. Captain Hari Raj Kumar (IC-57228),
9 Grenadiers

(Effective date of the award 08th May, 2000)

On 07 May 2000, Captain Hari Rajkumar received information about some militants having sought shelter in a house in village Pithaquti in Tinsukia, District in Assam. The officer swung into action and reached the suspected area at 0430 hours on 08 May 2000. Just as the column reached near a house in the suspected area, it was fired upon by militants. Captain Hari Rajkumar engaged the militants in a way that they would remain pinned down and any collateral damage could bt averted. He moved from man to man ensuring controlled and accurate engagement. One of the militants who was effectively engaging two members of the team, was, in a daring move, eliminated personally by the officer. The encounter resulted in the killing of five heavily armed militants and recovery of one AK 56, two AK 47, two Hand Grenades, assorted ammunition and incriminating documents. Skillful use of ground and controlled fire ensured total safety of civilians in the area.

Captain Hari Rajkumar displayed gallantry, courage, professional acumen and leadership qualities in the face of militants.

12. 4350972 Company Havildar Major Vanlal Chhuanga
Assam 35 Rashtriya Rifles

(Effective date of the award 12th May, 2000)

On 12 May 2000, CHM Vanlal Chhuanga was part of a search column in the thickly wooded Machhiyari Forest in Budgam, Jammu and Kashmir. By his keen sense and traditional jungle craft he heard a faint whistling sound on one side. He alongwith two Other Ranks moved stealthily in that direction. Seeing one terrorist cooking at a distance, he organised his team and crawled forwad. His move was detected by another terrorist who opened fire. Maintaining total calm, CHM Vanlal Chhuanga fired a long burst on the terrorist killing him instantly from a very close range. The other terrorist threw a grenade on CHM Vanlal Chhuanga. Maintaining his nerves, he threw back the grenade towards the terrorist. In the meanwhile a team member closed in and threw a grenade on the terrorist who was offering stiff resistance. Taking advantage of the situation, CHM Chhuanga charged on the terrorist, however, his AK rifle developed some snag and could not fire. Undeterred, he physically pounced on the terrorist and smashed his skull with his Rifle leaving him gasping for breath.

Company Havildar Major Vanlal Chhuanga displayed exemplary gallantry, exceptional courage and selfless service beyond the call of duty.

13. JC-211259 Subedar Rajen Basumatary, (Posthumous)
Assam 35 Rashtriya Rifles.

(Effective date of the award 14th May, 2000)

On 14 May 2000, Subedar Rajen Basumatary was part of a Heliborne Commando Platoon dropped at [illegible] in Budgam district in Jammu and Kashmir. While movement of other columns was temporarily halted due to heavy fire. Sub Basumatary alongwith his buddy stealthily closed in. Terrorists spotted their movement and lobbed two hand grenades. Sub Basumatary realising the threat to his buddy drew attention of terrorists by exposing himself and simultaneously firing at them. He in a rare show of raw courage, picked up the terrorists grenade and lobbed it back on them. Meanwhile a third terrorist fired a long burst at Sub Basumatary from a very close range, who received seven AK-56 bullets in his body and his left arm. Despite being grievously injured Sub Basumatary fiercely charged on the terrorist with his AK-47 showering bullets killing the terrorist and saved his buddy. Sub Baumatary refused evacuation till all the terrorists were eliminated. He later succumbed to his injuries.

Sub Basumatary displayed gallantry, raw courage and camaraderie and laid down his life in the highest traditions of the Indian Armys.

14. Major Sukhmeet Singh
(IC-46889),
Artillery
17 Assam Rifles

(Effective date of the award 18th May, 2000)

On 18 May 2000, on receipt of specific information regarding presence of extremists Maj Sukhmeet Singh led a column for the operation in village Wangkhei of Imphal, Assam. As the column approached the suspected house the officer ensured total safety of civilians as the area was thickly populated. To deter the undergrounds who were firing continuously, initially Maj Sukhmeet Singh crawled forward and lobbed two hand grenades in quick succession inside the house to pin the undergrounds down. Thereafter, he personally led the assault group making innovative use of caspier vehicle thereby closing in on the target house. Under the covering fire of the LMGs mounted on the Caspier vehicle he stormed into the house with his team

where they came face to face with an underground and killed him. Maj [illegible] [illegible] dashed across into one room and shot two undergrounds at point blank range who were firing consistently on the cordon party out side, and killed them on the spot. In this entire operation four undergrounds were killed and arms ammunition and warlike stores recovered.

Maj [illegible] displayed gallantry and courage and carried out his [illegible] with total disregard to his personal safety.

15. JC-[illegible] Subedar Madan Lal,

11 Dogra

(Effective date of the award 22nd May, 2000)

On 22 May 2000, Subedar Madan Lal and his party came in contact with three terrorists [illegible] from a group of two houses in village [illegible], Rajouri, Jammu and Kashmir. Sub Madan Lal entered one of the houses and killed one terrorist. On seeing this other two terrorists jumped into nearby forested Nala, Sub Madan Lal relentlessly pursued the terrorists in the Nala and simultaneously organised his party to cover both sides of the Nala. During the heavy fire fight which ensued, Subedar Madan Lal closed in the terrorists after crawling inch by inch, shot and killed one on the spot. The third terrorist panicked, ran and hid himself in a nearby Kacha house. Sub Madan Lal encircled this house and threw smoke grenade after positioning himself. He shot and killed the terrorist.

Subedar Madan Lal displayed gallantry, valour and courage while fighting the terrorists.

16. JC-518643 Subedar Desh Raj Thakur,

10 Dogra

(Effective date of the award 26th May, 2000)

On 26 May 2000 Sub Desh Raj Thakur led the Ghatak Platoon which was tasked to place cordon North of Ranjati Forest in Rajouri District of Jammu & Kashmir. At around 0525 hours, [illegible] Platoon spotted a group of terrorists [illegible]. Ghatak Platoon closed in and cordoned the [illegible]. Seeing this three terrorists ran towards the nalla. Sub Desh Raj with a party of five pursued the fleeing terrorists. After following their foot prints for an hour [illegible] they reached a place where they lost track of [illegible]. One jawan from Subedar Desh Raj's party [illegible] about some suspicious movement behind a [illegible] the gravity of situation, Subedar Desh Raj in a swift and lightning move cordoned the area. The two terrorists opened up automatic fire at him. Subedar Desh Raj rushed towards one of these terrorist [illegible] him and shot him dead at point blank range. The other terrorist with PIKA fire now pinned down Subedar Desh Raj who had by now run out of ammunition. Subedar Desh Raj crawled towards the dead terrorist and [illegible] up his AK-47 in the face of almost certain death, [illegible] through the hail of PIKA fire and shot dead the second terrorist also.

Sub Desh Raj displayed utmost zeal, cold courage, and exceptional gallantry while facing the terrorists.

17. Major Sanjay Sood (IC-[illegible]), Guards, 21 Rashtriya Rifles (Posthumous)

(Effective date of the award 22nd June, 2000)

On 22nd June [illegible] Major Sanjay Sood volunteered for an operation in [illegible] in [illegible] district of Jammu and Kashmir. As the officer's party entered the village, they were pinned down by intense fire from a house. The officer regardless of personal safety stepped into the hail of bullets and hand grenades and moved up next to the house. He lobbed two hand grenades through the open doorway to gain entry and then closed in with the terrorists. Despite suffering a gun shot wound on his neck, he engaged the terrorist in a hand to hand combat and killed him. Major Sood later succumbed to his injuries.

Major Sanjay Sood, thus, displayed raw guts, gallantry and courage in the face of terrorist and made the supreme sacrifice.

18. Captain Amit Prakash (IC-57824), Army Service Corps, 11 Sikh

(Effective date of the award 24th June, 2000)

On receipt of information about the presence of Action Group of United Liberation Front of Assam, Captain Amit Prakash, planned an operation in Lutumai Reserve Forest in District Nagaon, Assam. After two hours of walk in inhospitable terrain and incessant rain, effective cordon was established and search commenced at first light on 24 June 2000. As Captain Amit with his search party approached a thick Banana grove, they were engaged by effective small arms fire. The officer charged through the hail of bullets towards the grove and in a daring action shot the militant dead at point blank. On re-commencing the search, Captain Amit spotted another militant taking position in the field. He quickly rushed, cordoned off the field and asked the militant to surrender but the militant lobbed a grenade. Sensing great danger to his own troops, he deployed a part of his group to engage the militant and alongwith his buddy, crawled to the rear of the militant charged and shot the militant dead.

Captain Amit Prakash displayed raw courage, bravery and indomitable spirit in fighting the militants.

19. JC-498054 Subedar Sukhchain Singh, 11 Sikh

(Effective date of the award 24th June, 2000)

On 24 June, 2000, during an operation on a ULFA (United Liberation Front of Assam) hideout in Lutumai Reserve Forest, Subedar Sukhchain Singh was group commander of the search party. During the search, Subedar Sukhchain spotted one militant taking position in a haystack. He alongwith his buddy immediately cornered the militant and asked him to surrender. Instead of surrendering, the militant put up spirited fight and lobbed a hand grenade at him and tried to flee. Subedar Sukhchain, unmindful of the danger from the lobbed grenade, charged at the militant. As the grenade exploded, Subedar Sukhchain was grievously injured on his left hand and leg and started bleeding profusely. Despite this, he chased the militant and did not allow the contact to be broken. Subedar Sukhchain grappled with the militant and shot him dead in close combat. Though injured grievously and bleeding profusely he refused to be evacuated till the task was completed.

Subedar Sukhchain displayed gallantry courage and indomitable spirit in fighting the militants.

20. 2879407 Lance Havildar Nainpal Singh, Rajputana Rifles,

9 Rashtriya Rifles

(Effective date of the award 08th July, 2000)

On 08th July 2000 on specific information about presence of terrorists in villagt PHALU District Anantnag in Jammu and Kashmir a cordon and search operation was launched. The initial contact with terrorists was established at 1650 hours when one of the inner cordon party led by Lance Havildar Nainpal Singh was fired upon from a house. Intercepts and firing confirmed presence of four terrorists in two neighbouring houses. Lance Havildar Nainpal Singh's party was tasked to guard the narrow alley leading away from these houses. Despite hurling of grenades and effective fire by terrorists, Lance Hovildar Nainpal Sinyh Kept the escape route blocked. Intense fire fight ensued. At about 1810 hours, two terrorists jumped out of the burning house and started running down the alley, guarded by Lance Havildar Nainpal Singh who shot down one terrorist. By then second terrorist had closed in, Lance Havildar Nainpal Singh, physically grappled with the terrorist and killed him in a fierce hand to hand duel. Firing from the houses continued intermyttently. Later, Lance Havildar Nainpal Singh heard painful cries from one of the houses, Sensing that one of the terrorist might be injured, Lance Havildar Nainpal Singh took the initiative of searching the house with his party, Lance Havildar Nainpal Singh stormed the house first, rushed in to the room and shot dead the third terrorist at point blank range.

Lance Havildar Nainpal Singh displayed initiative, exceptional grit and raw courage in fighting the terrorists.

21. GS-159564-P Overseer Mohan Singh Border Roads Organisation (Posthumous)

(Effective date of the award 10th July, 2000)

Overseer Mohan Singh was detailed as Incharge Works for formation cutting of Hayuliang-Metangliang-Chaglohagom road, one of the China Study Group roads having national and stratagic importance. The construction of this 57 Km long stretch of road is vital for efficient management of this Sino-Indian border. The alignment of this road passes through DALAI VALLEY, comprising of rugged mountainous terrain having extensive rocky stretches. The inhospitable terrain coupled with incessant rains, poses a formidable challenge for formation cutting work. Overseer Mohan Singh was made incharge of formation cutting from KM 0.000 to KM 8.000 on this important and time bound project. At about 1300 hrs on 10th July 2000, he was standing very close to the edge of road formation towards valley side, supervising the dozer operation at a location having treacherous and rocky mass with large height of cut. Suddenly, a big boulder from hiltop started rolling down with huge debris towards the dozer and compressor deployed at work. Overseer Mohan Singh with his watchful eyes, immediately raised an alarm and instructed the dozer and compressor operators to move out to a safer place. This brave Supervisor without caring for his life then started assisting and gave a helping hand in moving the Compressor away from the site. While doing so, he however, could not get out of the way of the shooting boulder in time and got swept away by the impact of the boulder and fell 70 Meter into deep valley. As a result of the fall Overseer Mohan Singh sustained deep head injury to which he later succumbed.

Overseer Mohan Singh thus displayed exemplary courage, selfless devotion to duty in ensuring safety of government property and human lives and made supreme sacrifice.

22. Lieutenant Hari Singh Bist (IC-59276), 3/11 Gorkha Rifles (Posthumous)

(Effective date of the award 21st July, 2000)

Lieutenant Hari Singh Bist was commanding a Ghatak platoon which launched operation in village Majhiari in Jammu and Kashmir. On receipt of information regarding presence of eight militants, search and destroy operation was launched on 21st July, 2000. While approaching a group of suspected houses, they came under heavy fire. Lieutenant Bist immediately positioned support group and courageously led assault group. While closing in with the hideout, he killed one militant and continued to engage the rest. He moved towards the hideout under heavy fire. One militant suddenly appeared from maize fields and fired with PIKA MACHINE GUN injuring Lt. Bist. Bleeding profusely he continued to inspire and direct his troops to closed in and charged at the militant killing him instantly. He however, succumbed to his injuries.

Lieutenant Hari Singh Bist displayed indomitable raw courage, unparalleled valour and bold leadership in fighting the militants and made the supreme sacrifice.

BARUN MITRA
Dy. Secy. to the President

No. 58-Pres/2001.—The President is pleased to approve the award of the "Param Vishisht Seva Medal" to the undermentioned personnel for distinguished service of the most exceptional order :—

1. Lieutenant General Ashok Kumar Puri (IC-12326) AVSM, Engineers.
2. Lieutenant General Madan Pal Singh Bhandari (IC-12581), VSM, Artillery.
3. Lieutenant General Avtar Singh (IC-12909), Artillery.
4. Lieutenant General Cedambi Ramaswamy Sampath Kumar (IC-13027) AVSM, VSM, Artillery.
5. Lieutenant General Rajendra Singh Kadyan (IC-13153) AVSM, VSM, Infantry.
6. Lieutenant General Bhupal Singh Malik (IC-13198) AVSM, Infantry (Retired).
7. Lieutenant General Vijay Lall (IC-13306), AVSM Army Ordance Corps.
8. Lieutenant General Adusumilli Seshagiri Rao (IC-13385), AVSM, Infantry.
9. Lieutenant General Mohan Anand Gurbaxani (IC-13633), AVSM, Infantry.
10. Lieutenant General Shankar Prasad (IC-13642), VSM, Infantry.
11. Lieutenant General Shamsher Singh Mehta (IC-13898), AVSM*, VSM Armoured Corps.
12. Lieutenant General Gurpreet Singh (IC-13914), Infantry.
13. Lieutenant General Virendra Kuar Sewal (IC-13947), Armoured Corps.
14. Lieutenant General Inder Kumar Chhitwal (IC-14145), Army Service Corps.
15. Lieutenant General Gurbaksh Singh Sihota (IC-15471), AVSM, VRC, VM, Artillery.
16. Lieutenant General Arjun Singh Khanna (IC-15511), AVSM, VRC, Artillery.
17. Lieutenant General John Ranjan Mukherjee (IC-15795), AVSM, VSM, Infantry.
18. Vice Admiral Rajeshwer Nath, AVSM, VSM (40175F).
19. Vice Admiral Harinder Singh, AVSM (00531F).
20. Vice Admiral John Colin De Silva, AVSM 00556-N).
21. Air Marshal Prakash Sadashivrao Pingale AVSM, VrC, VM (6755) Flying (Pilot).
22. Air Marshal Teshter Jal Master, AVSM (7224) Fying (Pilot).
23. Air Marshal Khushinder Singh Bindra, AVSM VM (6863) Flying (Pilot).
24. Air Vice Marshal Surender Singh Chauhan, AVSM, VSM (7853) Aeronautical Engineering (Mechanical).
25. Air Vice Marshal Gulshan Kumar Kwatra, AVSM, VSM (8001) Aeronautical Engineering (Mechanical).

BARUN MITRA
Dy. Secy. to the President

No. 59-Pres/2001.—The President is pleased to approve the award of the "Bar to Ati Vishisht Seva Medal" to Major General Gambir Singh Negi (IC-16545), AVSM, VSM, Infantry for distinguished service of an exceptional order.

BARUN MITRA
Dy. Secy. to the President

No. 60-Pres/2001.—The President is pleased to approve the award of the "Ati Vishisht Seva Medal" to the undermentioned personnel for distiguihed service of an exceptional order :—

1. Lieutenant General Dinesh Singh Chauhan
(IC-13951)
UYSM, VSM, INFANTRY
2. Lieutenant General Brij Mohan Kapur
(IC-14385)
Armoured Corps

3. Major General Sadan Pradip Murgai
(IC-13236)
Electrical and Mechanical Engineers

4. Major General Jagtar Singh Kang
(IC-14060)
VSM Inteligence Corps

5. Major General Arigapudi Ravindra Kumar
(IC-14418)
VSM, Infanty

6. Lieutenant General Onkar Singh Lohchab
(IC-14531)
VSM, Infantry

7. Major General Rajendra Kumar Mehta
(IC-14851)
VSM,
Electrical and Mechanical Engineers

8. Major General Vijay Krishna
(IC-14875)
Electrical and Mechanical Engineers

9. Major General Vinod Kumar Varma
(IC-14885)
Electrical and Mechanical Engineers

10. Major General Vijay Kumar Dua
(IC-15041)
VSM, Engineers

11. Major General Shantonu Choudhry
(IC-15690)
VSM, Artillery

12. Major General Prakash Ramrao Misal
(IC-16045)
VSM, Artillery

13. Major General Puttagunta Sivarama Krishna Choudary
(IC-16664)
Artillery

14. Major General Manmohan Singh
(IC-16300)
Signals

15. Major General Surinder Kumar Sanan
(IC-22880)
VSM, Judge Advocate General

16. Brigadier Rajendra Singh
(IC-16779)
VSM,
Electrical and Mechanical Engineers

17. Brigadier Satish Prakash Kalra
(MR-02094)
Army Medical Corps

18. Rear Admiral Jitendra Kumar Talwar
(60134-T)

19. Rear Admiral Basudev Bose
VSM,
(50203-Y)

20. Rear Admiral Sekharipuram Krishnan Kalyana Krishnan, VSM
(40302-W)

21. Rear Admiral Rajinder Kumar Sharma
VSM (00843-R)

22. Surgeon Rear Admiral Satya Pal Malhotra
(75583-B)

23. Commodore Premjeet Rabinder Franklin
VSM (00635-T)

24. Commodore Somir Susheel Chandra Mukherjee
VSM (40430-K)

25. Air Marshal Laljee Kumar Verma
(7768) Medical

26. Air Vice Marshal Purnendu Kumar Mukherjee
(7698) Flying (Pilot)

27. Air Vice Marshal Satish Kumar Ramlal Dham
VSM (8097) Medical

28. Air Vice Marshal Ramesh Chandra Mahadik
VSM (8570) Administration

29. Air Vice Marshal Vijay Achyut Patkar
VSM (8632)
Aeronautical Engineering (Electronics)

30. Air Vice Marshal Bijoy Krishna Pandey
VM (8990)
Flying (Pilot)

31. Air Vice Marshal Subhash Chandra Rastogi
VSM (8999)
Flying (Pilot)

32. Air Vice Marshal Puran Chandra Singh Rautela
SC VSM (9576)
Aeronautical Engineering (Electronics)

33. Air Commodore Donovan Eric Jonas
(10131)
Flying (Pilot)

34. Air Commodore Shri Harsh Tripathi
(11087)
Administration/Legal

35. Air Commodore Thekkekara Thomas Job
VSM (11507)
Aeronautical Engineering (Mechanical)

36. Air Commodore Ashok Dharam Chhibbar
(12118)
Flying (Pilot)

37. GO-1133H Shri Bansi Lal Tikoo
Addl DGBR

38. GO-866P Chief Engineer (Civil)
Lalit Kumar Ganju
BRO

BARUN MITRA
Dy. Secy. to the President

No. 61-Pres/2001.—The President is pleased to approve the award of the "Yuddh Seva Medal" to the undermentioned personnel for distinguished service of a high order during hostilities :—

1. Brigadier Dipak Mukherjee (IC-19107), Infantry Headquarters 104 Infantry Brigade

2. Brigadier Randhir Kumar Mehta (IC-19550), VSM, Infantry

3. Brigadier Tej Kumar Sapru (IC-23302), Infantry Headquarters 12 Infantry Brigade

4. Brigadier Bahukhandi Prem Sadan (IC-29023), Infantry

5. Major Raj Pal Punia (IC-41862), -Mechanised Infantry

6. Major Harinder Paul Sood (IC-43678), Para (Special Forces)

7. Group Captain Bijender Singh Siwach, AVSM VM (12413), Flying (Pilot)

BARUN MITRA
Deputy Secretary to the President

No. 62-Pres/2001.—The President is pleased to approve the award of the "Bar to Vishisht Seva Medal" to the undermentioned personnel for distinguished service of a high order devotion to duty :—

1. Brigadier Vir Chand Jain (IC-17280), VSM Electrical and Mechanical Engineering
2. Brigadier Premendra Singh Rana (IC-24237), VSM Infantry

BARUN MITRA
Deputy Secretary to the President

No. 63-Pres/2001.—The President is pleased to approve the award of the "Vishisht Seva Medal" to the undermentioned personnel for distinguished service of a high order :—

1. Major General Ravinder Kumar Batra (IC-12812) Electrical and Mechanical Engineers (Retired)
2. Major General Manmohan Bhatia (IC-13233) Signals
3. Major General Indra Jeet Singh Bora (IC-14638) Mechanised Infantry
4. Major General Subhash Chander Goel (IC-14843) Electrical and Mechanical Engineers
5. Major General Mahendra Pal Singh Tyagi (IC-18329) Army Education Corps (Retired)
6. Major General Madhawa Anand Tutakne (MR-1817) Army Medical Corps
7. Major General Srinivasa Pattabhiraman (IC-17210) SM Engineers
8. Major General Pramod Kumar Grover (IC-17252), Engineers
9. Major General Kuldip Chandra Vig (IC-26028), Artillery
10. Brigadier Devinder Krishna Khanna (IC-16299) Kumaon (Retired)
11. Brigadier Pabitra Kumar Chakravarti (IC-16581) Armoured Corps (Retired)
12. Brigadier Satish Kumar (IC-16694), Air Defence Artillery
13. Brigadier Devinder Singh Khurana (IC-16653), Artillery.
14. Brigadier Munisamy Sudandiram (IC-16857), Engineers.
15. Brigadier Rupendra Singh Batra (IC-16925), Electrical and Mechanical Engineers.
16. Brigadier Bachittar Singh Dhaliwal (IC-17239), Engineers.
17. Brigadier Arun Roye (IC-17595), Mechanised Infantry.
18. Brigadier Rakesh Kumar Malik (IC-17685), Signals.
19. Brigadier Ajeet Singh Bajwa (IC-19004), Artillery
20. Brigadier Paramjit Singh Arora (IC-19185), Signals.
21. Brigadier Raj Kumar Singh (IC-19890), Infantry.
22. Brigadier Bertrand William Kelson (IC-19898), Artillery.
23. Brigadier Ram Parkash Saini (IC-23041), Artillery.
24. Brigadier Krishan Nath Mehra (IC-23282), Infantry.
25. Brigadier Ashok Kumar Duggal (IC-23367), Infantry.
26. Brigadier Basant Kumar Ponwar (IC-23671), Infantry.
27. Brigadier Satinder Pal Singh Narang (IC-26531), Artillery.
28. Brigadier Kamal Kumar Sood (IC-28024), Infantry.
29. Brigadier Vijay Kumar Joshi (IC-28324), Intelligence.
30. Brigadier Ompal Singh Chauhan (IC-28471), Mechanised Infantry.
31. Brigadier Kulwant Singh Dogra (IC-28805), Air Defence Artillery.
32. Brigadier Rajender Paul Singh (IC-28899), Infantry.
33. Brigadier Tara Singh (IC-29491), Infantry.
34. Brigadier Satish Kumar Bahl (IC-29220), Infantry.
35. Brigadier Sushil Kumar Doval (IC-32025), Infantry.
36. Brigadier Vinod Kumar Talwar (MR-02088), Army Medical Corps.
37. Brigadier Amiya Kumar Lahiri (MR-02224), Army Medical Corps.
38. Brigadier Janak Raj Bhardwaj (MR-02600), Army Medical Corps.
39. Brigadier Sarva Vijay Pal Singh (IC-24790), Artillery.
40. Colonel Abhaya Kumar Gupta (IC-25136), Grenadiers.
41. Colonel Dalbir Singh Virk (IC-25583), Signals.
42. Colonel Rajesh Kochhar (IC-27325), Electrical and Mechanical Engineers.
43. Colonel Duraipandian Rajan (IC-27673), Artillery.
44. Colonel Sarpavarapu Ashoka Rao (IC-27878), Engineers.
45. Colonel Kanwar Parbhat Singh (IC-28216), Garhwal Rifles.
46. Colonel Rajinder Singh Langeh (IC-30054), 8 Gorkha Rifles.
47. Colonel Sukhraj Pal Kochhar (IC-30137), Signals.
48. Colonel Ravinder Ahuja (IC-31346), Artillery.
49. Colonel Abhay Kumar (IC-31383), Artillery.
50. Colonel Jahangir Piroj Anklesaria (IC-34828), 6/5, Gorkha Rifles (Frontier Force).
51. Colonel Pothery Cheruvary Dhanraj (IC-34877), Madras, 8 Assam Rifles.
52. Colonel Rajesh Arya (IC-34938), Artillery.
53. Colonel Venugopal Menon (IC-35110), Engineers.
54. Colonel Bipin Rawat (IC-35471), 5/11, Gorkha Rifles.
55. Colonel Subrata Saha (IC-35494), 5 Assam.

56. Colonel Sudhir Singh (IC-35727), Sikh Light Infantry, 4 Assam Rifles.

57. Colonel Indra Mani Pathak (IC-36990), Engineers.

58. Colonel Suresh Kumar Jamwal (IC-37184), 11 Sikh.

59. Colonel Raghav Raghunandan Singh (IC-37379), 14 Grenadiers.

60. Colonel Pampapati Doddappa Hallur (IC-38487), 8 Mahar.

61. Colonel Shiv Ram Mehta (MR-2985), Army Medical Corps.

62. Colonel Rajendra Prashad Tripathi (MR-03672), Army Medical Corps.

63. Colonel (Mrs) Saroj Mukerjea (MR-04449), Army Medical Corps, HQ 27 Mountain Division.

64. Colonel Braham Prakash Khattak (DR-10264), Army Dental Corps.

65. Colonel Paramjit Singh (DR-10267), Army Dental Corps.

66. Colonel Kamlesh Chandra Mishra (TC-31449), Army Postal Service, 2 CBPO.

67. Lieutenant Colonel Lalit Pande (IC-37736), Mechanised Infantry.

68. Lieutenant Colonel Amardeep Singh Sidhu (IC-40078), Army Aviation.

69. Lieutenant Colonel Kulbir Sharma (MR-03737), Army Medical Corps.

70. Lieutenant Colonel Sanjiv Chopra (MR-04142).

71. Lieutenant Colonel (Mrs) Alka Goswami (MR-04617), Army Medical Corps.

72. Lieutenant Colonel Ravinder Singh Yadav (MR-04938), Army Medical Corps.

73. Major Sanjay Kumar Singh (MR-05912), Army Medical Corps.

74. Major Purnendu (MR-06084) SM, Army Medical Corps.

75. Brigadier Anil Kumar Jain (IC-17209), Engineers, DRDO.

76. Commodore Ravi Ramakrishnan Nair (00569-T).

77. Commodore Sankarannair Balachandran (50295-F).

78. Commodore Bijendra Kumar Ahluwalia (60191-Y).

79. Commodore Muthukrishnan Jitendran (40485-K).

80. Commodore Ratnakar Bhushan (50367-W).

81. Commodore Devendra Kumar Joshi, NM (01507-Z).

82. Captain Shrinivas Vasant Athalye (40617-K).

83. Surgeon Commander Moor Kanat Ravindran (75192-R).

84. Surgeon Commander Subramonia Ganesan (75199-F).

85. Commander Satish Chawla (02416-R).

86. Commander Atul Khanna (50813-H).

87. Commander Sanjeev Kale (50869-K).

88. Commander Madan Mohan Chaturvedi (00633-N).

89. Hardev Singh, MCPO I QA 1 BGI No. 085220-H.

90. Rang Rao, MCPO I QAI No. 085531-R.

91. Jasvir Singh MCPO AF II, No. 107690-A.

92. Air Commodore Romesh Chander Kakar (11481), Aeronautical Engineers (Electronics).

93. Air Commodore Mohan Lal Verma (11708), Accounts.

94. Air Commodore Jayanta Kumar De (12250), Medical.

95. Group Captain Narayanan Vijaya Kumar (12725), Accounts.

96. Group Captain Narendra Kumar Upadhya YSM (12779) Flying (Pilot).

97. Group Captain Ajit Singh (13147), Flying (Pilot).

98. Group Captain Raghbir Singh Sandhu (13174), Aeronautical Engineering (Mechanical).

99. Group Captain Naresh Verma (13235), Administration.

100. Group Captain Rajiv Sharma (13299), Aeronautical Engineering (Electronics).

101. Group Captain Arabind Mohanty (13414), Logistics.

102. Group Captain Jasvinder Chauhan (14079), Flying (Pilot).

103. Group Captain Prakul Kumar (14093), Flying (Pilot).

104. Group Captain Sumer Chand Gaur, SC (14118), Aeronautical Engineering (Mechanical).

105. Group Captain Tarun Kumar Varma (14273), Flying (Pilot).

106. Group Captain Jose Mathappan (14278), Flying (Pilot).

107. Group Captain Rajan Bhasin (15006), Flying (Pilot).

108. Wing Commander Gajendra Singh (14582), Aeronautical Engineering (Electronics).

109. Wing Commander Prabhu Dyal Gill (14739), Administration.

110. Wing Commander Kiran Prabhakar Palsule (15593), Administration/Fighter Controller.

111. Wing Commander Amit Kumar Mathur (15754), Logistics.

112. Wing Commander Sauri Kant Parhi (16111), Administration/Flight Control.

113. Wing Commander Madusoodanan Nair Jayakumaran Thampi (16632), Flying (Pilot).

114. Squadron Leader Naval Sabharwal (17515), Logistics.

115. Squadron Leader Rajendra Kumar Yadav (17816), Aeronautical Engineering (Electronics).

116. Squadron Leader Sanjay Seth (18162), Accounts.

117. Squadron Leader Ramanaravanan Ramesh (18735), Aeronautical Engineering (Mechanical).

118. Squadron Leader Sanjay Kumar Singh (20119), Flying (Pilot).

119. 285568 Master Warrant Officer Ganpat Ram, Plant Maintenance Fitter (M).

120 248554 Warrant Officer Soosiah Terence, Workshop Fitter (B).

121 GO-1161W Superintending Engineer (E&M), SG, Uma Shankar Misra.

122 GO-1349-K Superintending Engineer (Civil), SG, Thaikat Pannikot Velayudhan.

123 GO-1471-A Superintending Engineer (Civil), SG, Shyam Sunder Porwal.

BARUN MITRA
Dy. Secy. to the President

No. 64-Pres/2001.—The President is pleased to approve the award of the "Bar to Sena Medal/Army Medal" to the undermentioned personnel for the acts of exceptional courage :—

1. Major Kishan Singh Mehra (IC-49435) SM, 13 Kumaon..
2. Major Kirit Nair (IC-54636) SM, Sikh Light Infantry 19 Rashtriya Rifles.

BARUN MITRA
Dy. Secy. to the President

No. 65-Pres/2001.—The President is pleased to approve the award of the "Bar to Nao Sena Medal/Navy Medal" to the LIEUTENANT COMMANDER TILAK RAJ THAKUR, NM (03719-A) for the acts of exceptional courage :—

BARUN MITRA
Dy. Secy. to the President

No. 66-Pres/2001.—The President is pleased to approve the award of the "Sena Medal/Army Medal" to the undermentioned personnel for the acts of exceptional courage :—

1. Colonel Rustam Patnaik (IC-38768), Mahar, 30 Rashtriya Rifles.
2. Lieutenant Colonel Soban Singh (IC-40548), 5 Gorkha Rifles (Frontier Force), 33 Rashtriya Rifles.
3. Major Nirdosh Bhola Vishen (IC-42635), Intelligence Corps, 6 Det Ec Lu.
4. Major Bawinder Singh Bajwa (IC-43567), Artillery, 34 Rashtriya Rifles (Posthumous).
5. Major Amardeep Singh Dhillon (IC-44713), Armoured Corps, Headquarter-57 Mountain Division.
6. Major Manmohan Singh Rekhi (IC-44810), 11 Dogra.
7. Major Bikramjit Singh (IC-45557), 5 Rajputanna Rifles.
8. Major Pramod Vo (IC-45816), Artillery, 17 Para Field Regiment.
9. Major Alex Jacob Mohan (IC-46919), 8 Maratha Light Infantry.
10. Major PVS Sangwan (IC-47084), Artillery, 7 Assam Rifles.
11. Major Rajbir Singh (IC-47923), 7 Guards.
12. Major Deepak Singh Bisht (IC-50694), 1 Para Special Force.
13. Major Jog Niranjan Subhash (IC-50778), Guards, 35 Rashtriya Rifles.
14. Major Sanjeev Kumar Mandal (IC-52019), 5 Jammu and Kashmir Light Inantry.
15. Major Shubhankar Basu (IC-52959), 20 Jammu and Kashmir Rifles.
16. Major Sanjive Sokinda (IC-53591), 4 Jammu and Kashmir Light Infantry.
17. Major Himanshu Kataria (IC-53939), 5 Rajputana Rifles.
18. Major Vindod Kumar (IC-57448), Army Service Corps, 8 Jammu and Kashmir Light Infantry.
19. Captain Vipin Kumar Mal (IC-53060), Artillery, 21 Rashtriya Rifles.
20. Captain Sudesh Kumar Goswami (IC-53992), 9 Para Special Forces.
21. Captain Ashish Khanna (IC-54332), Artillery, Special Group (22 Special Force).
22. Captain Jayaraman Nambiar (IC-54755), Artillery, 3 Rashtriya Rifles.
23. Captain Pradyumna Singh Banafar (IC-54807), Artillery, 17 Assam Rifles.
24. Captain Manoj Kumar Sinha (IC-55036), Army Service Corps, 33 Rashtriya Rifles.
25. Captain Ravi Kumar (IC-56869), 7 Bihar.
26. Captain Ranga Sai Rajan (IC-57377), 3 Grenadiers.
27. Captain Akash Khazanchi (IC-57379), 2 Sikh.
28. Captain Vinay Bhardwaj (SS-36586), Engineers, Special Group (22 Special Force).
29. Captain Bikramjeet Singh (CC-36765), 6 Jat.
30. Captain Omkarnath Rao
(SS-36810)
22 Maratha Light Infantry
(Posthumous)
31. Captain Sanjay Singh Tanwar
(SS-37068)
16 Punjab
32. Captain Gurpratap Singh Chahal
(SS-38169)
20 Sikh
(Posthumous)
33. Lieutenant Bhupendra Singh Koyark
(IC-57796)
Electrical and Mechanical Engineering
3 Rashtriya Rifles
34. Lieutenant Saminder Mor
(IC-58146), Artillery
17 Para Field Regiment
35. Lieutenant Suraj Bhanwar Rathore
(IC-58255)
Army Ordance Corps
8 Maratha Light Infantry
36. Lieutenant Prasanth Kumar PV
(IC-58611)
5 Jammu and Kashmir Light Infantry
37. Lieutenant Paritosh Upadhyay
(IC-59177)
Army Ordance Corps
9 Grenadiers
38. Lieutenant Tarun Nayyar
(IC-59477)
Electrical and Mechanical Engineering
8 Jat
(Posthumous)
39. Lieutenant Jasbir Singh
(SS-37516)
15 Sikh Light Infantry
40. Lieutenant Giani
(SS-37634)
Army Ordance Corps
14 Rajput
41. Lieutenant Sanjay Arya
(SS-38151)
5/8 Gorkha Rifles
42. Lieutenant Ravinder Singh Jant
(SC-00132)
11 Dogra
43. Assistant Commandant Doungul Tongkhosei Haokip
(IRLA-73200)
Border Security Force
11 Sikh
44. JC-193712 Subedar Dalbir Singh
Paiputana Rifles
9 Rashtriya Rifles
45. JC-418209 Subedar Jagir Singh
Mechanised Infantry
26 Rashtriya Rifles

46. JC-518402 Subedar Halka Ram, SC, Dogra,
11 Rashtriya Rifles.

47. JC-612053 Subedar Dil Bahadur Thapa,
4 Gorkha Rifles, 15 Rashtriya Rifles (Posthumous).

48. JC-617208 Subedar Resham Bahadur Thapa,
6/5 Gorkha Rifles (FF).

49. JC-623037 Subedar Govind Singh Bhandari,
4/8 Gorkha Rifles.

50. JC-629068 Subedar Purna Bahadur Chhetri,
2/9 Gorkha Rifles.

51. JC-82786 Naib Subedar Dew Singh,
8 Assam Rifles.

52. JC-448864 Naib Subedar Madan Singh Sekhawat,
14 Grenadiers.

53. JC-458384 Naib Subedar Yoginder Paul,
8 Maratha Light Infantry.

54. JC-538786 Naib Subedar Dev Singh,
2 Kumaon.

55. 83310 Havildar Kikar Singh,
8 Assam Rifles.

56. 2876250 Havilddar Prahlad Singh,
12 Rajputana Rifles.

57. 2878785 Havildar Mahabir Singh,
Rajputana Rifles.
18 Rashtriya Rifles.

58. 2880199 Havildar Sheoraj Singh,
20 Rajputana Rifles (Posthumous).

59. 3376470 Havildar Lal Singh, Sikh,
16 Rashtriya Rifles.

60. 4173588 Havildar Sadhu Ram,
13 Kumaon (Posthumous).

61. 4262842 Havildar Trinath Naik,
21 Bihar.

62. 4263326 Havildar Adhibans Prasad Singh
2 Bihar.

63. 4466196 Havildar Manjit Singh,
3 Sikh Light Infantry.

64. 5344919 Havildar Dil Bahadur Pun,
1/4 Gorkha Rifles

65. 5750422 Havildar Rovin Rana,
5/8 Gorkha Rifles.

66. 5846138 Havildar Nirmal Bahadur Basnet,
2/9 Gorkha Rifles.

67. 9086505 Havildar Nisar Hussain Shah,
Jammu and Kashmir Light Infantry,
31 Rashtriya Rifles.

68. 14463156 Havildar Fulbir Singh, Artillery,
17 Para Field Regiment.

69. 14906612 Havildar Krishan Kumar,
Mechanised Infantry (Posthumous).

70. 3982362 Lance Havildar Darshan Singh,
16 Dogra.

71. 5752990 Lance Havildar Jeewan Bahadur Thapa,
7/8 Gorkha Rifles.

72. 1483722 Naik Jasbir Singh, Engineers,
8 Independent Field Company.

73. 2883095 Naik Tara Chand,
5 Rajputana Rifles.

74. 3387589 Naik Jagir Singh, Sikh,
6 Rashtriya Rifles (Posthumous).

75. 3391104 Naik Bhagwant Singh
22 Sikh (Posthumous).

76. 3984308 Naik Joginder Singh,
16 Dogra (Posthumous)

77. 3984606 Naik Gorakh Ram,
11 Dogra.

78. 4176954 Naik Lal Mani Yadav,
13 Kumaon (Posthumous).

79. 9094166 Naik Fazal Hussain,
5 Jammu and Kashmir Light Infantry.

80. 14377975 Naik Rajendra Bhagat,
Air Defence Artillery,
15 Rashtriya Rifles (Posthumous)

81. 2596837 Lance Naik Manoj V V,
26 Madras.

82. 4070376 Lance Naik Dhanbir Singh,
Garhwal Rifles,
114 Rashtriya Rifles (Posthumous).

83. 4070872 Lance Naik Pan Singh, Garhwal Rifles, 36 Rashtriya Rifles.

84. 4180077 Lance Naik Bansi Dhar Joshi, 2 Kumaon.

85. 5044911 Lance Naik Bhim Bahadur Pun, 1 Garhwal Rifles, 15 Rashtriya Rifles.

86. 14403689 Lance Naik PB Binu, Artillery, 17 Para Filed Regiment.

87. 14414168 Lance Naik Antony PA, Artillery, 17 Para Field Regiment.

88. 2997898 Sepoy Biram Singh, 3 Rajput.

89 3187598 Sepoy Satendra Kumar, Jat, 34 Rashtriya Rifles (Posthumous).

90. 3394475 Sepoy Jagdev Singh, Sikh, 16 Rashtriya Rifles.

91. 3395308 Sepoy Manjinder Singh, 11 Sikh.

92. 3989328 Sepoy Mahinder Kumar, 11 Dogra.

93. 3994489 Sepoy Ashwani Kumar, Dogra, 31 Rashtriya Rifles.

94. 4189050 Sepoy Hira Singh, 2 Kumaon.

95. 4362199 Sepoy Daukholen Kuki, Assam, 35 Rashtriya Rifles.

96. 4471542 Sepoy Mohan Singh, 1 Sikh Light Infantry.

97. 4566514 Sepoy Mangal Singh, Mahar, 30 Rashtriya Rifles.

98. 83746 Rifleman Chandra Bahadur Sunar, 8 Assam Rifles.

99. 173355 Rifleman Suresh Kumar K, 17 Assam Rifles.

100. 2888870 Rifleman Ompal, Rajputana Rifles, 18 Rashtriya Rifles.

101. 2891771 Rifleman Yashwant Kumar, 5 Rajputana Rifles.

102. 2901438 Rifleman Ajay Singh, 29 Assam Rifles, (Posthumous).

103. 5045815 Rifleman Uttar Ram Gurung, 1 Gorkha Rifles, 15 Rashtriya Rifles, (Posthumous).

104. 5347597 Rifleman Tek Bahadur Pun, 1/4 Gorkha Rifles.

105. 9098425 Rifleman Mohd Fareed Khan, 4 Jammu and Kashmir Light Infantry.

106. 9098645 Rifleman Mohammad Rafiq, Jammu and Kashmir Light Infantry, 15 Rashtriya Rifles.

107. 2688760 Grenadier Bhagwan Dass, 9 Grenadiers

108. 15129519 Gunner Bipan Kumar, Artillery, 95 Field Regiment.

109.. 13694718 Guardsman Ajmer Singh, 7 Guards

110. 15389183 Signalman Ranbeer Singh Negi, Signals 34 Rashtriya Rifles.

111. 9421935 Paratrooper Sharad Thapa, 1 Para (Special Force).

BARUN MITRA
Deputy Secretary to the President

No. 67-Pres/2001.—The President is pleased to approve the award of the "Nao Sena Medal/Navy Medal" to the undermentioned personnel for the acts of exceptional courage :—

01. Lieutenant Commander Subir Guha, (02432-A).

02. Goverdhan Singh Tanwar, CPO RCI (SD) (160358-A).

03. AK Shanti Bhai Patel, LS RPI (167295-T).

BARUN MITRA
Dy. Secy. to the President

No. 68-Pres/2001.—The President is pleased to approve thd award of the "Vayu Sena Medal/Air Force Medal" to the undermentioned personnel for the acts of exceptional courage :—

1. Wing Commander Rakesh Kumar Negi (15869), Flying (Pilot).
2. Wing Commander Arun Tillu Samtani (17002), Flying (Pilot).
3. Squadron Leader George Thomas (17722), Flying (Pilot).
4. Squadron Leader Dharmender Singh (18580), Flying (Pilot).
5. Flight Lieutenant Pranay Dixit (22726), Flying (Pilot).

BARUN MITRA
Dy. Secy. to the President

No. 69-Pres/2001.—The President is pleased to approve the award of the "Bar to Sena Medal/Army Medal" to the Brigadier Raj Kumar Karwal (IC-24652), SM, VSM, Infantry for the acts of exceptional devotion to duty.

BARUN MITRA
Dy. Secy. to the President

No. 70-Pres/2001—The President is pleased to approve the award of the "Bar to Nao Sena Medal/Navy Medal" to Commander Pankaj Madhav Joshi, NM (02114-B) for the acts of exceptional devotion to duty.

BARUN MITRA
Dy Secy. to the President

No. 71-Pres/2001—The President is pleased to approve the award of the "Sena Medal/Army Medal" to the undermentioned personnel for the acts of exceptional devotion to duty:—

1. Brigadier Anand Sagar Bhagat (IC-19029), Signals.
2. Brigadier Devavaram Victor David Iver (IC-24926), VSM Infantry.
3. Brigadier Noble Thamburaj (IC-23276), Engineers.
4. Brigadier Kanwar Lal (IC-32136) Air Defence Artillery.
5. Colonel Raj Nandan Singh (IC-31351), Assam 35 Rashtriya Rifles,
6. Colonel Inder Preet Singh Gill (IC-34474) 3 Sikh Light Infantry.
7. Colonel Ramachandran Mannattil (IC-34501), Infantry 25 Rashtriya Rifles.
8. Colonel Devendra Kumar Purohit (IC-35153), 9 Mah. r.
9. Colonel Kuldeep Chand Dogra (IC-35169), Infantry 12 Rashtriya Rifles.
10. Colonel Vinod Kumar Awasthy (IC-35274), Infantry 36 Rashtriya Rifles.
11. Colonel Neeraj Bali (IC-35538), Bihar 24 Rashtriya Rifles.
12. Colonel Mohmad Maqbool Shah (IC-35653), 16 Maratha Light Infantry.
13. Colonel Mahendra Singh Hada (IC-36010), 13 Kumaon.
14. Colonel Sanjay Kulkarni (IC-37022), SC, Infantry 26, Rashtriya Rifles.
15. Colonel Syed Ahmad Ali (IC-37061), 15 Kumaon.
16. Colonel Satish Kumar Dua (IC-38311), 8, Jammu & Kashmir Light Infantry.
17. Colonel Lalit Mohan Chamola (IC-38373), Maratha Light Infantry, 17, Rashtriya Rifles.
18. Colonel Ajay Sah (IC-38645), Garhwal Rifles 14, Rashtriya Rifles.
19. Colonel Dalbir Singh Chahal (IC-39126), 2/9, Gorkha Rifles.
20. Lieutenant Colonel Mandip Grewal (IC-37968), 15, Dogra.
21. Lieutenant Colonel KK Anil Kumar (I-40830), 5, Assam.
22. Lieutenant Colonel Pranab Kumar Lahree (MR-04882), Army Medical Corps, 92, Base Hospital.
23. Major Mohan Vizhakat (IC-41729), Signals.
24. Major Devbrat Ohri (IC-43344), Armoured Corps, 26, Rashtriya Rifles.
25. Major Umesh Chandra Prasad (IC-43516), Engineers.
26. Major Manish Mohan Erry (IC-48085), Jammu & Kashmir Light Infantry 31, Rashtriya Rifles (Commando).
27. Major Rajesh Misra (IC-53263), 8 Mahar.
28. Major Chandrasekharan Pillai (SL-3798), VSM, Electrical and Mechanical Engineers.
29. Captain Sanjay Hooda (IC-50696), Engineers.
30. Captain Vakil Kumar (IC-56646), Intelligence Corps.
31. 1568933 Havildar Shedage Dilip Dagadu 117 Engineer Regiment.
32. 3386121 Havildar Devender Singh, 14 Sikh
33. 2683591 Lance Naik Shyam Sundar Singh, 14 Grenadiers.
34. 2791634 Sepoy Bhairu Patil, 26 Maratha Light Infantry.
35. 9096981 Rifleman Sajad Ali Wani, Jammu and Kashmir Light Infantry, 9 Rashtriya Rifles.
36. 6954971 Craftsman Kamal Singh, Army Ordnance Corps.

BARUN MITRA
Dy. Secy. to the President

No. 72-Pres/2001.—The President is pleased to approve the award of the "Nao Seno Medal/Navy Medal" to the undermentioned personnel for the acts of exceptional devotion to duty :—

1. Captain Anand Yaswant Kalaskar, VSM (01532-F).
2. Captain Vijaya Kumar Namballa, (40689-Z).
3. Captain Nikunj Kishore Mishra (50576-W).
4. Commander Subhasis Bhaumik (01746-T).
5. Commander George Abraham (01833-R).
6. Commander Vinay Badhwar (02437-N).
7. Narendra Ram, Chief Petty Officer CDI (104587-Z).

BARUN MITRA
Dy. Secy. to the President

No. 73-Pres/2001.—The President is pleased to approve the award of the "Vayu Sena Medal/Air Force Medal" to the undermentioned personnel for the acts of exceptional devotion to duty :—

1. Group Captain Motilal Nalluri (13911), Flying (Pilot).
2. Group Captain Manmohan Sud (13945), Flying (Pilot).
3. Group Captain Inder Singh (14082), Flying (Pilot).
4. Wing Commander Raghvinder Nath Joshi (15432), Flying (Pilot).
5. Wing Commander Paramjeet Singh Mann (15570), Flying (Pilot).
6. Wing Commander Shirish Baban Deo (15681), Flying (Pilot).
7. Wing Commander Umesh Shastri (15698), Flying (Pilot).
8. Wing Commander Anil Khosla (15871).
9. Wing Commander Shyam Bihari Prasad Sinha (16053), Fying (Pilot).
10. Wing Commander S. Harpal Singh (16071), Flying (Pilot).
11. Wing Commander Balakrishnan Suresh (16206), Flying (Pilot).
12. Wing Commander Jasjit Singh Kler (16225), Flying (Pilot).
13. Wing Commander Tejinder Singh Sareen (17138), Flying (Pilot).
14. 669018 Junior Warrant Officer Valiya Veetil Rajeev, Flight Engineer.

BARUN MITRA
Dy. Secy. to the President

No. 74-Pres 2001.—The President is pleased to give orders for publication in the Gazette of India of the names of the undermentioned officers/personnel "Mention in Despatches" received by the Raksha Mantri from the "Chief of the Army Staff", "Chief of Naval Staff" and "Chief of Air Staff" in connection with the "Operation Vijay" and "CI Operations":—

ARMY

Operation Vijay

1. IC-35164 Col Ryan Peter Lobo, 8 GR.
2. IC-35375 Col Prem Mandotra, 18 Punjab.
3. IC-35419 Col Inderpal Singh Ahuja, 106 Engr Regt.
4. JC-225769 Sub M Chokkar, 2 Engr Regt.
5. JC-306680 Nb Sub V Vijaya Kumar, 2 Engr Regt.
6. 1379613 Hav Cherukui Ramamohan Rao, 14 Engr Regt.
7. 4186894 Sep Sambhu Nath Yadav, 13 Kumaon.

Operation Rakshak

8. IC-50136 Maj Niket Suda, 51 Engrs Regt.
9. IC-53556 Capt Abraham Noble, Arty, 314 FD Regt.
10. IC-57455 Capt Praveen Kumar, VrC, 14 Sikh.
11. JC-448380 Sub Karambir Singh, 3 GDRS.
12. JC-558651 Nb Sub Ram Tapasya Singh, 7 Bihar.
13. 4265233 Nk Dhurendhar Rai, 7 Bihar.
14. 3988411 Nk Mahi Ram Sharma, 12 Dogra.
15. 2685111 L/Nk Jitender Kumar, 3 GDRS.
16. 5451653 L/Nk Phatta Bahadur Mashrangi, 6/5 GR (FF).
17. 4566501 Sep B B Saheb Rohidas, Mahar, 1 GR (Posthumous).
18. 3393891 Sep Kulbir Singh, Sikh, 16 RR (Posthumous).
19. 1490719 SPR Happy, 51 Engrs Regt.
20. 2688072 GDR Dharambir, 3 GDRS.
21. 2686976 GDR Prakash Chand, 6 GDRS.

Operation Meghdoot

22. IC-56976 Capt Harmish Desai, 26 MLI.
23. SS-37049 Capt Jaideep Singh, ARMD, 26 MLI.
24. 15315396 SPR Shaik Abdul, 2 Engr Regt (Posthumous).

Operation Rhino

25. IC-35487 Col Narinder Pal Singh Hira, 15 Sikh LI.
26. IC-38682 Col Abhinandan Kumar Singh, 18 Sikh.
27. IC-44746 Maj Surinder Singh Sandhu, Arty, 18 FD Regt.
28. IC-50180 Capt Dhundi Raj GC, Raj Rif, 2 INT PL.
29. IC-51801 Capt Surendra Singh, 6 Jat.
30. IC-54443 Capt Jatinder Pal Singh Khaira, 16 Punjab.
31. RC-728 Capt Sivadasan V, 26 Madras.
32. IC-59171 Lt Rajiv Shankar, ASC, 9 GDRS.
33. JC-185190 Sub Joginder Singh, 18 Sikh.
34. 2480144 Hav Mohinder Singh, 16 Punjab.
35. 9086491 Hav Rattan Singh, 5 JAK LI.
36. 3389860 L/Nk Jagrup Singh, 18 Sikh.
37. 9094695 L/Nk Mohd Iqbal, 5 JAK LI.
38. 3188659 Sep Raj Kumar, 6 Jat.
39. 9103306 RFN Mohinder Singh, 5 JAK LI.

Operation Orchid

40. IC-48649 Maj Jaydeep Yadav, Arty, 16 Assam Rif.

Operation Hifazat

41. IC-51222 Capt Rajnish Gambhir, Arty, 17 Assam Rif.

NAVY

Operation Vijay

1. Lt Cdr Ravi Nautiyal (03062H).
2. Lt Cdr Ajay Kumar Jolly (03323A).
3. Lt BK Prasanna (04220R).

AIR FORCE

Operation Khukri

1. Squadron Leader Mordhwaj Singh Choudhary (20744), Fying (Pilot).
2. Flight Lieutenant Sandeep Singh Gill (21832), Flying (Pilot).

3. 250186 Master Warrant Officer Susai Arul Susai Michael, Engine Fitter.
4. 618713 Warrant Officer Ganapathy Thavasi Pandian, Radar Fitter.
5. 642573 Warrant Officer Ram Ekbal Singh, Flight Engineer.
6. 678551 Sergeant Ramakrishna Tupati, Air Frame Fitter.
7. 696891 Sergeant Sasikumar Chonat, Flight Engineer.

BARUN MITRA
Dy. Secy. to the President

No. 75-Pres/2001—The President has been pleased to determine the following order of Precedence of Wearing of various Medals and Decorations.

This supersedes Notification No. 104-Pres/98, dated 11th November, 1998 issued from this Secretariat :—

1. Bharat Ratna
2. Param Vir Chakra
3. Ashoka Chakra
4. Padma Vibhushan
5. Padma Bhushan
6. Sarvottam Yudh Seva Medal
7. Param Vishisht Seva Medal
8. Maha Vir Chakra
9. Kirti Chakra
10. Padma Shri
11. Sarvottam Jeevan Raksha Padak
12. Uttam Yudh Seva Medal
13. Ati Vishisht Seva Medal
14. Vir Chakra
15. Shaurya Chakra
16. President's Police and Fire Services Medal for gallantry
17. President's Police Medal for gallantry
18. President's Fire Services Medal for gallantry
19. President's Correctional Service Medal for gallantry
20. President's Home Guards and Civil Defence Medal for gallantry
21. Yudh Seva Medal
22. Sena/Nao Seva/Vayu Sena Medal
23. Vishisht Seva Medal
24. Police Medal for gallantry
25. Fire Services Medal for gallantry
26. Correctional Service Medal for gallantry
27. Home Guards and Civil Defence Medal for gallantry
28. Uttam Jeevan Raksha Padak
29. Parakram Padak
30. General Service Medal—1947
31. Samanya Seva Medal—1965
32. Special Service Medal
33. Samar Seva Star—1965
34. Poorvi Star
35. Paschimi Star
36. Siachin Glacier Medal
37. Raksha Medal—1965
38. Sangram Medal
39. Sainya Seva Medal
40. High Altitude Medal
41. Police (Special Duty) Medal—1962
42. Videsh Seva Medal
43. President's Police and Fire Services Medal for distinguished service
44. President's Police Medal for distinguished service
45. President's Fire Services Medal for distinguished service
46. President's Correctional Service Medal for distinguished Service
47. President's Home Guards and Civil Defence Medal for distinguished service
48. Meritorious Service Medal
49. Long Service and Good Conduct Medal
50. Police Medal for meritorious service
51. Fire Services Medal for meritorious service
52. Correctional Service Medal for meritorious service
53. Home Guards and Civil Defence Medal for meritorious service
54. Jeevan Raksha Padak
55. Territorial Army Decoration
56. Territorial Army Medal
57. Indian Independence Medal—1947
58. Independence Medal—1950
59. 50th Anniversary of Independence Medal
60. 25th Independence Anniversary Medal
61. 30 Years Long Service Medal
62. 20 Years Long Service Medal
63. 9 Years Long Service Medal
64. Commonwealth Awards
65. Other Awards

BARUN MITRA
Dy. Secy. to the President

LOK SABHA SECRETARIAT

(ESTIMATES COMMITTEE BRANCH)

New Delhi-110001, the 1st May 2001

MEMBERS OF THE COMMITTEE ON ESTIMATES (2001-2002)

No. 4/2/EC/2001—The following Members of Lok Sabha have been elected to serve on the Committee on Estimates for the term ending 30th April, 2002:—

1. Shri G. M. Banatwalla
2. Shri S. Bangarappa
3. Shri Surendra Singh Barwala
4. Shri Lal Muni Chaubey
5. Shri A. B. A. Ghani Khan Choudhury
6. Shrimati Sheela Gautam
7. Shri Anant Gangaram Geete
8. Shri Sankar Prasad Jaiswal
9. Shri Vinod Khanna
10. Shri N. N. Krishnadas
11. Dr. C. Krishnan
12. Shri A. Krishnaswamy
13. Dr. Ramkrishna Kusmaria
14. Shri P. R. Kyndiah
15. Shri Samik Lahiri
16. Shri Sanat Kumar Mandal
17. Shri Manjaylal
18. Shri Shyam Bihari Mishra
19. Shri Nagmani
20. Prof. Rasa Singh Rawat
21. Shri G. Ganga Reddy
22. Shri Abdul Rashid Shaheen
23. Shri C. N. Singh
24. Shri Maheshwar Singh
25. Shri Rampal Singh
26. Shri Kodikunnil Suresh
27. Shri Lal Bihari Tiwari
28. Shri Shankersinh Vaghela
29. Prof. Ummareddy Venkateswarlu
30. Shri Ravi Prakash Verma

The Speaker has appointed Prof. Ummareddy Venkateswarlu, M. P. as the Chairman of the Committee on Estimates (2001 2002).

K. L. NARANG
Director

MINISTRY OE HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF SECONDARY EDUCATION AND HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 29th March 2001

No. F. 9-18/2000-U. 3—Chennai Medical College & Research Institute was granted Deemed to be University status under the provision of Section 3 of the UGC Act (1956) vide this Ministry's Notification No. F. 9-3/97-U. 3 dated July 7, 1998 subject to a review after three years.

The Central Govt. on the request of the State Govt. & on the advise of University Grants Commission hereby withdraws Deemed to be University status from Chennai Medical College & Research Institute, Chennai with immediate effect reverting to the postion which prevailed priot to declaration of Deemed to be University status.

P. K. GUPTA, Dy Secy.

MINISTRY OF TOURISM AND CULTURE
(DEPARTMENT OF CULTURE)

New Delhi, the 3rd April 2001

RESOLUTION

No. H. 15-11-2000-Estt.—In continuation of this Department's Resolution of even number dated 4-5-2000, 22-6-2000 and 27-6-2000, the term of the Review Committee of the Archaeological Survey of India is extended up to 30-06-2001.

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution may be communicated to all concerned.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

L. KHIANGTE, Dy. Secy.

MINISTRY OF POWER

New Delhi, the 15th January 2001

No. 6/2/97-Trans.—In partial modification of Ministry of Power's Resolution of even number issued on 4th August, 1997, Director (Economic & Commercial), Nuclear Power Corporation of India Ltd. (NPCIL) is appointed to represent Department of Atomic Energy/ NPCIL on Regional Electricity Boards of Southern, Western, Eastern, North-Eastern and Northern Region in place of Executive Director (O), NPCIL.

The other constituent members will remain the same.

ORDER

Ordered that the above Resolution be communicated to the State Governments of Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Delhi, UT Administration of Chandigarh, the Bhakra Beas Management Board the National Hydro-Electric Power Corporation, the PGCIL the Nuclear Power Corporation, the Central Electricity Authority, the Northern Regional Electricity Board, all the Ministries of the Govt. of India, the Prime Minister's Office, the Secretary to the President, the Planning Commission, the Comptroller and Auditor General of India.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India.

J. VASUDEVAN
Additional Secy.

The 11th April 2001

RESOLUTION

No. 3/1/2001-Trans.—In partial modification of the Ministry of Power's Resolution No. 7/5/82-trans dated 9th August 1982 it has been resolved to reconstitute the Central Power & Telecommunication Co-ordination committee as detailed below :

Composition of the Committee :

1.	Chief Engineers (LD&T) Central Electricity Authority, New Delhi.	Chairman in Alternate Year.
2.	Chief General Manager, Transmission & Distribution Circle, Bharat Sanchar Nigam Ltd. (BSNL), Jabalpur.	Do
3.	Director (PTCC), Central Electricity Authority.	Secretary (Power)
4.	DGM, Transmission & Distribution Circle, BSNL, Jabalpur.	Secretary (Telecom)
5.	Director (Telecom), Railway Board, New Delhi.	Member
6.	Director (ML), Ministry of Communication	Member
7.	Chairman/Co-Chairman of SLPTCC	Member
8.	Director (GP), Ministry of Communication	Member
9.	Representative from Army Headquarters	Member
10.	DDG(NE), TEC, BSNL, Hyderabad	Member
11.	DET(PTCC), Tranmission & Distribution Circle, BSNL	Associate Member

2. The Headquarters of the Committee shall be at Delhi and the Posts & Telegraph Directorate will provide Secretariat assistance.

3. FUNCTIONS OF THE COMMITTEE :

The Committee shall :

a. Study the existing rules and regulations issued on the subject by competent authorities and suggest modifications, if any, are called for

in the light of the present day researches and developments and international practices.

b. Initiate and undertake scientific and field studies associated with the problem of co-ordination

c. Examine and study all individual co-ordination cases and recommend measures to be undertaken.

4. For carrying out the above functions, the Committee may seek the assistance of the Engineering Branches of the Bharat Sanchar Nigam Ltd. (BSNL), the Engineering Department of the Central and State Governments and other Scientific organizations in India, such as the Indian Institute of Science, Bangalore and the Council of Scientific and Industrial Research, New Delhi in carrying out various field studies and experiments.

5. In order that field tests and investigations may be carried out by the various scientific bodies and the BSNL on behalf of the Committee, it is recommended that the Central and State Governments whose co-ordination problems are to be considered should continue to provide in their annual budgets necessary lump sum grants for the purpose.

ORDER

ORDERED that the above Resolution be communicated to all State Governments, the National Thermal Power Corporation, National Hydroelectric Power Corporation, the Power Grid Corporation of India Ltd. the Central Electricity Authority all Regional Electricity Boards, all the Ministries of the Govt. of India, the Prime Minister's Office, the Secretary to the President, the Planning Commission, the Comptroller and Auditor General of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India.

J. VASUDEVAN
Additional Secy.

खान मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनाक 26 मई, 2001

नियमावली

स० 4/1/2001-एम० II (एस एम०)—निम्नलिखित रिक्त पदों को भरने के लिये 2001 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली प्रतियोगिता, परीक्षा की नियमावली जल संसाधन मंत्रालय की सहमति से सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित की जाती है:—

वर्ग—1 (भारतीय भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण, खान मंत्रालय के पद)

(1) कनिष्ठ भू–विज्ञानी, ग्रुप "क" और

(2) सहायक भू–विज्ञानी, ग्रुप "ख"

वर्ग—2 (केन्द्रीय भूजल बोर्ड, जल संसाधन मंत्रालय के पद)।

(1) कनिष्ठ जल भू–विज्ञानी (वैज्ञानिक 'ख"), ग्रुप "क"।

(2) सहायक जल भू–विज्ञानी, ग्रुप "ख"।

2. कोई भी उम्मीदवार नियमों के अनुसार पात्र होने पर किसी एक या दोनो वर्गो के पदों के लिये, प्रतियोगी हो सकता है। जो उम्मीदवार परीक्षा के लिखित भाग के परिणाम के आधार पर अर्हता प्राप्त कर लेता है, उसे विस्तृत आवेदन प्रपत्र मे उन वर्गो के पदो के वरीयता क्रम को स्पष्ट रूप में उल्लेख करना होगा जिनके लिये वह विचार किये जाने का इच्छुक है, ताकि नियुक्ति करते समय योग्यता क्रम में उसके रैंक को ध्यान में रखते हुए उसके द्वारा दर्शायी गई वरीयता पर यथोचित रूप से विचार किया जा सके।

विशेष ध्यान (1): उम्मीदवार द्वारा विस्तृत आवेदन प्रपत्र में दर्शाई गई वरीयताओं में परिवर्धन/परिवर्तन करने संबधी किसी भी अनुरोध पर आयोग द्वारा ध्यान नहीं दिया जायेगा।

विशेष ध्यान (2): दोनों वर्गो के पदो के लिये प्रतियोगी उम्मीदवारों को वास्तव मे योग्यता सूची में उनके क्रम, उनके द्वारा दर्शाई गई वरीयताओं तथा रिक्तियों की संख्या के अनुसार ही पदों के लिये आवंटित किया जायेगा।

3. इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या आयोग द्वारा जारी किये गये नोटिस में निर्दिष्ट की जाएगी। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियो, अन्य पिछडी श्रेणियों तथा, शारीरिक रूप से अक्षम श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिये रिक्तियों के आरक्षण सरकार द्वारा निर्धारित रूप मे किये जायेंगे। उक्त परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्तियां शुरू मे अस्थाई रूप में की जाएगी।

4. आयोग द्वारा यह परीक्षा इन नियमों के परिशिष्ट—1 में निर्धारित रीति से आयोजित की जायेगी।

परीक्षा कब और कहा होगी यह आयोग द्वारा निश्चित किया जायेगा।

5. कोई उम्मीदवार या तो :—

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) नेपाल की प्रजा हो या

(ग) भूटान की प्रजा हो, या

(घ) भारत में स्थाई निवास के इरादे [illegible] से पहले भारत आया हुआ [illegible] हो [illegible] या

(ङ) भारत [illegible] स्थाई निवास [illegible] श्रीलंका, कीनिया, युगाण्डा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया, पूर्वी अफ्रीकी देशो या जाम्बिया, मलावी, जैरे, इथियोपिया या वियतनाम से प्रव्रजन कर आया हुआ मूलत भारतीय व्यक्ति हो।

किन्तु शर्त यह है कि उपर्युक्त वर्ग (ख), (ग), (घ) [illegible] सम्बद्ध उम्मीदवारो को सरकार ने पात्रता प्रमाण–पत्र प्रदान [illegible] हो।

जिस उम्मीदवार के मामले में पात्रता प्रमाण पत्र आवश्यक हो उसे परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है। किन्तु उसे नियुक्ति प्रस्ताव केवल तभी दिया जा सकता है जब भारत सरकार द्वारा उसे आवश्यक पात्रता प्रमाण–पत्र जारी कर दिया गया हो।

6. (क) इस परीक्षा के उम्मीदवार की आयु पहली जनवरी, 2001 को 21 वर्ष हो चुकी हो, किन्तु 32 वर्ष पूरी न हुई हो अर्थात् उनका जन्म 2 जनवरी, 1969 से पहले और पहली जनवरी, 1980 के बाद न हुआ हो।

(ख) यदि निम्नलिखित वर्गो के सरकारी कर्मचारी नीचे के कालम 1 में उल्लिखित किसी विभाग में नियोजित हैं और यदि वे कालम 2 में उल्लिखित समरूपी पद (पदों) हेतु आवेदन करते हैं उनके मामले में ऊपरी आयु सीमा में अधिकतम 7 वर्ष की छूट दी जायेगी:—

कालम 1	कालम 2
भारतीय भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण	भूविज्ञानी (कनिष्ठ), ग्रुप 'क' सहायक भू–विज्ञानी, ग्रुप 'ख'
केन्द्रीय भू–जल बोर्ड	कनिष्ठ जल भू–विज्ञानी (वैज्ञानिक ख) ग्रुप 'क', सहायक जल भू–विज्ञानी ग्रुप 'ख'

(ग) निम्नलिखित स्थितियों मे ऊपर निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में और छूट दी जायेगी :—

(1) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो तो अधिक से अधिक पांच वर्ष तक,

(2) अन्य पिछड़ी श्रेणियों के उन उम्मीदवारों के मामले में अधिकतम तीन वर्ष तक जो ऐसे उम्मीदवारों के लिये लागू आरक्षण को पाने के पात्र हों।

(3) ऐसे उम्मीदवार के मामले में, जिन्होने 01 जनवरी, 1980 से 31 दिसम्बर, 1989 तक की अवधि के दौरान साधारणतया जम्मू और कश्मीर राज्य में अधिवास किया हो, अधिकतम 5 वर्ष तक।

(4) शत्रु देश के साथ संघर्ष में या अशांतिग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्रवाई के दौरान विकलांग हुए तथा इसके परिणामस्वरूप निर्मुक्त हुए रक्षा सेवा के कार्मिकों मामले में अधिक से अधिक 3 वर्ष;

(5) जिन भूतपूर्व सैनिकों (कमीशन प्राप्त अधिकारियों तथा आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित), ने पहली जनवरी, 2001 को कम से कम 5 वर्ष की सैनिक सेवा की और जो कदाचार या अक्षमता के आधार पर बर्खास्त या सैनिक सेवा से हुए शारीरिक अपंगता या अक्षमता के कारण कार्यमुक्त न होकर अन्य कारणों से कार्यकाल के समापन पर कार्यमुक्त हुए हैं (इनमें वे भी सम्मिलित हैं जिनका कार्यकाल पहली जनवरी, 2001 से एक वर्ष के अन्दर पूरा होना है) उनके मामले में अधिक से अधिक 5 वर्ष तक;

(6) आपातकालीन कमीशन अधिकारियों/अल्पकालीन सेवा कमीशन अधिकारियों के मामले में अधिकतम 5 वर्ष जिन्होंने सैनिक सेवा के 5 वर्ष की सेवा की प्रारम्भिक अवधि पहली जनवरी, 2001 तक पूरी कर ली है, और जिनकी नियुक्ति 5 वर्ष से अधिक बढ़ाई गई हो तथा जिनके मामले में रक्षा मंत्रालय को एक प्रमाण पत्र जारी करना होता है कि वे सिविल रोजगार के लिये आवेदन कर सकते हैं और चयन होने पर नियुक्ति का प्रस्ताव प्राप्त करने की तारीख से तीन माह के नोटिस पर उन्हें कार्यभार से मुक्त किया जायेगा।

(7) दृष्टिहीन, मूक–बधिर एवं विकलांग व्यक्तियों के लिये अधिकतम 10 वर्षों तक।

टिप्पणी I : अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित वे उम्मीदवार, जो उपर्युक्त नियम 6 (ग) के किन्हीं अन्य खंडों अर्थात्, जो भूतपूर्व सैनिकों, जम्मू तथा कश्मीर राज्य में अधिवास करने वाले शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, दोनों श्रेणियों के अंतर्गत दी जाने वाली संचयी आयु सीमा–छूट प्राप्त करने के पात्र होंगे।

टिप्पणी II : भूतपूर्व सैनिक शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होगा जिन्हें समय–समय पर यथासंशोधित भूतपूर्व सैनिक (सिविल सेवा और पद में पुन: रोजगार) नियम, 1979 के अधीन भूतपूर्व सैनिक के रूप में परिभाषित किया जाता है।

टिप्पणी III : आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालीन सेवा के कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित वे भूतपूर्व सैनिक तथा कमीशन अधिकारी, जो स्वयं के अनुरोध पर सेवामुक्त हुए हैं, उन्हें उपर्युक्त नियम 6 (ग) (5) तथा (6) के अधीन आयु सीमा में छूट नहीं दी जाएगी।

टिप्पणी IV : उपर्युक्त नियम 6 (ग) (7) के अन्तर्गत आयु में छूट के उपबन्धों के बावजूद, शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवार की नियुक्ति हेतु पात्रता पर तभी विचार किया जा सकता है जब वह (सरकार या नियोक्ता प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो, द्वारा निर्धारित शारीरिक परीक्षण के बाद) सरकार द्वारा शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवार को आबंटित संबंधित सेवाओं/पदों के लिये निर्धारित शारीरिक एवं चिकित्सा मानकों की अपेक्षाओं को पूरा करता हो।

ऊपर की गई व्यवस्था को छोड़कर निर्धारित आयु सीमा में किसी भी हालत में छूट नहीं दी जा सकती।

आयोग जन्म की वह तारीख स्वीकार करता है जो मैट्रिकुलेशन या माध्यमिक विद्यालय छोड़ने के प्रमाण–पत्र में किसी भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा मैट्रिकुलेशन के समकक्ष माने गये प्रमाणपत्र किसी विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित मैट्रिकुलेटों के रजिस्टर में दर्ज की गई हो और वह उद्धरण विश्वविद्यालय के समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित हो। जो उम्मीदवार उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या उसकी समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका है वह उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र की अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत कर सकता है।

आयु के संबंध में कोई अन्य दस्तावेज जैसे जन्म कुण्डली, शपथ पत्र, नगर निगम तथा सेवा अभिलेख से प्राप्त जन्म संबंधी उद्धरण तथा अन्य ऐसे प्रमाण स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

अनुदेशों के इस भाग में आए हुए "मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र" वाक्यांश के अन्तर्गत उपर्युक्त वैकल्पिक प्रमाण पत्र सम्मिलित है।

टिप्पणी I :— उम्मीदवार यह ध्यान में रखें कि आयोग उम्मीदवार की जन्म की उसी तारीख को स्वीकार करेगा जो कि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तारीख को मैट्रिकुलेशन/उच्चतर परीक्षा प्रमाण पत्र में या समकक्ष परीक्षा प्रमाण पत्र में दर्ज है और इसके बाद उसमें

परिवर्तन के किसी अनुरोध पर न ही विचार किया जाएगा और न ही उसे स्वीकार किया जाएगा।

टिप्पणी 2:— उम्मीदवार यह भी नोट कर लें कि उनके द्वारा किसी परीक्षा में प्रवेश के लिए जन्म की तारीख एक बार लेख में दर्ज कर लेने के बाद उसमें बाद में या किसी बाद की परीक्षा में किसी भी कारण से परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

विशेष ध्यान :—

(1) जिस उम्मीदवार को नियम 6 (ख) के अन्तर्गत आयु सीमा में छूट के अधीन परीक्षा में प्रवेश दे दिया गया हो, उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी यदि आवेदन पत्र भेजने के बाद वह परीक्षा से पहले या परीक्षा देने के बाद सेवा से त्याग पत्र दे देता है या विभाग/कार्यालय द्वारा उसकी सेवायें समाप्त कर दी जाती हैं। किन्तु आवेदन करने के बाद यदि उसकी सेवा या पद से छटनी हो जाती है तो वह पात्र बना रहेगा।

(2) जो उम्मीदवार अपने विभाग को अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत कर देने के बाद किसी अन्य विभाग/कार्यालय को स्थानान्तरित हो जाता है वह उस पद (पदों) हेतु विभागीय आयु संबंधी रियायत लेकर प्रतियोगिता में सम्मिलित होने का पात्र रहेगा जिसका पात्र वह स्थानान्तरण न होने पर रहता बशर्ते कि उसका आवेदन पत्र विधिवत अनुशंसा सहित उसके मूल विभाग द्वारा अग्रेषित कर दिया गया हो।

उम्मीदवार के पास :—

7. (क) भारत के केन्द्र या राज्य विधान मण्डल के अधिनियम द्वारा नियमित किसी विश्वविद्यालय की या संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में मान्य घोषित किसी अन्य शिक्षा संस्थान से भू–विज्ञान या अनुप्रयुक्त भू–विज्ञान या समुद्र भू–विज्ञान में "मास्टर" डिग्री या

(ख) भारतीय खान विद्यालय, धनबाद से अनुप्रयुक्त भू–विज्ञान में एसोसियेटशिप का डिप्लोमा या

(ग) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से खनिज अन्वेक्षण में मास्टर डिग्री (केवल भारतीय भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण के अधीन) के लिये या

(घ) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से जल भू–विज्ञान में मास्टर डिग्री (केवल केन्द्रीय भूजल बोर्ड के पदों) हेतु।

टिप्पणी 1 :—यदि कोई उम्मीदवार ऐसी परीक्षा में बैठ चुका हो जिसे उत्तीर्ण कर लेने पर वह शैक्षिक दृष्टि से इस परीक्षा में बैठने का पात्र हो जाता है, पर अभी उसे परीक्षा के परिणाम की सूचना न मिली हो तो वह इस परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए आवेदन कर सकता है। जो उम्मीदवार इस प्रकार की अर्हक परीक्षा में बैठना चाहता है वह भी आवेदन कर सकता है। ऐसे उम्मीदवारों को यदि अन्यथा पात्र होंगे तो परीक्षा में बैठने दिया जाएगा। परन्तु परीक्षा में बैठने की यह अनुमति अनंतिम मानी जाएगी और अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण प्रस्तुत न करने की स्थिति में उनका प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा। उक्त प्रमाण विस्तृत आवेदन पत्र के, जो उक्त परीक्षा के लिखित भाग के परिणाम के आधार पर अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों द्वारा आयोग को प्रस्तुत करने पड़ेंगे, साथ प्रस्तुत करना होगा।

टिप्पणी 2 :—विशेष परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग ऐसे किसी उम्मीदवार को भी शैक्षिक दृष्टि से योग्य मान सकता है जिसके पास इस नियम में विहित अर्हताओं में से कोई अर्हता न हो, बशर्ते कि उम्मीदवार ने किसी संस्था द्वारा ली गई कोई ऐसी परीक्षा पास कर ली हो जिसका स्तर आयोग के मतानुसार ऐसा हो कि उसके आधार पर उम्मीदवार का परीक्षा में प्रवेश उचित ठहर सके।

टिप्पणी 3 :—जिस उम्मीदवार ने अन्यथा अर्हता प्राप्त कर ली है किन्तु उसके पास विदेशी विश्वविद्यालय की ऐसी डिग्री है, जो सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त नहीं है तो वह भी आयोग को आवेदन कर सकता है और उसे आयोग की विवेक्षा पर परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है।

8. उम्मीदवारों को आयोग के नोटिस में निर्धारित शुल्क का भुगतान अवश्य करना चाहिए।

9. जो व्यक्ति पहले से ही सरकारी नौकरी में आकस्मिक या दैनिक दर कर्मचारी से इतर स्थाई या अस्थाई हैसियत से या कार्य प्रभावित कर्मचारियों की हैसियत से काम कर रहे हैं या जो सार्वजनिक उद्यमों में कार्यरत हैं उन्हें यह वचन (अण्डरटेकिंग) प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के प्रधान को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है।

उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि यदि आयोग उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने/परीक्षा में बैठने के संबंध में अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन अस्वीकृत किया जा सकता है/उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

10. परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार के आवेदन प्रपत्र को स्वीकार करने तथा उनकी पात्रता या अपात्रता के बारे में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

परीक्षा में आवेदन करने वाले उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर लें कि वे परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए पात्रता की सभी शर्तें पूरी करते हैं। परीक्षा के उन सभी स्तरों, जिनके लिये आयोग में उन्हें प्रवेश दिया है, अर्थात् लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार परीक्षण में उनका प्रवेश पूर्णतः अनन्तिम होगा तथा उनके निर्धारित पात्रता की शर्तों को पूरा करने पर आधारित होगा। यदि लिखित परीक्षा तथा

साक्षात्कार परीक्षण के पहले या बाद में सत्यापन करने पर यह पता चलता है कि वे पात्रता की किन्ही शर्तों को पूरा नहीं करते हैं तो आयोग द्वारा परीक्षा के लिए उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

11. किसी उम्मीदवार को परीक्षा मे तब तक नहीं बैठने दिया जाएगा जब तक कि उसके पास आयोग का प्रवेश प्रमाण–पत्र (सर्टिफिकेट ऑफ एडमीशन) न हो।

12. जिस उम्मीदवार ने :—

(1) किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिये समर्थन प्राप्त किया है अथवा

(2) नाम बदल कर परीक्षा दी है अथवा

(3) किसी अन्य व्यक्ति से छदम रूप से कार्य साधन कराया है, अथवा

(4) जाली प्रलेख या ऐसे प्रलेख प्रस्तुत किए हैं जिनमे तथ्यो में फेरबदल किया गया है, अथवा

(5) गलत या झूठे वक्तव्य दिए हैं या किसी महत्त्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है अथवा

(6) परीक्षा में उम्मीदवार के सबध में किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायो का सहारा लिया है, अथवा

(7) परीक्षा के समय अनुचित साधन का प्रयोग किया हो, अथवा

(8) उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बातें लिखी हो जो अश्लील भाषा मे या अभद्र आशय की हो, अथवा

(9) परीक्षा भवन मे और किसी प्रकार का दुर्व्यवहार किया हो, अथवा

(10) परीक्षा चलाने के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियो को परेशान किया हो, अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाई हो, अथवा

(11) उम्मीदवारो को परीक्षा देने की अनुमति देते हुए प्रेषित [illegible] के साथ जारी किसी अनुदेश का [illegible] हो, अथवा

(12) पूर्वोक्ति खंडों मे उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य को करने का प्रयास किया हो या करने की प्रेरणा दी हो, [illegible] हो उन पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रोसीक्यूशन) चलाया जा सकता है और इसके साथ ही उसे —

(क) आयोग द्वारा उस परीक्षा मे जिसका वह उम्मीदवार है, बैठने के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है तथा/अथवा

(ख) उसे स्थायी रूप से अथवा [illegible] विशेष अवधि के लिए :—

(1) [illegible] किसी भी परीक्षा अथवा

(2) केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने अधीन किसी भी नौकरी से वारित किया जा सकता है, और

(ग) यदि वह सरकार के अतर्गत पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपर्युक्त नियमो के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।

किन्तु शर्त यह है कि इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक :—

(1) उम्मीदवार इस सबध मे जो लिखित अभ्यावेदन देना चाहे उसे प्रस्तुत करने का अवसर न दिया गया हो, और

(2) उम्मीदवार द्वारा अनुमत समय मे यदि कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया हो तो उस पर विचार न कर लिया गया हो।

13. जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा मे आयोग द्वारा अपनी विवक्षा पर निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त कर लेते हैं उन्हें व्यक्तित्व परीक्षण हेतु साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।

परन्तु यदि आयोग के मतानुसार सामान्य स्तर के आधार पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडी श्रेणियों के लिए आरक्षित रिक्तियो के भरने के लिए इन जातियों के उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में व्यक्तित्व परीक्षण के लिए साक्षात्कार हेतु नहीं बुलाए जा सकते हैं तो आयोग उनको स्तर में छूट देकर व्यक्तित्व परीक्षण हेतु साक्षात्कार के लिए बुला सकता है।

14. (1) साक्षात्कार के बाद आयोग प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा अतिम रूप से प्राप्त कुल अंकों के आधार पर योग्यता क्रम से उम्मीदवारो की सूची बनाएगा और उसी क्रम से उन उम्मीदवारों में से जिन्हें आयोग योग्य समझेगा उनकी उन अनारक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति के लिए अनुशंसा करेगा जिन्हें इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर भरा जाना है।

(2) आयोग द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अ० पि० श्रेणियो के उम्मीदवारों को, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ी श्रेणियो के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या तक, स्तर में छूट देकर सिफारिश की जा सकेगी किन्तु शर्त यह है कि ये उम्मीदवार सेवा पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त हों।

परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछडी श्रेणियों के जिन उम्मीदवारों की अनुशंसा आयोग द्वारा परीक्षा के किसी भी चरण में अर्हता या चयन माप दंडों में रियायत/छूट दिए बिना की जाती है, उनका समायोजन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछडी श्रेणियों के लिए आरक्षित रिक्तियों में नहीं किया जाएगा।

15. शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों हेतु आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए उन्हे परीक्षा के सभी स्तरों पर आयोग के विवेकानुसार निर्धारित अर्हता स्तर में छूट दी जाएगी। तथापि यदि शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवार का आयोग द्वारा सामान्य, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछडे वर्गों के

उम्मीदवारों हेतु निर्धारित अर्हता स्तर पर अपेक्षित संख्या में अपनी योग्यता पर चयन होता है तो आयोग द्वारा रियायती स्तर पर अतिरिक्त शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों अर्थात् उनके लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या से अधिक की अनुशंसा नहीं की जाएगी।

16. प्रत्येक उम्मीदवार को परीक्षाफल की सूचना किस रूप में और किस प्रकार दी जाए इसका निर्णय आयोग स्वयं करेगा और आयोग उनसे परीक्षाफल के बारे में कोई पत्र–व्यवहार नहीं करेगा।

17. परीक्षा में पास हो जाने मात्र से ही नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता है इसके लिए आवश्यक है कि सरकार आवश्यकतानुसार जांच करके इस बात से संतुष्ट हो जाए कि उम्मीदवार चरित्र तथा पूर्ववृत्त की दृष्टि से इस सेवा में नियुक्ति के लिए हर प्रकार से उपयुक्त है।

18. उम्मीदवार को मानसिक और शरीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना चाहिए और उसमें कोई ऐसा शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जिससे वह संबंधित सेवा के अधिकारी के रूप में अपने कर्त्तव्यों को कुशलतापूर्वक न निभा सके सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जैसी भी स्थिति हो, निर्धारित चिकित्सा परीक्षा के बाद किसी उम्मीदवार के बारे में यह पाया जाता है कि वह इन अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सकता है तो उसकी नियुक्ति नहीं की जाएगी। व्यक्तित्व परीक्षण के लिए आयोग द्वारा बुलाए गए उम्मीदवारों की चिकित्सा परीक्षा भाग-I कराई जाएगी तथा इस परीक्षा के आधार पर अंतिम रूप से सफल घोषित किए जाने पर चिकित्सा परीक्षा भाग-II कराई जाएगी। भाग-I तथा भाग-II के चिकित्सा परीक्षण विवरण इस नियमावली के परिशिष्ट-II में दिए गए हैं। डाक्टरी परीक्षा के समय उम्मीदवार शुल्क के रूप में रु० 16.00 (केवल सोलह रुपये) का भुगतान चिकित्सा बोर्ड को करेगा।

नोट :—निराशा से बचने के लिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन करने से पहले सिविल सर्जन स्तर के सरकारी चिकित्सा अधिकारी से अपनी डाक्टरी जांच करा लें। उम्मीदवारों को नियुक्ति से पहले जिन डाक्टरी परीक्षाओं से गुजरना होगा इनके स्वरूप के विवरण और मानक परिशिष्ट-2 में दिए गए हैं। विकलांग हुए भूतपूर्व सैनिकों को पद विशेष की अपेक्षाओं के अनुसार स्तर में छूट दी जाएगी।

19. शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को उनके लिए आरक्षित रिक्तियों पर विचार किए जाने के लिए उनकी अक्षमता चालीस प्रतिशत (40%) या उससे अधिक होनी चाहिए। तथापि ऐसे उम्मीदवारों से निम्नलिखित शारीरिक अपेक्षाओं/क्षमताओं में से एक या अधिक जो संबंधित सेवाओं/पदों में कार्य निष्पादन हेतु आवश्यक हो, पूरी करने की अपेक्षा की जाएगी।

कोड		शारीरिक अपेक्षाएं
एफ (F)	1.	हस्तकौशल (अंगुलियों से) द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कार्य।
पी पी (PP)	2.	खींच कर तथा धक्के द्वारा किए जाने वाले कार्य।
एल (L)	3.	उठाकर किए जाने वाले कार्य।
के सी (KC)	4.	घुटने के बल बैठकर तथा क्राउचिंग द्वारा किए जाने वाले कार्य।
बी (B)	5.	झुककर किए जाने वाले कार्य।
एस (S)	6.	बैठकर (बेंच या कुर्सी पर) किए जाने वाले कार्य।
एस टी (ST)	7.	खड़े होकर किए जाने वाले कार्य।
डब्ल्यू (W)	8.	चलते हुए किए जाने वाले कार्य।
एस ई (SE)	9.	देखकर किए जाने वाले कार्य।
एच (H)	10.	सुनकर/बोलकर किए जाने वाले कार्य।
आर डब्ल्यू (RW)	11.	पढ़कर तथा लिखकर किए जाने वाले कार्य।

संबंधित सेवाओं/पदों की अपेक्षाओं के अनुरूप उनके मामलों में कार्यात्मक वर्गीकरण निम्नलिखित में से एक या अधिक होगा:—

कार्यात्मक वर्गीकरण

कोड		कार्य
बी एल (BL)	1.	दोनों पैर खराब लेकिन भुजाएं नहीं।
बी ए (BA)	2.	दोनों भुजाएं खराब–क. दुर्बल पहुंच ख. पकड़ की दुर्बलता
बी एल ए (BLA)	3.	दोनों पैर तथा दोनों भुजाएं खराब।
ओ एल (OL)	4.	एक पैर खराब (दायां या बायां)–क. दुर्बल पहुंच ख. पकड़ की दुर्बलता ग. ऐटेक्सिक
ओ ए (OA)	5.	एक भुजा खराब (दाईं या बाईं) –यही–
बी एच (BH)	6.	सख्त पीठ तथा कूल्हे (बैठ या झुक नहीं सकते)।
एम डब्ल्यू (MW)	7.	मांसपेशीय दुर्बलता तथा सीमित शारीरिक सहनशक्ति।
बी (B)	8.	नेत्रहीन।
पी बी (PB)	9.	आंशिक नेत्रहीन।
डी (D)	10.	बधिर।
पी डी (PD)	11.	आंशिक बधिर।

20. जिस व्यक्ति ने :—

(क) ऐसे व्यक्ति से विवाह या विवाह अनुबंध किया है जिसका जीवित पति/पत्नी पहले से है, या

(ख) जीवित पति/पत्नी के रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह या विवाह अनुबंध किया है, तो वह सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू होने वाले वैयक्तिक कानून के अनुसार स्वीकार्य है और ऐसा करने के

लिए अन्य कारण भी है तो किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट दी जा सकती है।

21. इस परीक्षा में माध्यम से जिन पदों के संबंध में भर्ती की जा रही है उसका संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट-3 में दिया गया है।

ऐ० के० भण्डारी
निदेशक

परिशिष्ट—I

1. परीक्षा निम्नलिखित योजना के अनुसार आयोजित की जाएगी :—

भाग-1— नीचे पैरा 2 में दिए गए नियमो में लिखित परीक्षा।

भाग-2— आयोग द्वारा साक्षात्कार हेतु बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों का व्यक्तित्व परीक्षण जो अधिकतम 200 अंकों का है।

2. लिखित परीक्षा निम्न विषयों में ली जाएगी :—

	विषय	समय	पूर्णांक
(1)	सामान्य अंग्रेजी	2 घंटे	100
(2)	भू–विज्ञान प्रश्न–पत्र I	3 घटे	200
(3)	भू–विज्ञान प्रश्न–पत्र-II	3 घंटे	200
(4)	भू–विज्ञान प्रश्न–पत्र III	3 घटे	200
(5)	जल भू–विज्ञान	3 घंटे	200

नोट :— वर्ग 1, और वर्ग 2 के अंतर्गत पत्रों के लिए प्रतियोगी उम्मीदवारो को उपर्युक्त सभी विषय लेने होगे। केवल वर्ग 1 के अन्तर्गत पदों के लिए प्रतियोगी उम्मीदवारों को उपर्युक्त (1) से (4) तक के विषय लेने होंगे और केवल वर्ग 2 के अन्तर्गत पदों के लिए प्रतियोगी उम्मीदवारों को (1) से (3) तथा (5) तक विषय लेने होगे।

3. सभी विषयों की परीक्षा पूर्णत. परम्परागत निबंधात्मक प्रकार की होगी।

4. सभी प्रश्न–पत्रों का उत्तर अंग्रेजी में देना होगा। प्रश्न–पत्र केवल अंग्रेजी में होंगे।

5. परीक्षा का स्तर और पाठ्यचर्या संलग्न अनुसूची के अनुसार होगे।

6. उम्मीदवारों को उत्तर अपने ही हाथ से लिखने चाहिए। उन्हें उत्तर लिखने के लिए किसी लिखने वाले की सहायता की अनुमति नहीं दी जाएगी।

7. आयोग परीक्षा के किसी एक या सभी विषयों के लिए अर्हक अक निश्चित कर सकता है।

8. यदि किसी उम्मीदवार की लिखावट आसानी से पढ़ने लायक नहीं होगी तो उसे अन्यथा मिलने वाले अंकों मे से कुछ अंक काट लिए जाएंगे।

9. अनावश्यक ज्ञान के लिए अंक नहीं दिए जाएंगे।

10. परीक्षा के सभी विषयों में इस बात का श्रेय दिया जाएगा कि अभिव्यक्ति कम से कम शब्दों में, क्रमबद्ध प्रभावपूर्ण ढंग को और सही हो।

11. प्रश्न–पत्र में आवश्यक होने पर केवल प्रश्न तोल और माप की मीट्रिक प्रणाली से संबंधित ही पूछे जाएंगे।

12. उम्मीदवारों को प्रश्न–पत्रों के उत्तर लिखते समय भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप (अर्थात् 1, 2, 3, 4, 5, 6 आदि) का ही प्रयोग करना चाहिए।

13. उम्मीदवारों को इस परीक्षा में अपने साथ बैटरी चालित पाकेट केलकुलेटर लाने तथा प्रयोग करने की छूट है। परीक्षा हाल में केलकुलेटर उधार लेने अथवा बदलने की अनुमति नहीं है।

14. व्यक्तित्व परीक्षण हेतु साक्षात्कार

उम्मीदवार का साक्षात्कार सक्षम तथा निष्पक्ष प्रेक्षकों के एक बोर्ड द्वारा होगा जिसके समक्ष उम्मीदवार के परिचयवृत का पूर्व अभिलेख होगा। साक्षात्कार का उद्देश्य उम्मीदवार जिस पद के लिए वह प्रतियोगी है उसके लिए उसकी उपयुक्तता को आंकना है। व्यक्तित्व परीक्षण में उम्मीदवार की नैतृत्व, पहलशक्ति और बौद्धिक जिज्ञासा, व्यवहार कौशल और अन्य सामाजिक गुणों, मानसिक और शारीरिक शक्ति, व्यवहारिक अनुप्रयोग की क्षमताओं, चारित्रिक सत्यनिष्ठा और स्वयं को कार्य क्षेत्र के अनुकूल बनाने के प्रति अभिरुचि की क्षमताओं के मूल्यांकन की ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

अनुसूची

स्तर और पाठ्यचर्या

अंग्रेजी के प्रश्न–पत्र का स्तर ऐसा होगा जिसकी अपेक्षा विज्ञान के स्नातक से की जाती है। भू–वैज्ञानिक विषय भारतीय विश्वविद्यालय की एम०एस०सी० डिग्री स्तर के होंगे और सामान्यतः प्रत्येक विषय में ऐसे प्रश्न रखे जाएंगे जिनमें उम्मीदवारों की विषय की समझ का पता लग सके।

किसी भी विषय की प्रायोगिक परीक्षा नहीं होगी।

(1) सामान्य अंग्रेजी

उम्मीदवारों की अंग्रेजी में एक लघु निबंध लिखना होगा। अन्य प्रश्नों का उद्देश्य उनकी अंग्रेजी समझने की क्षमता तथा शब्दों के सुनिपुण की परीक्षा करना होगा।

(2) भू-विज्ञान

प्रश्न-पत्र-1

खंड क : भू-आकृति विज्ञान तथा सुदूर संवेदन

मूल सिद्धांत। अपक्षण तथा मृदा बृहत क्षति। प्रक्रियाओं पर जलवायु का प्रभाव। अपरदन चक्र की अवधारणा। नदीय भू भाग, शुष्क क्षेत्रों, तटीय क्षेत्रों 'कार्स्ट' भूदृश्य तथा हिमानी श्रृंखलाओं का भू–आकृति विज्ञान, भू–आकृति मानचित्रण, ढाल विश्लेषण तथा

अप्रवाह द्रोणी विश्लेषण। खनिज पूर्वेक्षण, सिविल इंजीनियरी, जल विज्ञान तथा पर्यावरणीय अध्ययनों मे, भू–आकृति विज्ञान का अनुप्रयोग। स्थलाकृति मानचित्र। भारत का भू–आकृति विज्ञान। वायवीय फोटोग्राफी तथा फोटोग्राममीति की अवधारणा तथा नियम। उपग्रह सुदूर सवेदन–आंकडा उत्पाद तथा उनकी व्याख्या की परिकल्पना तथा सिद्धांत। प्रतिबिम्ब संसाधन। स्थलरूप में सुदूर सवेशन तथा भू उपयोग मानचित्रण संरचना मानचित्रण–जल भूविज्ञानीय अध्ययन तथा खनिज अन्वेषण। विश्वव्यापी तथा भारतीय अंतरिक्ष मिशन। भौगोलिक सूचना तंत्र (GIS)—सिद्धांत तथा अनुप्रयोग।

खंड ख : संरचना भू-विज्ञान

भू–वैज्ञानिक मानचित्रण तथा मानचित्र, अंकन, प्रक्षेप आरेख के सिद्धांत। इलास्टिक, प्लास्टिक तथा लसीला के (विस्कोसा) सामग्री का बल–दबाव संबंध, विकृत शेलो के दबाव का मापन विरूपण परिस्थितियों में खनिजों तथा शेलो का व्यवहार। बलन, भेदन/दरार रेखण, सधियों तथा भ्रंशों का सरचनात्मक विश्लेषण, अध्यारोपित विरूपण। क्लनन तथा भ्रंशन की क्रियाविधि। क्रिस्टलन और विरूपण के बीच समय संबधता विषमविन्यास तथा आधार–उपस्थिति संबंध। आग्नेय शेलों, अतर्वेधी तथा लवण गुम्बदों का संरचनात्मक व्यवहार। शेल संविन्यासी परिचय।

खंड ग : भू-विवर्तनिक

पृथ्वी तथा सौर पद्धति, उल्कापिन्ड तथा अन्य अति पार्थिव पदार्थ पृथ्वी का ग्रहीय विकास तथा इसकी आंतरिक संरचना। पृथ्वी की भू–पटल की विषमता। महासागरीय तथा महाद्वीपीय भू–पटल की प्रमुख विवर्तनिक विशेषताएं। महाद्वीपीय विस्थापन—भूवैज्ञानिक तथा भू–भौतिकीय प्रमाण, यांत्रिकी आपत्तियां, वर्तमान स्थिति। मध्यसागरीय कटक, गभीरसागर खाईयां, स्थर भू–खंड क्षेत्रों तथा पर्वतीय श्रृंखलाओ पर गुरुत्व एवं चुम्बकीय असंगति। पराचुम्बकत्व। समुद्रतल विस्तारण तथा प्लेट विवर्तनिकी। द्वीप चाप, महासागरीय द्वीप तथा ज्वलामुखी चाप। समस्थिति, पर्वतन तथा महादेशरचना। पृथ्वी की भूकंपीय पट्टियां। भूकंपीयता तथा प्लेट संचलन। भारतीय पट्टिका की भू–गतिकी।

खंड घ : स्तरिकी

नाम पद्धति तथा आधुनिक स्तरिकी नियमावली। विकिरण—समस्थानी तथा भूवैज्ञानिक काल मापन। भूवैज्ञानिक काल—स्केल। अजीवाश्मी गैर जीवाश्ममय शैली के सहसंबंध की स्तरिकी प्रक्रियाएं। भारत की कैम्बरियन पूर्व स्तरिकी। भारत की पुराजीवी मध्यजीवी तथा नूतनजवी शैल समूह की स्तरिकी। गोडवाना शेल समूह तथा गोडवाना भूमि। हिमालय का उत्थान तथा शिवालिक द्रोणी का विकास। दक्खिनी ज्वालामुखी। चतुर्थ महाकल्प स्तरिकी। शैल अभिलेख, पुराजलवायु तथा पुरा भूगोल।

खंड ङ : जीवाश्म विज्ञान

जीवाश्म अभिलेख तथा भूवैज्ञानिक काल स्कंल। आकृति विज्ञान तथा जीवाश्म समूहों के काल परिसर। भूवैज्ञानिक काल में मोलस्को तथा स्तनपायियों में विकासीय परिवर्तन। विकास के सिद्धांत। जैव स्तरिकी सह–सबंध में फोरामिनीफेरा तथा एकिनोडमांट की जातियों तथा सवंशों का प्रयोग। शिवालि कक्षेरूकी प्राणिजात तथा गोडवाना वनस्पति, कैम्बरियन पूर्व काल में जीवन का प्रमाण। विभिन्न सूक्ष्म जीवाश्म समूह तथा उनका भारत में वितरण।

(3) भू-विज्ञान

प्रश्न पत्र-II

भाग क : खनिजिकी

आम शैल निर्मित करने वाले सिलीकेट खनिज समूहों के भौतिकीय, रसायनिक तथा क्रिस्टल संरचनात्मक अभिलक्षण। आग्नेय तथा कायांतरी शैलों के आम खनिज। कार्बोनेट, फास्फेट, सल्फाइड तथा हैलाइड समूहों के खनिज।

आम शैल निर्मित करने वाले सिलीकेट खनिजों के प्रकाशीय गुण, एक अक्षीय तथा द्विअक्षीय खनिज। खनिजों के विलोम कोण, बहु–वर्णता, द्विअवर्तन तथा उनके खनिज संघटन से संबंध। यमलित क्रिस्टल/प्रकीर्णन। 4 स्टेज।

भाग ख : आग्नेय तथा कायांतरी शैलिकी

आग्नेय शैलों के रूप, गठन तथा संरचना। सिलीकेट गलित संतुलन, द्विअंगी तथा त्रिअंगी अवस्था आरेख। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, एन्डेजाइट तथा क्षारीय शैलों की शैलिकी तथा भूविवर्तनिक विकास। ग्रैवो, किम्बरलाइट एनार्थसाइट तथा कार्बोनेटाइट की शलिकी/प्राथमिक अल्पसिलिक मैग्माकी उत्पत्ति।

कायांतरी शैलों का गठन तथा संरचना। मृदार्श्मक तथा अशुद्ध कैल्सियमी शैलों का क्षेत्रीय तथा संस्पर्श कायान्तरण। खनिज समुच्चय तथा P-T अवस्था। कायांतरिन अभिक्रियों का प्रायोगिक तथा उष्मागतिक मूल्यांकन। कायांतरण के विभिन्न कोटि तथा संलक्षणी के अभिलक्षण। मैटासेमिटज्म तथा ग्रेनाइटांभवन, मिग्मेटाइट/प्लेटविर्वतनिकी तथा कायांतरण मंडल युग्मित कायांतरिक पट्टी।

भाग ग : अवसादी विज्ञान

अवसादी का जनक क्षेत्र तथा प्रसंघनन। अवसादी गठन। स्थलजात अवसादों का ढांचा मैट्रिक्स तथा सीमेंट। कण–साइज की परिभाषा, मापन तथा व्याख्या/हाड्रोलिक्स के तत्व। प्राथमिक संरचना तथा पुराधारा विश्लेषण। जीव जनित तथा रासायनिक अवसादी संरचना। अवसादी पर्यावरण तथा संलक्षणी। समुद्री, असमुद्री तथा मिश्रित अवसादों का संलक्षणी प्रतिरूपण। विवर्तनिक तथा अवसादन। अवसादी द्रोणियों का वर्गीकरण तथा परिभाषा। भारत के अवसादी द्रोणियां। चक्रीय अवसाद। भूकंपी तथा अनुक्रमी स्तेरिकी/द्रोणी विश्लेषण का लक्ष्य तथा क्षेत्र। संरचना परिरेखा तथा समस्थूलता मैप।

भाग घ : भू-रसायन

पृथ्वी, सौर परिवार तथा समिष्टि के संबंध में, तत्वों का अंतरिक्षी बाहुल। ग्रहों तथा उल्कापिंडों का संघटन। पृथ्वी की संरचना तथा संघटन और तत्वों का वितरण। सूक्ष्म मांत्रिक तत्व। मूल (प्रारंभिक)

क्रिस्टल रसायन तथा उष्मागतिकी। समस्थानिक रसायन का परिचय। जलमंडल, जीवमंडल तथा वायुमंडल का भू–रसायन/भूरसायनिक चक्र तथा भूरसायनिक पूर्वेक्षण के सिद्धांत।

भाग ङ : पर्यावरणीय भूविज्ञान

सकल्पना तथा सिद्धात। प्राकृतिक आपदा–निरोधक/पूर्वोपाय विधिया–बाढ़, भूस्खलन, भूकम्प, नदी तथा तटीय अपरदन। मानवोद्भवी सक्रियता जैसे नगरीकरण, विवृत खनन तथा अखनन, नदी–घाटी परियोजना, औद्योगिक तथा रेडियोधर्मी अवशिष्ट का निपटान, भौमजल का अतिअधिक निकासी, उर्वरक का उपयोग, अयस्कों, खनन अवशिष्टों तथा फ्लाइ ऐश का क्षेपण का प्रतिघाट निर्धारण/भौमजल का कार्बनिक तथा अकार्बनिक दूषण तथा उनके उपचार की विधियां। मृदा निम्नीकृत तथा उपचार की विधियां। पर्यावरण संरक्षा–भारत में वैधानिक विधियां।

(4) भूविज्ञान

प्रश्न पत्र-III

खंड क : भारतीय खनिज निक्षेप तथा खनिज अर्थशास्त्र

धात्विक निक्षेपों की भारत में प्राप्ति तथा वितरण–क्षारक धातु, लोहा, मैंगनीज, एलुमिनियम, क्रोमियम, निकल, सोना, चांदी मालिब्डेनम। भारतीय अधात्वनिक्षेप–अभ्रक, एसबेस्टस, बेराईटीज, जिप्सम, ग्रैफाइट, ऐपाटाइट तथा बेरिल। रत्नपाषाण, दुर्गलनीय खनिज, अपघर्षक तथा कांच उर्वरक, प्रलेप, सिरोमिक तथा सीमेंट उद्योग के उपयोग में आने वाले खनिज। इमारती पत्थर। फासफोराइट निक्षेप। लेसर निक्षेप। दुर्लभ मृदा खनिज।

युक्तीय, क्रांतिक तथा अनिवार्य खनिज। खनिज उत्पादन में भारत की स्थिति। खनिज खपत का बदलता पैटर्न। राष्ट्रीय खनिज नीति। खनिज अनुदान नियम। समुद्री खनिज सम्पत्ति तथा समुद्र के नियम।

खंड ख : अयस्क उत्पत्ति

अयस्क निक्षेप तथा अयस्क खनिज। खनिजन के मैग्मीय प्रक्रम। पार्थिरी, स्कार्न तथा उष्णजलीय खनिजन। तरल अंतर्वेश अध्यमन। (I) अतिमैफिक, मैफिक तथा अधिसिलिक शैलों (II) हरितास्म पट्टी (III) कोमाटाइट, एनार्थोसाइट तथा किम्बरलाइट एवं अंतः सागरीय ज्वालामुखन से संबंधित खनिजन। भू–वैज्ञानिक समय आद्योपान्त में मैग्मा–संबंधी खनिजन। स्तररूप तथा स्तरपरिमा अयस्क। अयस्क तथा कायांतरण–कारण और परिणाम संबंध।

खण्ड ग : खनिज अन्वेषण

पृष्ठ तथा अधस्तलीय अन्वेषण की विधियां, आर्थिक खनिजों का पूर्वेक्षण–प्रवेधन, प्रतिचयन, आमापनन। भूभौतिकीय प्रविधि–गुरुत्व, वैद्युत, चुम्बकीय, वायुवाहित तथा भूकंपी। भूआकृतिक तथा सुदूर संवेदन प्रविधि। भूवानस्पतिक तथा भूरासायनिक विधियां। वेधन संलेखन तथा विचलन के लिए सर्वेक्षण।

खण्ड घ : ईंधन का भूविज्ञान

कोयला की परिभाषा तथा उत्पति। कोयला युक्त संस्तरकी स्तरिकी। कोयला शैल विज्ञान के मूलभूत, पीट, लिग्नाइट, बिटुमेनी तथा ऐन्थ्रासाइट कोयला। कोयला के सूक्ष्मदर्शीय संघटक। कोयला–शैल विज्ञान का औद्योगिक अनुप्रयोग। भारतीय कोयला निक्षेप। कार्बनी पदार्थों का प्रसंघनन।

प्राकृतिक हाइड्रोकार्बनों की उत्पति, अभिगमन तथा फंसना। स्त्रोत तथा तैलाश्म शैलों के अभिलक्षण। सरचनात्मक, स्तरिक तथा मिश्रित ट्रैप। अन्वेषण की प्रविधियां। भारत के अभितट तथा अपतट पेट्रोलियम द्रोणियों का भौगोलिक तथा भूवैज्ञानिक वितरण।

रेडियोसक्रिय खनिजों की खनिजिकी तथा भूरसायन। रेडियोसक्रियता पहचानने की यत्रीय प्रविधियां। खनिजों के निक्षेपों के पूर्वेक्षण तथा आमापन के लिए रेडियोसक्रिय विधियां। भारत में रेडियो सक्रिय खनिजों का वितरण, पेट्रोलियम की खोज में रेडियोसक्रिय विधिया–कूप संलेखन प्रविधि। नाभिकीय अपरद निपटान–भूवैज्ञानिक बाधाए।

खण्ड ङ : इंजीनियरी भूविज्ञान

शैलों तथा मृदाओं के बलकृत गुणधर्म। नदी घाटी परियोजनाओं में भूवैज्ञानिक अन्वेषण–बांध तथा जलाशय, सुरंगे–प्रकार, विधिया तथा समस्याएं। सेतु–प्रकार तथा आधारी समस्याएं। तटरेखा इंजीनियरी। भूस्खलन–वर्गीकरण, कारण निवारण तथा पुनर्वास। कंक्रीट पुंज–स्त्रोत, क्षार–पुंज प्रतिक्रिया। अभूकंपी, योजना–भारत मे भूकंपनीयता तथा भूकंप प्रतिरोध संरचनाएं। इंजीनियरी परियोजनाओं में भौमजल की समस्याएं। भारत के मुख्य परियोजनाओं के भू–तकनीकी केस अध्ययन।

(5) जल भूविज्ञान

खण्ड क : जल का उद्भव, प्राप्ति तथा वितरण

जल का उद्भव : उल्का, आकाशी मैग्मीय तथा समुद्री जल।

जलीय चक्र · अवक्षेपण, प्रवाह, अंतःस्यदन तथा वाष्पोत्सर्जन। जलारेख। उपपृष्ठीयगति तथा भूजल का उर्ध्व वितरण। झरने। जलभरों का वर्गीकरण अपवाह द्रोणी तथा भूजल द्रोणी की अवधारणा शैलों के जल विज्ञानीय गुणधर्म–आपक्षिक पराभव, आपक्षिक धारण, संरंधता द्रव चालकता, पारगम्यता, भंडारण गुणांक/भौम जलस्तर की घटाव बढ़ाव–उद्भावक कारक, वायुदबीय अवधारणा और ज्वारीय क्षमता। जल स्तर समोच्च रेखा मानचित्र। जलधारी लक्षणों के संदर्भ में शैलों का वर्गीकरण–जल स्तरिकी इकाई–भारत के भूजल क्षेत्र। भारत के शुष्क प्रदेशों का भू–जल विज्ञान, आर्द्र क्षेत्र।

खण्ड ख : कूप द्रवचालित तथा कूप डिजाइन

भूजल प्रवाह का सिद्धांत, डार्सी का नियम और उसके अनुप्रयोग, प्रयोगशाला तथा क्षेत्र में परागम्यता का निर्धारण। कूपों के प्रकार, कूपों की ड्रिलिंग पद्धतियां, संरचना डिजाइन, विकास तथा अनुरक्षण, आपेक्षिक क्षमता तथा उसका निर्धारण। अपरिरुद्ध परिरुद्ध अस्थिर स्थिर तथा त्रिज्य प्रवाह परिस्थितियां। भूजल विज्ञानीय सीमाओं के लिए पम्प परीक्षण–पद्धतियां, आंकडों का विश्लेषण तथा व्याख्या। थीम, थीस, जैकब तथा वाल्टन पद्धतियां अपनाते हुए जलभरो के

पैरामिटरों का मूल्यांकन। भू-जल प्रतिदर्श अंकीय तथा विद्युत माडल।

खण्ड ग : भू-जल रसायन विज्ञान

भू-जल गुणवता—जल के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म, विभिन्न प्रयोगों के लिए गुणवत्ता मानदंड—जल गुणवत्ता आंकड़ों की ग्राफीय प्रस्तुति—भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भू–जल की गुणवत्ता—आर्सेनिक तथा फ्लोराइड की समस्याएं–तटीय तथा अन्य जलभरों में खारे पानी का अतिक्रमण और इसके रोधक उपाय। जल-भू विज्ञानीय, अध्ययनों में विकिरण समस्थानन (रेडियो आईसटाप) भू-जल संदूषण।

खण्ड घ : भू-जल अन्वेषण

भूविज्ञानी—अश्मविज्ञानीय तथा सरचनात्मक मानचित्रण, फेक्चर ट्रेस विश्लेषण। जल–भूविज्ञानीय–जल विज्ञानीय गुणों के संदर्भ में अश्मविज्ञानीय वर्गीकरण। भूविज्ञानीय संरचनाओं के संदर्भ में द्रवचालित निरन्तरता। झरनों की स्थिति-सुदूर संवेदी–विभिन्न उपग्रह प्रेषणों के विभिन्न प्रभावों के उपयोग द्वारा भू-भाग का जल-भू आकृति मानचित्रण। रेखीय मानचित्रण। उपग्रह प्रभावों द्वारा सतही भू-जल सामर्थ्य क्षेत्र मानचित्रण। पृष्ठीय भू भौतिकी पद्धतियां—भूकंपीय घनत्वीय, भू विद्युतीय तथा चुम्बकीय। उपपृष्ठीय भू भौतिकी पद्धतियां—जलभरों के चित्रण तथा जलगुणवत्ता के आंकलन के लिए कूप गणन।

खण्ड ङ : भू-जल की समस्याएं तथा प्रबंध

स्थापत्य कार्य, खनन, नहरें तथा सुरंगों से संबंधित भू-जल की समस्याएं। अवशोषण तथा भू-जल खनन की समस्याएं। शहरी क्षेत्रों में भू-जल विकास तथा वर्षा जल उपज। कृत्रिम पुनर्भरण पद्धतियां। शुष्क प्रदेशों में भू-जल की समस्याएं और सुधारक उपाय। भू-जल संतुलन और आकलन की पद्धतियां। भू-जल विधान। संपोषण मानदण्ड तथा भू-जल खोतों के नवीनीकृत तथा अनवीनीकृत प्रबंध।

परिशिष्ट-2

उम्मीदवारों की शारीरिक परीक्षा के बारे में विनियम

[ये विनियम उम्मीदवारों की सुविधा के लिए प्रकाशित किए जाते हैं ताकि वे यह अनुमान लगा सकें कि अपेक्षित शारीरिक स्तर के हैं या नहीं। ये विनियम स्वास्थ्य परीक्षकों (मेडिकल एग्जामिनर्स) के मार्ग निर्देशन के लिए भी हैं तथा जो उम्मीदवार इन विनियमों की निर्धारित न्यूनतम अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता तो उसे स्वास्थ्य परीक्षक द्वारा स्वस्थ घोषित नहीं किया जा सकता। किन्तु किसी उम्मीदवार को इन विनियमों में निर्धारण मानक के अनुसार स्वस्थ न मानते हुए भी स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड को इस बात की अनुमति होगी कि वह लिखित रूप से स्पष्ट कारण देते हुए भारत सरकार को यह अनुशंसा कर सके कि उक्त उम्मीदवार को सेवा में लिया जा सकता है और इससे सरकार को कोई हानि नहीं होगी।

2(क) यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि भारत सरकार को चिकित्सा बोर्ड की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद किसी भी उम्मीदवार को अस्वीकृत या स्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार होगा। रक्षा सेवाओं के भूतपूर्व विकलांग कर्मचारियों के मामले में पदों की अपेक्षाओं को देखते हुए स्तर में छूट दी जाएगी।

2 (ख) चिकित्सा परीक्षा दो भागों में आयोजित की जाएगी। अर्थात् भाग-I जिसमें छाती के रेडियोग्राफिक परीक्षण (एक्स-रे परीक्षण) को छोड़कर सम्पूर्ण चिकित्सा सम्मिलित है मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएगी। भाग-II जिसमें मेडिकल परीक्षण (छाती का एक्स-रे परीक्षण) सम्मिलित होगा। भाग-II परीक्षा केवल उन्हीं उम्मीदवारों की की जाएगी जो प्रथम परीक्षा के आधार पर अंतिम रूप से सफल घोषित किए जाएंगे।]

1. नियुक्ति के लिए स्वस्थ ठहराए जाने के लिए यह जरूरी है कि उम्मीदवारों का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य ठीक हो और उसमें कोई ऐसा शारीरिक दोष न हो जिससे नियुक्ति के बाद दक्षतापूर्वक काम करने में बाधा पड़ने की संभावना हो।

2. भारतीय (एंग्लोइण्डियन सहित) जाति के उम्मीदवारों की आयु, कद और छाती के घेरे के परस्पर संबंध के बारे में मेडिकल बोर्ड के ऊपर यह बात छोड़ दी गई है कि वह उम्मीदवारों की परीक्षा में मार्गदर्शन के रूप में जो भी परस्पर संबंध के आंकड़े सबसे अधिक उपयुक्त समझें, व्यवहार में लाएं। यदि वजन, कद और छाती के घेरे में विषमता हो तो जांच के लिए उम्मीदवारों को अस्पताल में रखना चाहिए और उसकी छाती का एक्स-रे लेना चाहिए। ऐसा करने के बाद ही बोर्ड उम्मीदवार को स्वस्थ अथवा अस्वस्थ घोषित करेगा।

तथापि केवल उन उम्मीदवारों की छाती का एक्स–रे किया जाएगा जिन्हें चिकित्सा परीक्षण के भाग-II के लिए मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने के निदेश दिए जाएंगे।

3. उम्मीदवार का कद निम्नलिखित विधि में मापा जाएगा :—

वह अपने जूते उतार देगा और मापदण्ड (स्टैण्डर्ड) से इस प्रकार सटा कर खड़ा किया जाएगा कि उसके पांव आपस में जुड़े रहें और उसका वजन सिवाए एड़ियों के, पांवों के अंगूठे या किसी और हिस्से पर न पड़े। वह बिना अकड़े सीधा खड़ा होगा और उसकी एड़ियां, पिंडलियां, नितम्ब और कन्धे मापदण्ड के साथ लगे होंगे। उसकी ठोड़ी नीचे रखी जाएगी ताकि सिर का स्तर (बटेक्स आफ हैण्ड लेवल) हारिजेंटल बार (आड़ी छड़) के नीचे जाए। कद सेंटीमीटरों और आधे सेंटीमीटरों के भागों में मापा जाएगा।

4. उम्मीदवार की छाती मापने का तरीका इस प्रकार है :—

उसे इस भांति खड़ा किया जाएगा कि उसके पांव जुड़े हों और उसकी भुजाएं सिर के ऊपर उठी हों। फीते को छाती के गिर्द इस तरह लगाया जाएगा कि इसका ऊपरी किनारा असफल का (शोल्डर ब्लेड) के निम्न कोण (इन्फीरियर एंगिल्स) के पीछे लगा रहे और वह फीते को छाती के गिर्द ले जाने पर उसी आड़े/समतल (हारिजोंटल/प्लेन) में रहे। फिर भुजाओं को नीचा किया जाएगा

और उन्हें शरीर के साथ लटका रहने दिया जाएगा। किन्तु इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि कन्धे ऊपर या पीछे की ओर न किए जाएं फीता अपने स्थान से हट न जाए। तब उम्मीदवार को कई बार गहरी सांस लेने के लिए कहा जाएगा तथा छाती के अधिक से अधिक फैलाव पर सावधानी से ध्यान दिया जाएगा। और कम से कम और अधिक से अधिक फैलाव सेंटीमीटर में रिकार्ड किया जाएगा जैसे 84-89, 86-93.5 आदि। माप रिकार्ड करते समय आधी सेंटीमीटर से कम भिन्न (फ्रेक्शन) को नोट नहीं करना चाहिए।

विशेष ध्यान दें:—अंतिम निर्णय करने से पूर्व उम्मीदवार का कद और छाती दो बार मापे जाने चाहिए।

5. उम्मीदवार का वजन किया जाएगा और यह किलोग्राम में होगा। आधी किलोग्राम का उसका अंश नोट नहीं करना चाहिए।

6. उम्मीदवार की नजर की जांच निम्नलिखित नियमों के अनुसार की जाएगी। प्रत्येक जांच का परिणाम रिकार्ड किया जाएगा।

(1) सामान्य (जनरल) : किसी रोग या असामान्यतः (एबनार्मेलिटी) का पता लगाने के लिए उम्मीदवार की आंखों की सामान्य परीक्षा की जाएगी। यदि उम्मीदवार की आंखों में भेंगापन या विकृति अथवा कन्टिगुअस स्ट्रक्चर का कोई ऐसा रोग हो जो उसे अब या आगे किसी समय सेवा के लिए अयोग्य बना सकता है तो उसको अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(2) दृष्टि तीक्ष्णता (विजुअल एक्यूइटी) : दृष्टि तीव्रता का निर्धारण करने के लिए दो तरह की जांच की जाएगी एक दूर की नजर के लिए और दूसरी नजदीक की नजर के लिए। प्रत्येक आख की अलग--अलग परीक्षा ली जाएगी।

चश्मे के बिना आंख की नजर (नेकड आई विजन) की कोई न्यूनतम सीमा (मिनिमम लिमिट) नहीं होगी, किन्तु प्रत्येक मामले में मेडिकल बोर्ड या अन्य मेडिकल प्राधिकारी द्वारा इसे रिकार्ड किया जाएगा। क्योंकि इससे आंखों की हालत के बारे में मूल–सूचना (बेसिक इन्फार्मेशन) मिल जाएगी।

चश्मे के साथ चश्मे के बिना दृष्टि तीक्ष्णता का मानक निम्नलिखित होगा।

दूर की दृष्टि		निकट की दृष्टि	
अच्छी आंख	खराब आंख	अच्छी आंख	खराब आंख
6/9 अथवा 6/6	6/9 अथवा 6/12	0.6	0.8

टिप्पणी : (1) मायोपिया का कुल परिणाम (सिलेण्डर सहित)—4.00 डी० से अधिक नहीं होना चाहिए। हाइपर मेट्रोपिया का कुल परिणाम (सिलेण्डर सहित) + 4.00 डी० से अधिक नहीं होना चाहिए।

टिप्पणी : (2) फण्डस परीक्षा जहां तक संभव होगा चिकित्सा बोर्ड की विविक्षा पर फण्ड्स परीक्षा की जाएगी और परिणाम रिकार्ड किया जाएगा।

टिप्पणी : (3) कलर विजन—(1) कलर विजन की जांच जरूरी होगी।

(2) नीचे दी गई तालिका के अनुसार रंग का प्रत्यक्ष ज्ञान उच्चतर (हायर) और निम्नतर (लोअर) ग्रेड़ों में होना चाहिए। ला लैंटर्न एपर्चर के आकार पर निर्भर होगा :—

ग्रेड	रंग के प्रत्यक्ष ज्ञान का उच्चतर ग्रेड	रंग के प्रत्यक्ष ज्ञान का निम्नतर ग्रेड
1. लैम्प और उम्मीदवार के बीच की दूरी	4.9 मीटर	4.9 मीटर
2. द्वारक (एपर्चर) का आकार	1.3 मि० मी०	1.3 मि०मी०
3. उद्भाषण काल	5 सेकण्ड	5 सेकण्ड

भारतीय भू–विज्ञान सर्वेक्षण से संबंधित भू–विज्ञानी (कनिष्ठ) तथा सहायक भू–विज्ञानी तथा केन्द्रीय भूमि–जल बोर्ड से संबंध कनिष्ठ जल तथा भू–विज्ञानी तथा सहायक जल–भू–विज्ञानी के पदों के लिए रंगों का प्रत्यक्ष ज्ञान तथा आंखों से संबंधित सभी चिकित्सा मानकों का स्तर ऊंचा होगा।

(3) लाल संकेत, हरे संकेत और रंग को आसानी से और हिचकिचाहट के बिना पहचान लेना संतोषजनक कलर विजन है। शिहारा के प्लेटों के इस्तेमाल को जिन्हें एंडिज ग्रीन की लैटर्न जैसी उपयुक्त लैटर्न और उसकी रोशनी में दिखाया जाता है। कलर विजन की जांच करने के लिए बिल्कुल विश्वसनीय समझा जाएगा। वैसे तो दोनों आंखों में से किसी भी एक जांच को साधारण तथा पर्याप्त समझा जा सकता है। लेकिन सड़क, रेल और हवाई यातायात से संबंधित सेवाओं के लिए लैटर्न से जांच करना लाजमी है। शक वाले मामले में जब उम्मीदवार की किसी एक जांच करने पर अयोग्य पाया जाए तो दोनों ही तरीकों से जांच करनी चाहिए।

टिप्पणी : (4) दृष्टि क्षेत्र (फिल्ड आफ विजन) : सम्मुख विधि (कन्फ्रंटेशन मेथड) द्वारा दृष्टि क्षेत्र की जांच की जाएगी। जब ऐसी जांच का नतीजा असंतोषजनक या संदिग्ध हो तब क्षेत्र को परमापी (पैरामीटर) पर निर्धारित किया जाना चाहिए।

टिप्पणी : (5) रतौंधी (नाइट ब्लाइण्डनेस) केवल विशेष मामलों को छोड़कर रतौंधी की जांच अनिवार्य रूप से जरूरी नहीं है। रतौंधी में दिखाई न देने की जांच करने के लिए कोई स्टैण्डर्ड टैस्ट निश्चित नहीं है। मेडिकल बोर्ड को ही ऐसे काम चलाऊ टैस्ट कर लेने चाहिए जैसे रोशनी कम करके या उम्मीदवार को अंधेरे कमरे में लाकर 20 से 30 मिनट के बाद उससे विविध चीजों की पहचान करवा कर दृष्टि तीक्ष्णता रिकार्ड करना। उम्मीदवारों के कहने पर ही हमेशा विश्वास नहीं करना चाहिए। परन्तु उन पर उचित विचार किया जाना चाहिए।

टिप्पणी : (6) दृष्टि की तीक्ष्णता से भिन्न आंख की दिशाएं (आक्यूलर कण्डीशन्स)।

(क) आंख की अंग संबंधी बीमारी को या बढ़ती हुई अपवर्तन त्रुटि (रिएक्टिव एरर) को, जिसके परिणामस्वरूप दृष्टि की तीक्ष्णता से कम होने की संभावना हो, अयोग्यता का कारण समझना चाहिए।

(ख) रोहे (ट्रकोमा) रोहे जब तक भयानक न हों, साधारणतः अयोग्यता का कारण नहीं समझना चाहिए।

(ग) भेंगापन जहां दोनों आंखों की दृष्टि का होना जरूरी है भेंगापन अयोग्यता माना जाएगा, चाहे दृष्टि की तीक्ष्णता निर्धारित स्तर की ही क्यों न हो।

(घ) एक आंख वाला व्यक्ति एक आंख वाले व्यक्ति को नियुक्ति हेतु अनुशंसा की जाएगी।

7. रक्त दाब (ब्लड प्रेशर)

ब्लड प्रेशर के संबंध में बोर्ड अपने निर्णय से काम लेगा।

नार्मल मैक्सीमम सिस्टालिक प्रेशर के आंकलन की काम चलाऊ विधि निम्न प्रकार है :—

(1) 15 से 23 वर्ष के युवा व्यक्तियों में औसत ब्लड प्रेशर लगभग 100 + आयु होता है।

(2) 25 वर्ष के ऊपर की आयु वाले व्यक्तियों में ब्लड प्रेशर के आंकलन में 110 + आधी आयु का सामान्य नियम बिल्कुल संतोषजनक दिखाई पड़ता है।

विशेष ध्यान—सामान्य नियम के रूप में 140 एम० एम० के ऊपर सिस्टालिक प्रेशर और 90 एम० एम० के ऊपर डायस्टालिक प्रेशर की संदिग्ध मान लेना चाहिए और उम्मीदवार को अयोग्य या योग्य ठहराने के संबंध में अपनी अंतिम राय देने से पहले बोर्ड को चाहिए कि उम्मीदवार को अस्पताल में रखे। अस्पताल में रखने की रिपोर्ट से यह भी पता लगना चाहिए कि घबराहट में (एक्साइटमेंट) आदि के कारण ब्लड प्रेशर थोड़े समय रहने वाला है या इसका कारण कोई कायिक (आर्गेनिक) बीमारी है, ऐसे सभी मामलों में हृदय का एक्सरे और इलैक्ट्रोकार्डियोग्राफी जांच रक्त यूरिया निकाय क्लियरेंस) की जांच भी नैमी तौर पर की जानी चाहिए। फिर भी उम्मीदवार के योग्य होने या न होने के बारे में अंतिम फैसला केवल मैडिकल बोर्ड ही करेगा।

ब्लड प्रेशर (रक्त दाब) लेने का तरीका

नियमित पारा वाले दाबमापी (मर्करी मैनोमीटर) किस्म का उपकरण (इंस्ट्रूमेंट) इस्तेमाल करना चाहिए। किसी किस्म के व्यायाम या घबराहट के पंद्रह मिनट तक रक्त दाब नहीं लेना चाहिए। रोगी बैठा या लेटा हो बशर्ते कि वह और विशेषकर उसकी बांह शिथिल और आराम से हो। चाहे थोड़ी–बहुत होरीजोंटल स्थिति में रोगी के पार्श्व पर हो तथा उसके कंधे से कपड़ा उतार देना चाहिए। कफ में से पूरी तरह हवा निकाल कर बीच की रबड़ की भुजाओं के अंदर की ओर रख कर और उसके निचले किनारों को कोहनी के मोड़ से एक या दो इंच उतार करके लगाने चाहिए। इसके बाद कपड़े की पट्टी को फैला कर समान रूप से लपेटना चाहिए ताकि हवा भरने पर कोई हिस्सा फूलकर बाहर को न निकले।

कोहनी के मोड़ पर बहू धमनी (बकिअल आर्टरी) को दबा–दबा कर ढूंढा जाता है और तब उसके ऊपर बीचों–बीच स्टैथोस्कोप को हल्के से लगाया जाता है से जो कफ के साथ न लगे। कफ में लगभग 200 एम० एम० एच० जी० हवा भरी जाती है और उसके बाद इसमें से धीरे– धीरे हवा निकाली जाती है हल्की क्रमिक ध्वनियां सुनाई देने पर जिस स्तर पर पारे का कालम टिका होता है। यह सिस्टालिक प्रेशर दर्शाता है, जब और हवा निकाली जाएगी तो और तेज ध्वनियां सुनाई पड़ेगी। जिस स्तर पर ये साफ और अच्छी सुनाई पड़ने वाली ध्वनियां हल्की दबी हुई सी लुप्त प्राय हो जाए यह डायस्टालिक प्रेशर है। ब्लड प्रेशर काफी थोड़ी अवधि में ही ले लेना चाहिए क्योंकि कफ के लंबे समय का दबाव रोगी के लिए क्षोभकारी होता है और इससे रीडिंग गलत होती है। यदि दोबारा पड़ताल करनी जरूरी हो तो कफ में पूरी हवा निकाल कर कुछ मिनट के बाद ही ऐसा किया जाए। कभी–कभी कफ में से हवा निकालने पर एक निश्चित स्तर पर ध्वनियां सुनाई पड़ती हैं दाब गिरने पर ये गायब हो जाती है तथा निम्न स्तर पर पुनः प्रकट हो जाती हैं इस "साइलेंट गैप" से रीडिंग में गलती हो सकती है।

8. परीक्षक की उपस्थिति में किए गए मूत्र की भी परीक्षा की जानी चाहिए और परिणाम रिकार्ड किया जाना चाहिए जब मैडिकल बोर्ड को किस उम्मीदवार के मूत्र में रासायनिक जांच द्वारा शक्कर का पता चले तो बोर्ड इसके सभी पहलुओं की परीक्षा करेगा और मधुमेय (डायबिटीज), के घातक चिन्ह और लक्षणों को भी विशेष रूप से नोट करेगा। यदि बोर्ड को उम्मीदवार का ग्लुकोष मेह (ग्लाइकोसरिया) के सिवाय, अपेक्षित मैडिकल फिटनेस के स्टन्डर्ड के अनुरूप पाए तो वह उम्मीदवार को इस शर्त के साथ फिट घोषित कर सकता है। इसका ग्लूको मेह (अमधुमही नान डायबिटिक) है और बोर्ड इस केस को मेडिसन के बिना ऐसे निर्दिष्ट विशेषज्ञ के पास भेजेगा। जिसके पास अस्पताल और प्रयोगशाला की सुविधाएं हों। मैडिकल विशेषज्ञ स्टण्डर्ड ब्लड शुगर टालरेंस टेस्ट समेत जो भी क्लीनिकल रिपोर्ट (लेबोरेटरी परीक्षण करेगा और अपनी रिपोर्ट मेडिकल बोर्ड को भेज देगा जिस पर मैडिकल बोर्ड का "फिट" "अनफिट" की अंतरिम राय पर आधारित होगी। दूसरे अवसर पर उम्मीदवार के लिए बोर्ड के सामने स्वयं उपस्थित होना जरूरी नहीं होगा। औषधि के प्रभाव को समाप्त करने के लिए यह जरूरी हो सकता है कि उम्मीदवार को कई दिनों तक अस्पताल में पूरी देख–रेख में रखा जाए।

9. यदि जांच के परिणामस्वरूप कोई महिला उम्मीदवार 12 हफ्ते या इससे अधिक समय की गर्भवती पायी जाती है तो उसको अस्थाई रूप से तब तक अस्वस्थ घोषित किया जाना चाहिए जब तक कि उसका प्रसव पूरा न हो जाए। किसी रजिस्टर्ड चिकित्सा व्यवसायी का स्वस्थता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर प्रसूति की तारीख से 6 हफ्तों के बाद आरोग्य प्रमाण–पत्र के लिए उसको फिर से स्वस्थता परीक्षा की जानी चाहिए।

10. निम्नलिखित अतिरिक्त बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए :

(क) उम्मीदवार को दोनों कानों से अच्छा सुनाई पड़ता है और उसके कान में बीमारी का कोई चिन्ह नहीं है। यदि कान की खराबी हो तो उसकी परीक्षा कान विशेषज्ञ द्वारा की जानी चाहिए। यदि सुनने की खराबी का इलाज शल्य क्रिया (आपरेशन) या हियरिंग एड के इस्तेमाल से हो सके तो उम्मीदवार को इस आधार पर अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता बशर्ते कि कान की बीमारी बढ़ने वाली न हो चिकित्सा प्राधिकारी के मार्ग दर्शन के लिए इस सबंध मे निम्नलिखित जानकारी दी जाती है :

1	2	3
(1)	एक कान मे प्रकट अथवा पूर्ण बहरापन दूसरा कान सामान्य होगा।	यदि फ्रिक्वेंसी में बहरापन 30 डेसिबल तक हो तो गैर तकनीकी काम के लिए योग्य।
(2)	दोनो कानो में बहरेपन का प्रत्यक्ष बोर्ड, जिसमे श्रवण यंत्र (हियरिंग एड) द्वारा कुछ सुधार सभव है।	यदि 1000 से 4000 तक की 30 स्पीच फ्रिक्वेंसी में बहरा-पन डेसिबल तक हो तो तक-नीक तथा गैर-तकनीकी दोनों प्रकार के काम के लिए योग्य।
(3)	सैन्ट्रल अथवा मार्जिनल टाइप के टिम्पनिक मैम्ब्रेन छिद्र	(1) एक कान सामान्य हो दूसरे कान से टिम्पनिक मेम्ब्रन में छिद्र हो तो अस्थाई आधार पर अयोग्य कान की शल्य चिकित्सा की स्थिति सुधारने से दोनों कानों में मार्जिनल या अन्य छिद्र वाले उम्मीदवारों को अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित करके उस पर नीचे दिए गए नियम 4(2) के अधीन विचार किया जा सकता है। (2) दोनो कानों में मार्जिनल या एट्रिक छिद्र होने पर अयोग्य। (3) दोनों कानों में सेन्ट्रल छिद्र होने पर अस्थाई रूप से अयोग्य।
(4)	कान के एक ओर से/ दोनों ओर से मस्टायड कविटी से सबनार्मल श्रवण।	(1) किसी एक कान से सामान्य रूप मे एव ओर से मस्टायड कैविटी से सुनाई देता हो दूसरे कान से सब नार्मल श्रवण वाले कान मस्टायड कैविटी होने पर तकनीकी तथा गैर तकनीकी दोनो प्रकार के कानों के लिये योग्य। (2) दोनो ओर से मस्टायड कैविटी तकनीकी काम के लिये अयोग्य यदि किसी भी कान की श्रवण यंत्र लगा कर अथवा बिना लगाये सुधार कर 30 डेसिवल हो जाने पर गैर तकनीकी काम के लिये योग्य।
(5)	बहते रहने वाला कान आपरेशन किया गया बिना आपरेशन वाला।	तकनीकी तथा गैर तकनीकी दोनों प्रकार के कामों के लिये अस्थाई रूप से अयोग्य।
(6)	नासापट की हड्डी संबंधी विषमताओं (बोनी डिफार्मिटी) सहित अथवा उससे रहित नाक की जीर्ण प्रदाहक एल-जिंक दशा।	(1) प्रत्येक मामले की परि-स्थितियों के अनुसार निर्णय लिया जाएगा।
		(2) यदि लक्षणों सहित नास पट अपसरण विद्यमान होने पर अस्थाई रूप से अयोग्य।
(7)	टांसिल्स और अथवा स्वर यंत्र (लेन्सि) की जीर्ण प्रदाहक दशा।	(1) टांसिल और अथवा स्वर यत्र की जीर्ण प्रदाहक दशा योग्य। (2) यदि आवाज में अत्य-धिक कर्कशता विद्यमान हो तो अस्थाई रूप से अयोग्य।
(8)	कान, नाक और गले (ई०एन०टी०) के हल्के अथवा अपने स्थान पर दुर्दम टयूमर।	(1) हल्का टयूमर अस्थाई रूप से अयोग्य।
		(2) दुर्दम टयूमर अयोग्य।
(9)	आस्टोकिरोसिस	श्रवण यंत्र की सहयता से या आपरेशन के बाद श्रवणता 30 डेसिबल के अन्दर होने पर योग्य।
(10)	कान, नाक अथवा गले के जन्मजात दोष।	(1) यदि कामकाज में बाधक न हो तो योग्य। (2) भरी मात्रा में हकलाहट हो तो अयोग्य।
(11)	नेजल पोली	अस्थाई रूप से अयोग्य।

(ख) उम्मीदवार बोलने में हकलाता/हकलाती नहीं हो।

(ग) उसके दांत अच्छी हालत में हैं या नहीं और अच्छी तरह चबाने के लिये जरूरी होने पर नकली दांत लगे हैं या नहीं (अच्छी तरह भरे हुए दांतों को ठीक समझा जायेगा)।

(घ) उसकी छाती की बनावट अच्छी है या नहीं और छाती काफी फैलती है या नहीं तथा उसका दिल या फेफड़े ठीक है या नहीं।

(ङ) उसे पेट की कोई बीमारी है या नहीं।

(च) उसे रप्चर है या नही।

(छ) उसे हाइड्रोसिल बढी हुई बेरिकोसिल वेरिकाज शिरा (वेन) या बवासीर है या नहीं।

(ज) उनके अगो, हाथ पैरों की बनावट और विकास अच्छा है या नहीं और उसकी ग्रंथिया भली भांति स्वतंत्र रूप से हिलती हैं या नहीं।

(झ) उसे कोई चिरस्थाई त्वचा की बीमारी है या नहीं।

(ञ) कोई जन्मजात सरचना या दोष नहीं है।

(ट) उसमें किसी उग्र या जीर्ण बीमारी के निशान है या नहीं जिनसे कमजोर गठन का पता लगे।

(ठ) कारगर टीके के निशान हैं या नहीं।

(ड) उसे कोई संचारी (कम्यूनिकेबल) रोग है या नहीं।

11. हृदय तथा फेफडो की किन्ही ऐसी असामान्यताओं का पता लगाने, जिन्हे सामान्य शारीरिक परीक्षण के आधार पर नहीं देखा जा सकता है, के लिए छाती का रेडियोग्राफी परीक्षण केवल उन्हीं उम्मीदवारो का किया जाएगा जिन्हे संबधित भू-विज्ञानी परीक्षा में अतिम रूप से सफल घोषित किया जाता है।

उम्मीदवार की शारीरिक योग्यता के बारे मे केन्द्रीय स्थायी चिकित्सा बोर्ड (सबधित उम्मीदवार की चिकित्सा परीक्षा करने वाले) के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।

जब कोई दोष मिले तो उसे प्रमाण-पत्र मे अवश्य ही नोट किया जाए। मेडिकल परीक्षक को अपनी राय लिख देना चाहिए कि उम्मीदवार से अपेक्षित दक्षतापूर्वक ड्यूटी में बाधा पडने की संभावना है या नहीं।

टिप्पणी —उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि उपयुक्त सेवाओं के लिए उसकी योग्यता का निर्धारण करने के लिए नियुक्त स्पेशल या स्टैंडिंग मेडिकल बोर्ड के खिलाफ उन्हें अपील करने का कोई हक नहीं है किन्तु यदि सरकार की प्रथम बोर्ड की जांच मे निर्णय की गलती की सभावना के संबध में प्रस्तुत किए गए प्रमाण के बारे में तसल्ली हो जाए तो सरकार दूसरे बोर्ड के सामने एक अपील की इजाजत दे सकती है। ऐसा प्रमाण उम्मीदवार को प्रथम मेडिकल बोर्ड के निर्णय भेजने की तारीख से एक महीने के अन्दर पेश करना चाहिए वरना दूसरे मेडिकल बोर्ड के सामने अपील करने की प्रार्थना पर विचार नहीं किया जाएगा।

यदि प्रथम बोर्ड के निर्णय की गलती की संभावना के बारे में प्रमाण के रूप में उम्मीदवार मेडिकल प्रमाण-पत्र पेश करें तो इस प्रमाण-पत्र पर उस हालत में विचार नहीं किया जाएगा। जब तक कि उसमे संबंधित मेडिकल प्रेक्टिशनर का इस आशय का नोट नहीं होगा कि यह प्रमाण-पत्र इस तथ्य के पूर्ण ज्ञान के बाद ही दिया गया है कि उम्मीदवार पहले से ही सेवाओं के लिए मेडिकल बोर्ड द्वारा अयोग्य घोषित करके अस्वीकृत किया जा चुका हो।

मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट

मेडिकल परीक्षण के मार्गदर्शन के लिए निम्नलिखित सूचना दी जाती है :—

शारीरिक योग्यता (फिटनैस) के लिए अपनाये जाने वाले स्टैन्डर्ड से संबधित उम्मीदवारों की आयु और सेवाकाल (यदि हो) के लिए अचित गुंजाइश रखनी चाहिए।

किसी ऐसे व्यक्ति को पब्लिक सर्विस में भर्ती के लिए योग्य समझा जाएगा, जिसके बारे में यथास्थिति सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी (अपाइटिंग अथारिटी) को यह तसल्ली नहीं है कि उसे कोई ऐसी बीमारी या शारीरिक दुर्बलता (बाडिली इन्फर्मिटी) नहीं है जिससे वह उस सेवा के लिए अयोग्य हो या उससे अयोग्य होने की संभावना हो।

यह बात समझ लेनी चाहिए कि योग्यता का प्रश्न भविष्य में भी उतना सम्बद्ध है जितना वर्तमान से और मेडिकल परीक्षा का एक मुख्य उद्देश्य निरन्तर कारगर सेवा प्राप्त करना और स्थायी नियुक्ति के उम्मीदवारों के मामले में अकाल मृत्यु होने पर समय पूर्व पेंशन या अदायगियों को रोकना है। साथ ही यह भी नोट कर लिया जाए कि यह प्रश्न केवल निरन्तर कारगर सेवा की संभावना का है और उम्मीदवार को अस्वीकृत करने की सलाह उस हाल में नहीं दी जानी चाहिए जबकि उसमें कोई ऐसा दोष हो जो केवल कम परिस्थितियो मे निरन्तर कारगर सेवा में बाधक पाया गया हो:

महिला उम्मीदवार की परीक्षा के लिए किसी लेडी डक्टर को मेडिकल बोर्ड के सदस्य के रूप में सहयोजित किया जाएगा।

जो उम्मीदवार भू-विज्ञान (कनिष्ठ)/सहायक भू-विज्ञानी और कनिष्ठ भू-जल विज्ञानी (वैज्ञानिक ख) सहायक भूजल विज्ञानी के पदों पर नियुक्त किए जाएंगे उन्हें भारत में या भारत के बाहर क्षेत्रगत कार्य करना होगा। ऐसे उम्मीदवार के मामले में चिकित्सा बोर्ड को अपना मत स्पष्ट रूप से व्यक्त करना चाहिए कि वह क्षेत्रगत कार्य के लिए योग्य है या नहीं।

मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट गोपनीय रखनी चाहिए।

ऐसे मामले में जबकि कोई उम्मीदवार सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए अयोग्य करार दिया जाता है तो मोटे तौर पर उसके अस्वीकार किए जाने के कारण उम्मीदवार को बताए जा सकते हैं। किन्तु मेडिकल बोर्ड ने जो खराबी बताई हो उसका विस्तृत ब्यौरा नहीं दिया जा सकता है।

ऐसे मामले में जहा मेडिकल बोर्ड का यह विचार हो कि सरकारी सेवा के लिए उम्मीदवार के अयोग्य बनाए जाने वाली छोटी-मोटी खराबी चिकित्सा (मेडिकल या सर्जिकल) द्वारा दूर हो सकती है वहा मेडिकल बोर्ड द्वारा इस आशय का कथन रिकार्ड किया जाना चाहिए।

नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस बारे में उम्मीदवार को बोर्ड की राय सूचित किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है जब खराबी दूर हो जाए तो एक दूसरे मेडिकल बोर्ड के सामने उस व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए कहने में संबंधित प्राधिकार स्वतंत्र है।

यदि कोई उम्मीदवार अस्थायी तौर पर अयोग्य करार दिया जाए तो दुबारा परीक्षा की अवधि साधारणतया कम से कम छह महीने से कम नहीं होनी चाहिए। निश्चित अवधि के बाद जब दुबारा परीक्षा की जाए तो ऐसे उम्मीदवारों को और आगे की अवधि के लिए अस्थायी तौर पर अयोग्य घोषित न कर नियुक्ति के लिए उनकी योग्यता के संबंध में अथवा वे इन नियुक्तियों के लिए अयोग्य है ऐसा निर्णय अंतिम रूप से दिया जाना चाहिए।

(क) उम्मीदवार का कथन और घोषणा :-

अपनी मेडिकल परीक्षा से पूर्व उम्मीदवारों को निम्नलिखित अपेक्षित स्टेटमेंट देनी चाहिए और उसके साथ लगी हुई घोषणा (डिक्लेरेशन) पर हस्ताक्षर करने चाहिए। नीचे दिए गए नोट में, उल्लिखित चेतावनी की ओर उस उम्मीदवार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए।

1. अपना नाम पूरा लिखें।

2. अपनी आयु और जन्म स्थान बताएं।

3. (क) क्या आप गोरखा, गढ़वाली, असमी, नागालैण्ड जनजाति आदि में से किसी जाति से संबंधित हैं जिनका औसत कद दूसरों से कम होता है। "हां" या "नहीं" में उत्तर दीजिए। यदि उत्तर "हां" में हो तो उस जाति का नाम बताएं।

(ख) क्या आपको कभी चेचक, रुक-रुक कर होने वाला कोई दूसरा बुखार, ग्रंथियां (ग्लैण्डस) का बढ़ना या इनमें पीप पड़ना, थूक से खून आना, दमा, दिल की बीमारी, फेफड़े की बीमारी, मूर्छा के दौरे, रूमटिज्म एपेंडिसाइटिस हुआ है।

(ग) क्या दूसरी ऐसी कोई बीमारी या दुर्घटना, जिसके कारण शय्या पर लेटे रहना पड़ा हो और जिसका मेडिकल या सर्जिकल इलाज किया गया हो, हुई है?

4. क्या आपको अधिक काम या किसी दूसरे कारण किसी किस्म की अधीरता (नर्वसनेस) हुई?

5. अपने परिवार के संबंध में निम्नलिखित ब्यौरा दें :—

1	2	3	4	5	6	7	8
यदि पिता जीवित हो तो उनकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	मृत्यु के समय पिता की आयु और मृत्यु का कारण	आपके कितने भाई जीवित हैं उनकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	आपके कितने भाइयों की मृत्यु हो चुकी है, उनकी आयु और मृत्यु का कारण	यदि माता जीवित हों तो उनकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	मृत्यु के समय माता की आयु और मृत्यु का कारण	आपकी कितनी बहनें जीवित हैं और उनकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	आपकी कितनी बहनों की मृत्यु हो चुकी है, मृत्यु के समय उनकी आयु और मृत्यु का कारण

6. क्या इसके पहले किसी मेडिकल बोर्ड ने आपकी परीक्षा की है?

7. यदि ऊपर का उत्तर हां में हो तो बताएं कि किस सेवा/किन सेवाओं के लिए आपकी परीक्षा की गई थी?

8. परीक्षा लेने वाला प्राधिकारी कौन था?

9. कब और कहां मेडिकल बोर्ड हुआ?

10. मेडिकल बोर्ड की परीक्षा का परिणाम यदि आपको बताया गया हो अथवा आपको मालूम हो।

11. उपर्युक्त सभी उत्तर मेरी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार सही है। तथा मैं अपने द्वारा दी गई किसी सूचना में की गई विकृति या किसी संगत जानकारी को छुपाने के लिए कानून के अन्तर्गत किसी भी कार्रवाई का भागी हूंगा। झूठी सूचनाएं देना व किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाना अयोग्यता मानी जाएगी और मुझे सरकार के अन्तर्गत नियुक्ति के लिए अयोग्य माना जाएगा। मेरे सेवाकाल के दौरान किसी भी समय ऐसी कोई जानकारी मिलती है कि मैंने कोई गलत सूचना दी है या किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाया है तो मेरी सेवाएं रद्द कर दी जाएंगी।

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

उपस्थिति में हस्ताक्षर

बोर्ड के अध्यक्ष के हस्ताक्षर

प्रोफार्मा–II

(ख) (उम्मीदवार का नाम)

की शारीरिक परीक्षा या मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट

1. सामान्य विकास सामान्य खराब

पोषण : पतला औसत मोटा

वजन कद (जूते उतार कर)

वजन में हाल में हुआ कोई परिवर्तन

तापमान

छाती का घेर _____

1. पूरा सांस खींचने पर _____

पूरा सांस छोड़ने पर _____

2. त्वचा :—कोई बाहरी बीमारी _____

3. नेत्र :—

(1) कोई बीमारी _____

(2) रतौंधी _____

(3) कलर विजन का दोष _____

(4) दृष्टि के क्षेत्र (फील्ड ऑफ विजन) _____

(5) फंडस की जांच _____

(6) दृष्टि तीक्ष्णता (विजुअल एक्वीटी) _____

(7) त्रिविम संगलन की योग्यता _____

दृष्टि की तीक्ष्णता	चश्मे के बिना	चश्मे से	चश्मे की पावर गोल सिलएकसम
दूर की नजर	दा० ने०		
	बा० ने०		
पास की नजर	दा० ने०		
	बा० ने०		
हाइपरमट्रोपिया	दा० ने०		
(व्यक्त)	बा० ने०		

4. कान निरीक्षण		सूचना
दायां कान	बायां कान	
5. ग्रन्थियां	थाईराइड	

6. दांतों की हालत

7. श्वसन तंत्र (रेसपीरेटर सिस्टम)—का शारीरिक परीक्षण करने पर सांस के अंगों से किसी असमान्ता का पता लगा है। यदि पता लगा है तो असमानता का पूरा ब्यौरा दें—

8. परिसंचरण तंत्र (सरक्यूलेटरी सिस्टम)

(क) हृदय और आंगिक गति (आर्गेनिक लीजर)

गति (रेट)

खड़े होने पर

25 बार कुदाए जाने के बाद

कुदाए जाने के 2 मिनट बाद

(ख) ब्लड प्रेशर सिस्टालिक डायस्टालिक

9. उदर (पेट) घेरा स्पर्श सहायता हर्निया

(क) दबाकर मालूम पड़ना : जिगर, तिल्ली, गुर्दे, ट्यूमर

(ख) रक्तांश भगंदर

10. तंत्रका तंत्र (नर्वस सिस्टम) तंत्रिका या मानसिक अपसामान्यता का संकेत.....

11. चाल तंत्र (लोकोमीटर सिस्टम)

कोई असामान्यता.....

12. जमन मूत्र तंत्र (जैनेटोयूरिनरी सिस्टम).....

हाइड्रोसिल बोरिकोसिल आदि का कोई संकेत :

मूत्र परीक्षा :—

(क) कैसा दिखाई पड़ता है

(ख) उपेक्षित गुरुत्व (स्पेसिफिक ग्रेविटी)

(ग) एल्बुमन

(घ) शक्कर

(ङ) कास्टस

(च) कोशिकाएं (सैल्स)

13. क्या उम्मीदवार के स्वास्थ्य में कोई ऐसी बात है जिससे वह इस सेवा की ड्यूटी को दक्षतापूर्वक निभाने के लिए अयोग्य हो सकता है।

नोट:— महिला उम्मीदवार के मामले में, यदि यह पाया जाता है कि वह 12 सप्ताह अथवा उससे अधिक समय की गर्भिणी है तो उसे अस्थाई रूप से अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए (देखें विनियम 9)।

14. (क) उम्मीदवार परीक्षा कर लिए जाने के किन सेवाओं में कार्य के दक्ष तथा सतत निष्पादन हेतु सभी प्रकार से योग्य पाया गया है और किन सेवाओं के लिए यह अयोग्य पाया गया है।

(ख) क्या उम्मीदवार क्षेत्रगत सेवा के लिए योग्य है।

टिप्पणी 1 :—बोर्ड को अपने जांच परिणाम निम्नलिखित तीन वर्गों में से किसी एक वर्ग में रिकार्ड करना चाहिए।

(i) स्वस्थ

(ii) .....के कारण अस्वस्थ

(iii) .....के कारण अस्थायी रूप से अस्वस्थ

टिप्पणी 2 :—उम्मीदवार की छाती का एक्सरे परीक्षण नहीं किया गया है, इस कारण उपर्युक्त निष्कर्ष अंतिम नहीं है और छाती के एक्स-रे परीक्षण की रिपोर्ट के अध्यधीन है।

अध्यक्ष

स्थान : हस्ताक्षर सदस्य

सदस्य

दिनांक : मेडिकल बोर्ड की मुहर

प्रपत्र.II

उम्मीदवार का कथन/घोषणा

1. अपना नाम लिखें ·

(बडे अक्षरों में).

2. रोल नम्बर ·

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षर

बोर्ड के अध्यक्ष के हस्ताक्षर

मेडिकल बो॰ द्वारा भरे जाने के लिए

टिप्पणी :— बोर्ड को उम्मीदवार की छाती के एक्सरे परीक्षण की जांच रिपोर्ट निम्नलिखित तीन वर्गों में से किसी एक वर्ग के अंतर्गत अपने निष्कर्ष रिकार्ड करना चाहिए।

उम्मीदवार का नाम.....

(i) स्वस्थ

(ii) .....के कारण अस्वस्थ

(iii) .....के कारण अस्थायी रूप से अस्वस्थ

स्थान : अध्यक्ष

हस्ताक्षर सदस्य

सदस्य

॰क : मेडिकल बोर्ड की मुहर

परिशिष्ट—3

इस परीक्षा के आधार पर जिन पदों के लिए भर्ती की जा रही है उनके संबंध में संक्षिप्त विवरण

1.भारतीय भू–विज्ञान सर्वेक्षण

(1) भू-विज्ञानी (कनिष्ठ) ग्रुप क

(क) नियुक्ति के लिए चुने गए उम्मीदवारो को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहना होगा। आवश्यक होने पर यह अवधि बढ़ाई भी जा सकती है।

(ख) परिवीक्षा अवधि के दौरान उम्मीदवार को प्रशिक्षण और शिक्षण का ऐसा कोर्स पूरा करना होगा और ऐसी परीक्षा तथा 'परीक्षण' उत्तीर्ण करने होगे जो सक्षम अधिकारी द्वारा विहित किए जाए।

(ग) भारतीय भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण में निर्धारित वेतनमान :—

(1) भू–विज्ञानी (कनिष्ठ) (कनिष्ठ वेतनमान) रुपए 8,000—275-13,500।

(2) भू–विज्ञानी (वरिष्ठ) (वरिष्ठ वेतनमान) रुपए 10,000-325-15,200।

(3) निदेशक (भू–विज्ञानी)—रुपए 12 000- 375—16,500।

(4) निदेशक (चयन ग्रेड)—रुपए 14,300—400—18,300

(5) उप महानिदेशक/(भू–विज्ञानी)—रुपए 18,400—500—22,400।

(6) वरिष्ठ उप–महानिदेशक—(परिचालन)—रुपए 22,400—525—24,500।

(7) महानिदेशक—रुपए 26,000—(नियत)।

(घ) सरकार द्वारा समय–समय पर संशोधित किए गए भर्ती नियमों के अनुसार विभाग में पदों के उच्चतर ग्रेडों में पदोन्नति की जाएगी।

(ङ) सेवा और अवकाश तथा पेंशन की शर्तें वहीं होगी जो सरकार द्वारा समय–समय पर आशोधित मूल नियमों तथा सिविल सेवा विनियमों में उल्लिखित है।

(च) सरकार द्वारा समय–समय पर आशोधित सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवाए) नियमावली मे उल्लिखित शर्तों के अनुसार भविष्य निधि की शर्त लागू होगी।

(छ) भारतीय भू–विज्ञानी सर्वेक्षण के समस्त अधिकारियो को भारत के किसी भी भाग मे या भारत से बाहर कार्य करना पड़ सकता है।

(2) सहायक भू-विज्ञानी ग्रुप ख

(क) नियुक्ति हेतु चुने गए उम्मीदवारो को [illegible] अवधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया [illegible] यदि आवश्यकता हुई तो यह अवधि बढ़ाई भी जा सकती है।

(ख) परिवीक्षा अवधि के [illegible] उम्मीदवार को प्र[illegible] शिक्षण का ऐसा कोर्स पूरा करना होगा और ऐसी परीक्षा तथा परीक्षण उत्तीर्ण करने होंगे [illegible] अधिकारी द्वारा विहित किए जाए।

(ग) वेतन का निर्धारित वेतनमान [illegible] 10 500।

(घ) भू–विज्ञानी (ग्रुप क—कनिष्ठ वेतनमान) के [illegible] भर्ती अंशत [illegible] लोक सेवा आयोग की [illegible] रीक्षा द्वारा और अंशत सरकार द्वारा समय-[illegible] आशोधित भर्ती [illegible] के अनुसार [illegible] समिति द्वारा [illegible] भू–विज्ञानी [illegible] भू विज्ञानी [illegible]

(ङ) सेवा और अवकाश तथा पेंशन की शर्तें वही [illegible] उल्लेख क्रमश सरकार द्वारा समय समय पर [illegible] आशोधित मूल नियमो तथा सिवि[illegible] किया गया है।

(च) भविष्य निधि की शर्तें [illegible] है जिनका [illegible] सरकार द्वारा समय–समय पर आशोधित [illegible] (केन्द्रीय सेवाएं) नियमावली में किया [illegible]

(छ) सहायक भू–वैज्ञानिकों को भारत मे [illegible] कहीं भी कार्य करना पड़ सकता है।

2. केन्द्रीय भू-जल बोर्ड

(1) **वैज्ञानिक "ख"** (कनिष्ठ जल भू[illegible]) ग्रुप "[illegible]"

(क) **नियुक्ति हेतु** चुने गए उम्मीदवारों को [illegible] **अवधि हेतु** परिवीक्षा पर रखा जाएगा [illegible] **आवश्यकतानुसार** बढ़ाया जा सकता है।

(ख) केन्द्रीय भू–जल बोर्ड विहित वेतनमान।

(1) **वैज्ञानिक "ख"** (कनिष्ठ जल भू-विज्ञानी) [illegible] 275—13,500।

(2) **वैज्ञानिक "ग"** (वरिष्ठ जल–भू विज्ञानी) [illegible] ,000 325—15,200।

(3) वैज्ञानिक घ"—रु० 12,000—375 [illegible]

(4) क्षेत्रीय निदेशक—रु० 14,300—400 -[illegible]

(5) [illegible]—रु० 1[illegible] 400- 500—22,400।

(6) अध्यक्ष—रु० 22,400—525—24,500।

(ग) सरकार द्वारा समय–समय पर आशोधित किए गए भर्ती नियमों के अनुसार विभाग में पदों के उच्चतर ग्रेडों में पदोन्नति की जाएगी।

(घ) सेवा और अवकाश तथा पेंशन की शर्तें वही होंगी जो सरकार द्वारा समय–समय पर आशोधित मूल तथा सिविल सेवा विनियमों में उल्लिखित है।

(ङ) सरकार द्वारा समय–समय पर आशोधित सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय) सेवाएं नियमावली में उल्लिखित शर्तों के अनुसार भविष्य निधि की शर्तें लागू होंगी।

(च) केन्द्रीय भू–जल बोर्ड के समस्त अधिकारियों को भारत के किसी भी भाग में या भारत से बाहर कार्य करना पड़ सकता है।

(2) सहायक जल-भू-विज्ञानी ग्रुप 'ख'

(क) नियुक्ति हेतु चुने गए उम्मीदवारों को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा, यदि आवश्यक समझा गया तो यह अवधि बढ़ाई भी जा सकती है।

(ख) निर्धारित वेतनमान रु० 7500—250—12000 ।

(ग) कनिष्ठ जल–भू–विज्ञानी (ग्रुप 'क') के संवर्ग में भर्ती अंशतः संघ लोक सेवा आयोग की प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा और अंशतः समय–समय पर सरकार द्वारा आशोधित भर्ती नियमों के अनुसार विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा केन्द्रीय भू–जल बोर्ड को सहायक जल–विज्ञानी के निम्न ग्रेड से पदोन्नति द्वारा दी जाएगी।

(घ) सेवा, अवकाश और पेंशन की शर्तें वहीं होंगी जो सरकार द्वारा समय–समय पर आशोधित मूल नियमों तथा सिविल सेवा विनियमों में उल्लिखित हैं।

(ङ) भविष्य निधि की शर्तें वहीं होंगी जो सरकार द्वारा समय–समय पर आशोधित सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवाएं) नियमावली में उल्लिखित हैं।

(च) सहायक जल-भू–विज्ञानियों को भारत में या भारत के बाहर कहीं भी कार्य करना पड़ सकता है।

ऐ० के० भण्डारी
निदेशक

MINISTRY OF MINES

New Delhi, the 26th May, 2001

RULES

No. 4/1/2001-M.II(SM).—The rules for a competitive examination to be held by the Union Public Service Commission in 2001 for the purpose of filling vacancies in the following posts are, with the concurrence of Ministry of Water Resources, published for general information :—

Category I (Posts in the Geological Survey of India, Ministry of Mines).

(i) Geologists (Junior), Group A, and

(ii) Assistant Geologist, Group B.

Category II (Posts in the Central Ground Water Board, Ministry of Water Resources).

(i) Jr. Hydrogeologists (Scientist B), Group A.

(ii) Assistant Hydrogeologist, Group B.

2. A candidate may compete for any one or both the categories of posts for which he is eligible in terms of the Rules. A candidate who qualifies for both the categories of posts on the result of the written part of the examination will be required to indicate clearly in the detailed application form the categories of posts for which he wishes to be considered in the order of preference so that having regard to his rank in order of merit, due consideration can be given to his preference when making appointment.

N.B. (i) No request for addition/alteration in the preferences indicated by a candidate in his detailed application form will be entertained by the Commission.

N.B. (ii) The candidates competing for both the categories of posts will be allotted to the posts strictly in accordance with their merit position, preferences exercised by them and number of vacancies.

3. The number of vacancies to be filled on the results of the examination will be specified in the Notice issued by the Commission.

Reservation will be made for candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, the Other Backward Classes and Physically disabled categories in respect of vacancies as may be fixed by the Government.

Appointment on the results of the examination will be made on a temporary basis in the first instance.

4. The examination will be conducted by the Union Public Service Commission in the manner prescribed in Appendix I to these Rules.

The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Commission.

5. A candidate must be either :—

(a) a citizen of India, or

(b) a subject of Nepal, or

(c) a subject of Bhutan, or

(d) a Tibetan refugee who came over to India, before the 1st January, 1962, with the intention of permanently settling in India, or

(e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, East African countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania, Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia or Vietnam with the intention of permanently settling in India.

Provided that a candidate belonging to categories (b), (c), (d) and (e) above shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India.

A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to the examination but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government of India.

6. (a) A candidate for this examination must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of 32 years on 1st January, 2001 i.e. he must have been born not earlier than 2nd January, 1969 and not later than 1st January, 1980.

(b) The upper age limit will be relaxable upto a maximum of seven years in the case of Government servants, if they are employed in a Department mentioned in Column 1 below and apply for the corresponding post(s) mentioned in column II.

Column I	Column II
Geological Survey of India	Geologist (Junior) Group A Assistant Geologist Group B.
Central Ground Water Board	Jr. Hydrogeologist (Scientist B) Group A Assistant Hydrogeologist Group B.

(c) The upper age limits prescribed above will be further relaxable :—

(i) upto a maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe.

(ii) upto a maximum of three years in the case of candidates belonging to Other Backward Classes who are eligible to avail of reservation applicable to such candidates

(iii) upto a maximum of five years, if a candidate had ordinarily been domiciled in the State of Jammu & Kashmir during the period from the 1st January, 1980 to 31st day of December, 1989

(iv) upto a maximum of three years in the case of Defence Services personnel disabled in operations during hostilities with only foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof

(v) upto a maximum of five years in the case of Ex-servicemen including Commissioned Officers and ECOs/SSCOs who have rendered at least five years of Military Service as on 1st January, 2001 and have been released (i) on completion of assignment including those whose assignment is due to be completed within one year from 1st January, 2001 otherwise than by way of dismissal of discharge on account of misconduct or inefficiency or (ii) on account of physical disability attributable to Military Service or (iii) on invalidment

(vi) upto a maximum of 5 years in the case of ECOs/SSCOs who have completed an initial period of assignment of 5 years of Military service as on 1st January 2001 and whose assignment has been extended beyond 5 years and in whose case the Ministry of Defence issues a certificate that they can apply for civil employment and that they will be released on 3 months notice on selection from the date of receipt of offer of appointment

(vii) upto a maximum of 10 years in the case of blind, deaf-mute and Orthopaedically handicapped persons

[illegible] the Scheduled Castes and the Scheduled [illegible] and the Other Backward [illegible] other clauses [illegible] those coming under the category of Ex-servicemen persons domiciled in the state of [illegible] handicapped etc will be eligible to [illegible] age relaxation under both the categories

The term ex-servicemen will apply to the persons who are defined as ex-servicemen in the Ex-Servicemen (Re-employment in Civil Services and Posts) Rules 1979, as amended from time to time

[illegible] - The age concession under Rule 6(c) (v) and (vi) [illegible] ex-Servicemen and Commissioned Officers including ECOs/SSCOs, who are released on their own request.

Note IV—Notwithstanding the provision of age-relaxation under Rule 6(c) (vii) above, a physical handicapped candidate will be considered to be eligible for appointment only if he/she (after such physical examination as the Government or appointing authority, as the case may be, may prescribe) is found to satisfy the requirements of physical and medical standards for the concerned Services/posts to be allocated to the physically handicapped candidates by the Government.

SAVE AS PROVIDED ABOVE THE AGE LIMITS PRESCRIBED CAN IN NO CASE BE RELAXED.

The date of birth accepted by the Commission is that entered in the Matriculation or Secondary School Leaving Certificate or in a certificate recognised by an Indian University as equivalent to Matriculation or in an extract from a Register of Matriculates maintained by a University which extract must be certified by the proper authority of the University or in the Higher Secondary or an equivalent examination certificate.

No other document relating to age like horoscopes, affidavits birth extracts from Municipal Corporation, Service records and the like will be accepted.

The expression Matriculation/Higher Secondary Examination Certificates in this part of the instructions include the alternative certificates mentioned above.

Note 1 Candidates should note that only the date of birth as recorded in the Matriculation/Secondary Examination Certificate or an equivalent certificate on the date of submission of application will be accepted by the Commission and no subsequent request for its change will be considered or granted

Note 2 Candidates should also note that once a date of birth has been claimed by them and entered in the records of the Commission for the purpose of admission to an Examination, no change will be allowed subsequently (or at any other Examination of the Commission) on any ground whatsoever.

N B.—(i) The candidature of a person who is admitted to the examination under the age concession mentioned in Rule 6(b) above, shall be cancelled, if after submitting his application, he resigns from service or his services are terminated by his department/office, either before or after taking the examination. He will, however, continue to be eligible if he is retrenched from the [illegible] or post after submitting the application

(ii) A candidate who, after submitting his application to his department is transferred to other department/office will be eligible to compete under departmental age concession for the post(s), for which he would have been eligible, but for his transfer, provided his application, duly recommended, has been forwarded by his parent Department.

7. A candidate must have—

(a) Master's degree in Geology or Applied Geology or Marine Geology from a University incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India or other educational Institutes established by an act or Parliament or declared to be deemed as Universities under Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956; or

(b) Diploma of Associateship in Applied Geology of the Indian School of Mines, Dhanbad; or

(c) Master's degree in Mineral Exploration from a recognised University (for posts in the Geological Survey of India only); or

(d) Master's degree in Hydrogeology from a recognised University (for posts in the Central Ground Water Board only).

Note I.—A candidate who has appeared at an examination the passing of which would render him educationally qualified for this examination, but has not been informed of the result, may apply for admission to the examination. A candidate who intends to appear at such a qualifying examination may also apply. Such candidates will be admitted to the examination, if otherwise eligible, but their admission would be deemed to be provisional and subject to cancellation, if they do not produce proof of having passed the requisite qualifying examination alongwith the detailed application form which will be required to be submitted by the candidates who qualify on the result of the written part of the examination.

Note II.—In exceptional cases the Commission may treat a candidate who has not any of the qualifications prescribed in this rule, as educationally qualified provided that he has passed examinations conducted by other institutions, the standard of which in the opinion of the Commission, justifies his admission to the examination.

Note III.—A candidate who is otherwise eligible but who has taken a degree from a foreign University which is not recognised by Government may also apply to the Commission and may be admitted to the examination at the discretion of the Commission.

8. Candidates must pay the fee prescribed in the Commission's Notice.

9. All candidates in Government service, whether in a permanent or in temporary capacity or as work-charged employees, other than casual or daily rated employees, or those serving under Public Enterprises will be required to submit an undertaking that they have informed in writing, their Head of Office/Department that they have applied for the Examination.

Candidates should note that in case of a communication is received from their employer by the Commission withholding permission to the candidates applying for/appearing at the examination, their application will be liable to be rejected/candidature will be liable to be cancelled.

10. The decision of the Commission with regard to the acceptance of the application of a candidate for the examination and his eligibility or otherwise for admission to the examination shall be final.

The candidates applying for the examination should ensure that they fulfil all the eligibility conditions for admission to the Examination. Their admission at all the stages of examination for which they are admitted by the Commission, *viz.* Written Examination and Interview Test, will be purely provisional, subject to their satisfying the prescribed eligibility conditions. If on verification at any time before or after the Written Examination or Interview Test, it is found that they do not fulfil any of eligibility conditions, their candidature for the examination will be cancelled by the Commission.

11. No candidate shall be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Commission.

12. A candidate who is or has been declared by the Commision to be guilty of :—

(i) Obtaining support for his candidature by any means; or

(ii) impersonating; or

(iii) procuring impersonation by any person; or

(iv) submitting fabricated documents or documents which have been tampered with; or

(v) making statements which are incorrect or false, or suppressing material information; or

(vi) resorting to any other irregular or improper means in connection with his candidature for the examination; or

(vii) using unfair means during the examination, or

(viii) writing irrelevant matter, including obscene language or pornographic matter, in the script(s); or

(ix) misbehaving in any other manner in the examination hall; or

(x) harassing or doing bodily harm to the staff employed by the Commission for the conduct of their examination; or

(xi) violating any of the instructions issued to the candidates alongwith their Admission Certificates permitting them to take the examination; or

(xii) attempting to commit or as the case may be, abetting the commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses; may, in addition to rendering himself liable to criminal prosecution be liable—

(a) to be disqualified by the Commission from the examination for which he is a candidate; and/or

(b) to be debarred either permanently or for a specified period—

(i) by the Commission from any examination or selection held by them;

(ii) by the Central Government from any employment under them; and

(c) if he is already in service under Government, to disciplinary action under the appropriate rules.

Provided that no penalty under this rule shall be imposed except after—

(i) giving the candidate an opportunity of making such representation in writing as he may wish to make in that behalf; and

(ii) taking the representation, if any, submitted by the candidate within the period allowed to him into consideration.

13. Candidates who obtain such minimum qualifying marks in the written examination as may be fixed by the Commission in their discretion shall be summoned by them for an interview for a personality test.

Provided that candidates belonging to the Scheduled Castes/Scheduled Tribes or Other Backward Classes may be summoned for an interview for a personality test by the Commission by applying relaxed standards if the Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities are not likely to be summoned for interview for a personality test on the basis of the general standard in order to fill up the vacancies reserved for them.

14. (i) After the interview the candidates will be arranged by the Commission in the order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate and in that order so many candidates as are found by the Commission to be qualified at the examination shall be recommended for appointment up to the number of unreserved vacancies decided to be filled on the results of the examination.

(ii) The candidates belonging to any of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes or the Other Backward Classes may to the extent of the number of vacancies reserved for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and the Other Backward Classes be recommended by the Commission by a relaxed standard, subject to the fitness of these candidates for selection to the services.

Provided that the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and the Other Backward Classes who have been recommended by the Commission without resorting to any relaxations/concessions in the eligibility or selection criteria, at any stage of the examination, shall not be adjusted against the vacancies reserved for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and the Other Backward Classes.

15. The prescribed qualifying standards will be relaxable at the discretion of the Commission at all the stages of examination in favour of physically handicapped candidates in order to fill up the vacancies reserved for them. In case, however, the physically handicapped candidates get selected on their own merit in the requisite number at the qualifying standards fixed by the Commission for General, SC, ST and OBC category candidates, extra physically handicapped candidates i.e. more than the number of vacancies reserved for them, will not be recommended by the Commission on the relaxed standards.

16. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in their discretion and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.

17. Success in the examination confers no right to appointment unless Government are satisfied after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate, having regard to his character and antecedents, is suitable in all respects for appointment to the post.

18. A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the discharge of his duties as an officer of the service. A candidate who after such medical examination as Government or the appointing authority, as the case may be may prescribe,

is found not to satisfy these requirements will not be appointed. Any candidate called for the Personality Test by the Commission may be required to undergo Part I of the medical examination and the candidates who are declared finally successful on the basis of this examination, may be required to undergo Part II of the medical examination. The details of Part I and II of the medical examination are given in the Appendix II to these Rules. Candidates will have to pay a fee of Rs. 16.00 (Rupees sixteen only) to the Medical Board concerned at the time of the Medical Examination.

Note :—In order to prevent disappointment, candidates are advised to have themselves examined by a Government Medical Officer of the standing of a Civil Surgeon before applying for admission to the examination. Particulars of the nature of the medical test to which candidates will be subjected before appointment in Gazetted posts and of the standards required are given in Appendix II. For the disable Ex-Defence Services personnel, the standards will be relaxed consistent with the requirements of the posts.

19. For being considered against the vacancies reserved for them, the physically disabled persons should have disability of Forty per cent (40%) or more. However, such candidates shall be required to meet one or more of the following physical requirements/abilities which may be necessary for performing the duties in the concerned Services/Posts :—

CODE		PHYSICAL REQUIREMENTS
F	1.	Work performed by manipulating (with Fingers)
PP	2.	Work performed by pulling & pushing
L	3.	Work performed by lifting
KC	4.	Worked performed by kneeling and Crouching
B	5.	Work performed by bending
S	6.	Work performed by sitting (on bench or chair)
ST	7.	Work performed by standing
W	8.	Work performed by walking
SE	9.	Work performed by seeing
H	10.	Work performed by hearing/speaking
RW	11.	Work performed by reading and writing.

The functional classification in their case shall be, one or more of the following, consistent with the requirements of the concerned Services/Posts :—

FUNCTIONAL CLASSIFICATION

CODE		FUNCTIONS
BL	1.	both legs affected but not arms.
BA	2.	both arms affected— a. impaired reach b. weakness of grip
BLA	3.	both legs and both arms affected.
OL	4.	one leg affected (R or L) a. impaired reach b. weakness of grip c. ataxic
OA	5.	one arm affected (R or L) —do—
BH	6.	stiff back and hips (cannot sit or stoop).
MW	7.	muscular weakness and limited physical endurance.
B	8.	the blind.
PB	9.	partially blind
D	10.	the deaf
PD	11.	partially deaf.

20. No person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person.

shall be eligible for appointment to service.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

21. Brief particulars relating to the posts to which recruitment is being made through this examination are given in Appendix III.

A.K. BHANDARI
Director

APPENDIX I

1. The examination shall be conducted according to the following plan :—

Part I—Written examination in the subjects as set out in para 2 below.

Part II—Interview for Personality Test of such candidates as may be called by the Commission, carrying a maximum of 200 marks.

2. The following will be the subjects for the written examination :—

	Subject	Duration	Maximum Marks
	1	2	3
(1)	General English	2 hrs.	100
(2)	Geology Paper I	3 hrs.	200
(3)	Geology Paper II	3 hrs.	200
(4)	Geology Paper III	3 hrs.	200
(5)	Hydrogeology	3 hrs.	200

Note :—Candidates competing for posts under both category I and category II will be required to offer all the five subjects mentioned above. Candidates competing for posts under category I only will be required to offer subjects at (1) to (4) above and candidates competing for posts under category II only will be required to offer subject at (1) to (3) and (5) above.

3. THE EXAMINATION IN ALL THE SUBJECTS WILL BE OF CONVENTIONAL (ESSAY) TYPE.

4. All Question Papers must be answered in English. The Question Papers will be set in English only.

5. The standard and syllabus of the examination will be as shown in the Schedule.

6. Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances will they be allowed the help of a scribe to write answers for them.

7. The Commission have discretion to fix qualifying marks in any or all the subjects of the examination.

8. If a candidate's handwriting is not easily legible, deduction will be made on this account from the total marks otherwise accruing to him.

9. Marks will not be allotted for mere superficial knowledge.

10. Credit will be given for orderly, effective and exact expression combined with due economy of words in all subjects of the examination.

11. In the question papers, wherever necessary, questions involving the Metric System of Weights and Measures only will be set.

12. Candidates should use only International form of Indian numerals (e.g. 1, 2, 3, 4, 5, 6 etc.) while answering question papers.

13. Candidates are permitted to bring and use battery operated pocket calculators for answering papers in this examination. Loaning or inter-changing of calculators in the Examination Hall is not permitted.

14. Interview for Personality Test : The candidate will be interviewed by a Board of competent and unbiased observers who will have before them a record of his career. The object of the interview will be to assess his suitability for the posts, for which he has competed. Special attention will be paid in the Personality Test to assessing the candidate's capacity for leadership, initiative and intellectual curiosity, tact and other social qualities, mental and physical energy powers of practical application, integrity of character and aptitude for adapting themselves to the field life.

SCHEDULE

STANDARD AND SYLLABUS

The standard of the paper in General English will be such as may be expected of a science graduate. The papers on geological subjects will be approximately of the M.Sc. degree standard of an Indian University and questions will generally be set to test the candidate's grasp of the fundamentals in each subject.

There will be no practical examination in any of the subjects.

(1) GENERAL ENGLISH

Candidates will be required to write a Short Essay in English. Other questions will be designed to test their understanding of English and workmanlike use of words.

(2) GEOLOGY PAPER I

Section A : Geomorphology and Remote Sensing.

Basic principles. Weathering and soils, Mass wasting. Influence of climate on process. Concept of erosion cycles. Geomorphology of fluvial tracts, arid zones, coastal regions, 'Karst' landscapes and glaciated ranges. Geomorphic mapping, slope analysis and drainage basin analysis. Applications of geomorphology in mineral prospecting, civil engineering, hydrology and environmental studies. Topographical maps. Geomorphology of India.

Concepts and principles of aerial photography and photogrammetry, satellite remote sensing—data products and their interpretation. Digital image processing. Remote sensing in landform and land use mapping, structural mapping, hydrogeological studies and mineral exploration. Global and Indian Space Missions. Geographic Information System (GIS)—principles and applications.

Section B : Structural Geology

Principles of geological mapping and map reading, projection diagrams. Stress-strain relationships of elastic, plastic and viscous materials. Measurement of strain in deformed rocks. Behaviour of minerals and rocks under deformation conditions. Structural analysis of folds, cleavages, lineations, Joints and faults. Superposed deformation. Mechanism of folding and faulting. Time-relationship between crystallization and deformation. Unconformities and basement-cover relations. Structural behaviour of igneous rocks, diapirs and salt domes. Introduction to petrofabrics.

Section C . Geotectonics

Earth and the solar system. Meteorites and other extra-terrestrial materials. Planetary evolution of the earth and its internal structure Heterogeneity of the earth's crust Major tectonic features of the Oceanic and Continental crust. Continental drift—geological and geophysical evidence mechanics, objections, present status Gravity and magnetic anomalies at Mid-ocean ridges, deep sea trenches, continental shield areas and mountain chains Palaeomagnetism Seafloor spreading and Plate Tectonics Island arcs, Oceanic islands and volcanic arcs Isostasy, orogeny and epeirogeny Seismic belts of the earth Seismicity and Plate movements Geodynamics of the Indian plate

Section D . Stratigraphy

Nomenclature and the modern stratigraphic code Radioisotopes and measuring geological time Geological time-scale Stratigraphic procedures of correlation of unfossiliferous rocks Precambrian stratigraphy of India Stratigraphy of the Palaeozoic, Mesozoic and Cenozoic formations of India Gondwana system and Gondwanaland. Rice of the Himalaya and evolution of Siwalik basin Deccan Volcanics. Quatorinary Stratigraphy. Rock record, palaeoclimates and palaeogeography.

Section E · Palaeontology

Fossil record and geological time-scale Morphology and time-ranges of fossil groups. Evolutionary changes in molluscs and mammals in geological time. Principles of evolution. Use of species and genera of foraminifera and echinodermata in biostratigraphic correlation Siwalik vertebrate fauna and Gondwana flora, evidence of life in Precambrian times, different mocrofossil groups and their distribution in India.

(3) GEOLOGY PAPER II

Section A Mineralogy

Physical chemical and crystallographic characteristics of common rock forming silicate mineral groups. Structural classification of silicates Common minerals of igneous and metamorphic rocks Minerals of the carbonate, phosphate, sulphide and halide groups.

Optical properties of common rock forming silicate minerals, uniaxial and biaxial minerals. Extinction angles, pleochrosim biretringence of minerals and their relation with mineral composition. Twinned crystals Dispersion the U-stage

Section B · Igneous and Metamorphic Petrology

Forms, textures and structures of igneous rocks. Silicate melt equilibria, binary and pernery phase diagrams Petrology and geo-ectonic evolution of granites, basalts, andesites and alkaline rocks Petrology of gabbros, kimberlites, anorthosites and carbonatites. Origin of primary basic magmas

Textures and structures of metamorphic rocks. Regional and contact metamorphism of pelitic and impure calcareous rocks Mineral assemblages and P/T conditions Experimental and thermodynamic appraisal of metamorphic reactions Characteristics of different grad[illegible] metamorphism Metasomatism and granitization, Migmatites P[illegible] tectonics and metamorphic zones. Paired metamorphic [illegible]

Section C . Sedimentology

Provenance and diagenesis of sediments Sedimentary textures Framework matrix and cement of terrigenous sediments Definition, measurement and interpretation of grain size. Elements of hydraulics. Primary structures palaeocurrent analysis. Biogenic and chemical sedimentary structures. Sedimentary environment and facies. Facies modelling for marine, non-marine and mixed sediments Tectonics and sedimentation. Classification and definition of sedimentary basins, Sedimentary basins of India. Cyclic sediments. Seismic and sequence stratigraphy Purpose and scope of basin analysis Structure contours and isopach map

Section D : Geochemistry

Earth in relation to the solar system and universe, cosmic abundance of elements. Composition of the planets and meteorites. Structure and composition of earth and distribution of elements. Trace elements. Elementary crystal chemist and thermodynamics Introduction to isotope geochemistry Geochemistry of hydrosphero, biosphere and atmosphere Geochemical cycle and principles of geochemical prospecting.

Section E . Environmental Geology

Concepts and principles. Natural hazards—Preventive/Precautionary measures—floods, landslides, earthquakes, river and coastal erosion. Impact assessment of anthropogenic activities such as urbanization, open cast mining and quarrying, river-valley projects, disposal of industrial and radio-active waste excess withdrawal of ground water, use of fertilizers, dumping of ores, mine waste and fly-ash Organic and inorganic contamination of ground water and their remedial measures. Soil degradation and remedial measures Environment protection—legislative measures in India

(4) GEOLOGY PAPER III

Section A Indian mineral deposits and mineral economics

Occurrence and distribution in India of metalliferous deposits—base metals, iron, manganese, aluminium, chromium, nickel, gold, silver, molybdenum. Indian deposits of non-metals—mica, asbestos, barytes, gypsum, graphite, apatite and beryl. Gemstones, refractory minerals, abrasives and minerals used in glass, fertilizer, paint, ceramic and cement industries. Building stones. Phosphorite deposits. Placer deposits, rare earth minerals.

Strategic, critical and essential minerals. India's status in mineral production. Changing patterns of mineral consumption. National Mineral Policy. Mineral Concession Rules. Marine mineral resources and Law of Sea.

Section B : Ore genesis

Ore deposits and ore minerals. Magmatic processes of mineralisation. Porphry. Skam and hydrothermal mineralisation. Fluid inclusion studies. Mineralisation associated with—(i) ultramafic, mafic and aidic rocks, (ii) greenstone belts, (iii) Komatiites, anorthosites and kimberlites and (iv) submarine volcanism. Magma-related mineralisation through geological time. Stratiform and stratabound ores. Ores and metamorphism—cause and effect relations.

Section C : Mineral exploration

Methods of surface and subsurface exploration, prospecting for economic minerals—drilling, sampling and assaying. Geophysical tehniques—gravity, electrical, magnetic, airbone and seismic. Geomorphological and remote sensing techniques. Geobotanical and geochemical methods. Borehole logging and surveys for deviation.

Section D : Geology of fuels

Definition, origin of coal. Stratigraphy of coal measures. Fundamentals of coal petrology, peat, lignite, bituminous and anthracite coal. Microscopic constituents of coal. Industrial application of coal petrology. Indian coal deposits diagenesis of organic materials.

Origin, migration and entrapment of natural hydrocarbons. Characters of source and reservoir rocks. Structural, stratigraphic and mixed traps. Techniques of exploration. Geographical and geological distributions of onshore and offshore petroliferous basins of India.

Mineralogy and geochemistry of radioactive minerals. Instrumental techniques of detection and measurement of radioactivity. Radioactive methods for prospecting and assaying of mineral deposits. Distribution of radioactive minerals in India. Radioactive methods in petroleum exploration—well logging techniques. Nuclear waste disposal—geological constraints.

Section E : Engineering Geology

Mechanical properties of rocks and soils. Geological investigations for river valley projects—Dams and reservoirs; tunnels—type, methods and problems. Bridges—types and foundation problems Shoreline engineering. Landslides—classification, causes, prevention and rehabilitation. Concrete aggregates—sources, alkali-aggregate reaction. Aseismic designing—seismicity in India and earthquake-resistant structures. Problems of groundwater in engineering projects. Geotechnical case studies of major projects in India.

(5) HYDROGEOLOGY

Section A : Origin, occurrence and distribution of water

Origin of water : meteoric, juvenile, magmatic and sea waters. Hydrologic cycle : precipitation, runoff, infiltration and evapotranspiration. Hydrographs. Subsurface movement and vertical distribution of groundwater. Springs. Clasification of aquifers. Concepts of drainage basin and groundwater basin Hydrological properties of rocks—specific yield, specific retention, porosity, hydraulic conductivity, transmissivity, storage coefficient. Water table fluctuations—causative factors, concept of barometric and tidal efficiencies. Water table contour maps. Classification of rocks with respect to their water bearing characteristics. Hydrostratigraphic units. Groundwater provinces of India. Hydrogeology of arid zones of India, wet lands.

Section B : Well hydraulics and well design

Theory of groundwater flow, Darcy's Law and its applications, determination of permeability in laboratory and in field. Types of wells, drailling methods, construction, design, development and maintenance of wells, specific capacity and its determination. Unconfined, confined, steady, unsteady and radial flow conditions. Pump tests—methods, data analysis and interpretation for hydrogeologic boundaries. Evaluation of aquifer parameters using Thiem, Theis, Jacob and Walton methods. Groundwater modelling—numerical and electrical models.

Section C : Groundwater chemistry

Groundwater quality—physical and chemical properties of water, quality criteria for different uses, graphical presentation of water quality data, groundwater quality in different provinces of India—problems of arsenic and fluoride. Saline water intrusion in coastal and other aquifers and its prevention. Radioisotopes in hydrogeological studies. Groundwater contamination.

Section D : Groundwater exploration

Geological—lithological and structural mapping, fracture trace analysis. Hydrogeological—lithological classification with respect to hydrologic properties. Hydraulic continuity in relation to geologic structures. Location of sprints. Remote sensing—Hydrogeomorphic mapping of the terrain using different images of different satellite missions. Linea-

ment mapping. Shallow groundwater potential zone mapping using satellite images. Surface geophysical methods—seismic, gravity, geo-electrical and magnetic. Subsurface geophysical methods—well logging for delineation of aquifers and estimation of water quality.

Section E . Groundwater problems and management

Groundwater problems related to foundation work, mining, canals and tunnels Problems of overexploitation and groundwater mining. Groundwater development in urban areas and rain water harvesting Artificial recharge methods Groundwater problems in arid regions and remediation. Groundwater balance and methods of estimation. Groundwater legislation Sustainability criteria and managing renewable and nonrenewable groundwater resources.

APPENDIX II

REGULATIONS RELATING TO THE PHYSICAL EXAMINATION OF CANDIDATES

[These regulations are published for the convenience of candidates and in order to enable them to ascertain the probability of their coming upto the required physical standard. The regulations are also intended to provide guidelines to the medical examiners and a candidate who does not satisfy the minimum requirements prescribed in the regulations cannot be declared fit by the medical examiners However, while holding that a candidate is not fit according to the norms laid down in these regulations, it would be permissible for a Medical Board to recommend to the Government of India for reasons specifically recorded in writing that he may be admitted to service without disadvantage to Government.

2(a) It should, however, be clearly understood that the Government of India reserve to themselves, absolute discretion to reject or accept any candidate after considering the report of the Medical Board For the disabled ex-Defence Services Personnel standards will be relaxed consistent with the requirements of the posts.

2(b) The medical examination shall be conducted in two parts, i.e. Part I which shall consist of the entire medical examination which the medical board may prescribe for a candidate, except the Radiographic Examination of the chest (X-ray test) and Part II which shall consist of Radiographic Examination (X-ray test of the chest). The Part II shall be conducted only in respect of the candidates who have been declared finally successful on the basis of the examination.]

1. To be passed as fit for appointment a candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of the duties of his appointment.

2. In the matter of the correlation of age, height and chest girth of candidates of Indian (including Anglo-Indian) race, it is left to the Medical Board to use whatever correlation figures are considered most suitable as a guide in the examination of the candidates, if there be any disproportion with regard to height, weight and chest girth, the candidate should be hospitalised for investigation and X-ray of the chest taken before the candidates is declared fit or not fit by the Board.

However, the X-ray of the chest will be done in respect of only such candidates who are directed to appear before the medical board for Part II of the medical examination.

3. The candidate's height will be measured as follows :— He will remove his shoes and be placed against the standard with his feet together and the weight thrown on the heels and not on the toes or other sides of the feet. He will stand erect, without rigidity and with the heels, calves, buttocks and shoulders touching the standard; the chin will be depressed to bring the vertex of the head-level under the horizontal bar and the height will be recorded in centimetres and parts of a centimetre to halves.

4. The candidate's chest will be measured as follows :— He will be made to stand erect with his feet together and to raise his arms over his hand. The tape will be so adjusted round the chest that its upper edge touches the inferior angles of the shoulder blades behind and lies in the same horizontal plane when the tape is taken round the chest. The arms will than be lowered to hang losely by the side and care will be taken that the shoulders are not thrown upwards or backwards so as to displace the tape. The candidate will then be directed to take a deep inspiration several times and the maximum expansion of the chest will be carefully noted and the minimum and maximum will then be recorded in the centimetres thus 84—89, 86—93.5 etc. In according the measurement's fractions of less than half a centimetre should not be noted.

N.B.—The height and chest of the candidate should be measured twice before coming to a final decision.

5. The candidate will also be weighted and his weight recorded in Kilogram; fraction of half a Kilogram should not be noted.

6. The candidate's eye-sight will be tested in accordance with the following rules. The result of each test will be recorded.

   (i) General :—The candidate's eye will be submitted to a general examination directed to the detection of any disease or abnormality The candidate will be rejected if he suffers from any squint or morbid conditions of eyes, eyelids or continuous structure of such a sort as to render or are likely at a future date to render him unfit for service.

(ii) Visual Acquity —The examination for determining the acuteness of vision includes two tests, one of the distant, the other for near vision Each eye will be examined separately.

There shall be no limit for minimum naked eye vision but the naked eye vision of the candidate shall however, be recorded by the Medical Board or other medical authority in every case as it will furnish the basic information in regard to the condition of the eye

The standard for distant and near vision with or without glasses shall be as follows —

Distant Vision		Near Vision	
Better eye	Worse eye	Better eye	Worse eye
6/9 or 6/6	6/9 or 6/12	0 6	0 8

Note (1)—Total amount of Myopia (including the cylinder) shall not exceed—4.00D. The total amount of Hypermetropia (including the cylinder) shall not exceed 4.00D.

Note (2)—Fundus-Examination : Wherever possible fundus examination will be carried out at the discretion of the Medical Board and result recorded.

Note (3)—Colour vision : (i) The testing of colour vision shall be essential.

(ii) Colour perception should be graded into a higher and a lower grade depending upon the size of the aperture in the lantern as described in the table below :—

	Higher Grade of Colour Perception	Lower Grade of Colour Perception
1. Distance between the lamp and candidate	4.9 metres	4.9 metres
2. Size of aperture	1 3 mm	1 3 mm
3. Time of exposure	5 Sec	5 Sec

For the post of Geologist (Jr) and Assistant Geologist concerning Geological Survey of India and Junior Hydrogeologist and Asstt. Hydrogeologist concerning Central Ground Water Board, the medical standard in regard to colour perception and all other tests relating to eyes will be of high order.

(iii) Satisfactory colour vision constitutes recognition with ease and without hesitation of signal red, signal green and white colours. The use of Ishihara's plates, shown in good light and a suitable lantern like edrige green shall be considered quite dependable for testing colour vision while either of the two tests may ordinarily be considered sufficient, in respect of the services concerned with road, rail and air traffic, it is essential to carry out the lantern test. In doubtful cases where a candidate fails to qualify when tested by only one of the tests both the tests should be employed.

Note (4) . Field of vision—The field of vision shall be tested by the confrontation method. Where such test, gives unsatisfactory or doubtful result the field of vision should be determined on the perimeter.

Note (5) · Night Blindness.—Night blindness need not be tested as a routine but only in special cases. No standard test for the testing of nigh blindness or dark adaptation is prescribed. The Medical Board should be given the discretion to improvise such a rough test, e.g., recording of visual acquity with reduced illumination or by making the candidate recognise various objects in a darkened room after he/she has been there for 20 to 30 minutes. Candidates' own statements should not always be relied upon but they should be given due consideration.

Note (6) : (a) Ocular conditions other than visual acquity—Any organic disease or a progressive reactive error which is likely to result in lowering the visual acquity should be considered as a disqualification

(b) Trachoma—Trachoma unless complicated shall not ordinarily be a cause for disqualification.

(c) Squint.—Where the presence of binocular vision is essential squint even if the visual acquity is of a prescribed standard should be considered as disqualification.

(d) One-eyed persons.—The employment of one-eyed individuals is not recommended.

7 Blood Pressure

The Board will use its discretion regarding Blood Pressure.

A rough method of calculating normal maximum systolic pressure is as follows ·—

(i) With young subjects 15—25 years of age the average is about 100 plus the age.

(ii) With subject over 25 years of age the general rule of 110 plus half the age seems quite satisfactory.

N.B.—As a general rule any systolic pressure over 140 mm and diastolic over 90 mm should be regarded as suspi-

cious and the candidates should be hospitalised by the Board before giving their final opinion regarding the candidate's fitness or otherwise. The hospitalisation report should indicate whether the rise in blood pressure is of a transient nature due to excitement etc. or whether it is due to any organic disease. In all such cases X-ray and electro-cardiographic examinations of heart and blood urea clearance test should also be done as a routine The final decision as to the fitness or otherwise of a candidate will, however, rest with the Medical Board only.

Method of taking Blood Pressure

The mercury manometer type of instrument should be used as a rule. The measurement should not be taken within fifteen minutes of any exercise or excitement Provided the patient and particularly his arm is relaxed, he may be either lying or sitting. The arm is supported comfortably at the patient's side in a more or less horizontal position. The arm should be freed from clothes to the shoulder. The cuff completely deflated, should be applied with the middle of the rubber over the inner side of the arm and its lower edge an inch or two above the bend of elbow. The following turns of cloth bandage should spread evenly over the bag to avoid bulging during inflation.

The brachial artery is located by palpitation at the bend of the elbow and the stethoscope is then applied slightly and centrally over it below, but not in contact with the cuff. The cuff is inflated to about 200 mm Hg. and then slowly deflated. The level at which the column stands when soft successive sounds are heard represents the systolic pressure. When more air is allowed to escape the sounds will be heard to increase in intensity. The level at which the well-heard clear sounds change to soft muffled fading sounds represents the diastolic pressure. The measurements should be taken in fairly brief period of time as prolonged pressure of the cuff is irritating to the patient and will vitiate the readings. Rechecking if necessary, should be done only few minutes after complete deflation of the cuff. (Sometimes as the cuff is deflated sounds are heard at a certain level: they may disappear as pressure falls and re-appear at still lower level. This silent Gap may cause error in readings).

8. The urine passed in the presence of the examiner, should be examined and the result recorded. Where a Medical Board finds sugar present in a candidate's urine by the usual chemical test, the Board will proceed with he examination with all its other aspects and will also specially note any signs or symptoms suggestive of diabetes If except for the glycosuria, the Board finds the candidate conforms to the standard of medical fitness required they may pass the candidate "fit subject to the glycosuria being non-diabetic" and the Board will refer the case to a specified specialist in Medicine who has hospital and laboratory facilities at his disposal. The Medical specialist will carry out whatever examination clinical and laboratory be considers necessary including a standard blood sugar tolerance test and will submit his opinion to the Medical Board, upon which the Medical Board will issue its final opinion "fit" or "unfit". The candidate will not be required to appear in person before the Board on the second occasion To exclude the effects of medication it may be necessary to retain a candidate for several days in hospital under strict supervision

9. A woman candidate who as a result of test [illegible] be pregnant of 12 weeks standing or over [illegible] temporarily unfit till confinement is over [illegible] examined for a fitness certificate six weeks after the date of confinement subject to the [illegible] cate of fitness from a registered medical practitioner

10 The following additional points should be observed :—

(a) that the candidate's hearing in each ear is good and that there is no sign of disease of the ear. In case it is defective the candidate should [illegible] examined by the ear specialist; provided that if the defect in hearing is remediable by operation or by use of a hearing aid candidate cannot be declared unfit on that accounts, provided he/she has no progressive disease in the ear. The following are the guidelines for the medical examining authority in this regard.

1	2
(1)	Marked or total deafness in one ear, other ear being normal.
(2)	Perceptive deafness in both ears in which some improvement is possible by a hearing aid.
(3)	Perforation of tympanic membrane of Central or marginal type.
(4)	Ears with Mastoid cavity subnormal one side/on both sides.
(5)	Persistently discharging ear operated/unoperated.
(6)	Chronic inflammatory/allergic condition of nose with or without bony deformities of nasal septum
(7)	Chronic Inflammatory conditions of tonsils and or Larynx.
(8)	Benign or locally malignant tumours of the E N T.
(9)	Otoscalrosis

(10) Congential defect of ear, nose or throat.

(11) Nasal Poly.

3

Fit for non-technical job if the deafness is upto 30 decible in higher frequency.

Fit in respect of both technical and non-technical jobs if the deafness is up to 30 decible in speech frequencies of 1000 to 4000.

(i) one ear normal other ear perforation of tympanic memberane present Temporarily unfit. Under improved Conditions of Ear Surgery a candidate with marginal or other perforation, in both ears should be given a chance by declaring him temporary unfit and then he may be considered under 4 (ii) below.

(ii) Marginal or attic perforation in both ears—Unfit.

(iii) Central perforation in both ears—Temporarily unfit.

(i) Either ear normal hearing other ear, mastoid cavity Fit for both technical and non-technical jobs.

(ii) Mastoid cavity of both sides, Unfit for technical jobs—Fit for non-technical jobs if hearing improves to 30 decibles in either ear with or without hearing aid.

Temporarily Unfit for both technical and non-technical jobs.

(i) A decision will be taken as per circumstances of individual cases.

(ii) If deviated nasal Septum if present with symptoms temporarily unfit.

(i) Chronic inflammatory conditions of tonsils and or Larynxs Fit.

(ii) Hoarseness of voice of severe degree is present then Temporarily Unfit.

(i) Benign tumours—Temporarily Unfit.

(ii) Malignant Tumour Unfit.

If the hearing is within 30 decibles after operation or with the help of hearing aid—Fit.

(i) If not interfering with functions—Fit

(ii) Stuttering of severe degree—Unit.

Temporarily Unfit

(b) that his speech is without impediment;

(c) that his teeth are in good order and that he/she is provided with dentures where necessary for effective mastication (well filled teeth will be considered as sound);

(d) that the chest is well formed and his chest expansion sufficient; and that his heart and lungs are sound;

(e) that there is no evidence of any abdominal disease;

(f) that it is not ruptured;

(g) that he does not suffer from hydrocele, severe degree of varicocele, varicose veins or piles;

(h) that his limbs, hands and feet are well formed and developed and that there is free and perfect motion of all his joints;

(i) that he does not suffer from any inveterate skin disease;

(j) that there is no congential malformation or defect;

(k) that he does not bear traces of acute or chronic disease pointing to an impaired constitution.

(l) that he bears marks of efficient vaccination; and

(m) that he is free from communicable disease.

11. Radiographic examination of the chest for detecting any abnormality of the heart and lungs, which may not be apparent by ordinary physical examination will be restricted to only such candidates who are declared finally successful at the concerned Geologists' Examination.

The decision of the Chairman of the Central Standing Medical Board (conducting the medical examination of the concerned candidate) about the fitness of the candidate shall be final.

When any defect is found it must be noted in that Certificate and the medical examiner should state his opinion whether or not it is likely to interfere with the efficient performance of the duties which will be required of the candidate.

Note.—Candidates are warned that there is no right of appeal from a Medical Board, special or standing appointed to determine the fitness for the above posts. If, however,

Government are satisfied on the evidence produced before them of the possibility of an error of judgement in the decision of the first Board it is open to Government to allow an appeal to a second Board. Such evidence should be submitted within one month of the date of the communication in which the decision of the first Medical Board is communicated to the candidate otherwise no request for an appeal to a second Medical Board, will be considered.

If any medical certificate is produced by a candidate as a piece of evidence about the possibility of an error of judgement in the decision of the first Board. the certificate will not be taken into consideration unless it contains a note by the medical practitioner concerned to the effect that it has been given in full knowledge of the fact that the candidate had already been rejected as unfit for service by the Medical Board

Medical Board's Report

The following intimation is made for the guidance of the Medical Examiner :—

The standard of physical fitness to be adopted should make due allowance for the age and length of service if any of the candidate concerned.

No person will be deemed qualified for admission to the public service who shall not satisfy Government. or the appointing authority. as the case may be. that he has no disease constitutional affliction or bodily infirmity unfitting him or likely to unfit him for that service.

It should be understood that the question of fitness involves future as well as the present and that one of the main objects of medical examination is to secure continuous effective service and in the case of candidates for permanent appointment to prevent early pension or payments in case of premature death. It is at the same time to be noted that the question is one of the likelihood of continuous effective service and that rejection of a candidate need not be advised on account of the presence of a defect which in only a small proportion of cases is found to interfere with continuous effective service.

A lady doctor will be co-opted as a member of the Medical Board whenever a woman candidate is to be examined.

Candidates appointed to the posts of Geologists (Jr.)/Assistant Geologist and Junior Hydrogeologists/Assistant Hydrogeologists are liable for field service in or out of India. In the case of such a candidate the Medical Board should specifically record their opinion as to his fitness or otherwise for field service.

The report of the Medical Board should be treated as confidential.

In cases where a Medical Board considered that a minor appointment in the Government service, the grounds for rejection may be communicated to the candidate in broad terms without giving minute details regarding the defects pointed out by the Medical Board.

In case where a Medical Board considered that a minor disability disqualifying a candidate for Government service can be cured by treatment (medical or surgical) a statement to that effect should be recorded by the Medical Board.

There is no objection to a candidate being informed of the Boards' opinion to this effect by the appointing authority and when a cure has been affected it will be open to the authority concerned to ask for another Medical Board.

In the case of candidate who are to be declared temporarily 'Unfit', period specified for re-examination should not ordinarily exceed six months at the maximum. On re-examination after the specified period these candidates should not be declared temporarily unfit for a further period but a final decision in regard to their fitness for appointment or otherwise should be given.

(a) Candidate's statement and declaration.

The candidate must make the statement required below prior to his medical Examination and must sign the Declaration appended thereto. His attention is specially directed to the Warning contained in the Note below :—

1. State your name in full (in block letters).....

2. State your age and birth place.....

3. (a) Do you belong to races such as Gorkhas, Garhwalis, Assamese; Nagaland Tribes, etc. whose average height is distinctly lower, Answer 'Yes' or 'No' and if the answer is "Yes" state the name of the race.

(b) Have you ever had small-pox, intermittent or any other fever, enlargement or suppuration of glands, spitting of blood, asthma, heart disease lung fainting attacks, rhematism, appendicitis.

(c) Any other disease or accident requiring confinement to bed and medical or surgical treatment.

4. Have you suffered any form of nervousness due to overwork or anyother cause?

5 Furnish the following particulars concerning your family .—

Father's age if living, and state of health	Father's age at death and cause of death	No. of brothers living, their ages and state of health	No. of brothers dead, their ages and cause of death	Mother's age if living, and state of health	Mother's age at death and cause of death	No. of sisters living, their ages & state of health	No. of sisters dead, their ages & cause of death
1	2	3	4	5	6	7	8

6 Have you been examined by a Medical Board before?

7 If answer to the above is 'Yes' please state that Services/posts you have examined for?

8 Who was the examining authority?

9 When and where was the Medical Board held?

....

10 Results of the Medical Board's examination, if communicated to you or if known ....

11 All the above answers are to the best of my knowledge & belief, true and correct and I shall be liable for action under law for any material infirmity in the information furnished by me or suppression of relevant material information The furnishing of false information or suppression of any factual information would be a disqualification and is likely to render me unfit for employment under the Government If the fact that false information has been furnished or that there has been suppression of any factual information comes to notice at any time during my service, my services would be liable to be terminated

Candidates Signature
Signed in my presence
Signature of the Chairman of the Board

PROFORMA I

Report of the Medical Board on (Name of candidate) physical examination

1 General development . Good ....Fair. .... Poor ....

Nutrition . Thin. .....Average. ....Obese...... ..
Height (without shoes) .... Weight..................

Any recent change in weight...

Temperature ....

Girth of Chest :—

(1) (After full inspiration)..

(2) (After full expiration)..

2. Skin : any obvious disease ....

3 Eyes ....

(1) Any disease......................................

(2) Night blindness......................................

(3) Defect in colour vision................................

(4) Field of Vision......................................

(5) Fundus Examination......................................

(6) Visual Acuity......................................

(7) Ability for stereoscopic vision...... ....

Acquity of vision	Naked eye	with glasses	Strength of glasses Sph. eye Axis
Distant Vision			
RE			
LE			
Near Vision			
RE			
LE			
Hypermetropia (Manifest)			
RE			
LE			

4. Ears : Inspection..................Hearing : Right Ear.......... ....Left Ear....................

5. Glands..................................Thyroid

6 Condition of teeth

7 Respiratory system : Does physical examination reveal anything abnormal in the respiratory organs?

If yes, explain fully.... ....

8 Circulation system..... . .....

(a) Heart and organic lesions..... .....

Rate : Standing... . ...

After hopping 25 times.. ....

2 minutes after hoping..... ....

(b) Blood Pressure : Systolic ....Diastolic

9. Abdomen : Girth..... ....

Tenderness. . . ..

Hernia ....

(a) Palpable Liver..... . ...Spleen

Kidneys.. .... .Tumours

(b) Haemorrhoids.. . ... .Fistula

10. Nervous System : Indications if nervous or mental disabilities., ...

11 Loco Motor System : Any abnormality ....

12. Genito Urinary System Any evidence of Hydrocele, Varicocele, etc.

Urine Analysis .

(a) Physical appearance..... .....

(b) Sp. Gr. . ...

(c) Albumen.. .....

(d) Sugar... ....

(e) Casts.....

(f) Cells..... . . .

13. Is there anything in the health of the candidate likely to render him unfit for the efficient discharge of his duties in the service for which he is a candidate..... .....

Note..—In case of a female candidate, if it is found that she is pregnant of 12 weeks standing or over, she should be declared temporarily unfit vide regulation 9.

.....

.....

14. (a) For which services has the candidate been examined and found in all respects qualified for the efficient and continuous discharge of his duties and for which of them is he considered unfit?

.....

.....

(b) Is the candidate fit for FIELD SERVICE?

Note (I) : The Board should record their findings under one of the following three categories :

(i) Fit..... .....

(ii) Unfit on account of..... .....

(iii) Temporarily unfit on account of..... .....

Note (II) : The candidate has not undergone chest X-RAY test. In view of this, the above findings are not final and are subject to the report on chest X-Ray test.

Place :

Date :

Signature
Chairman
Member
Member
Seal of the Medical Board

PROFORMA II

Candidate's statement/Declaration

1. State your Name :
(in block letter)
Roll No.

Candidate's signature
Signed in my presence
Signature of the Chairman of the Board

To be filled-in by the Medical Board

Note : The Board should record their findings under one

of the following three categories in respect of chest X-ray test of the candidate.

Name of the candidate.....

(i) Fit .....

(ii) Unfit on account of .....

(iii) Temporarily unfit on account of .....

Place :
Date

Signature Chairman
Member
Member
Seal of the Medical Board

APPENDIX III

Brief particulars relating to the posts for which recruitment is being made through this examination.

1. Geological Survey of India

(1) Geologist (Junior) Group A—

(a) Candidates selected for appointment will be appointed on probation for a period of two years which may be extended, if necessary.

(b) During the period of probation the candidates may be required to undergo such course of training and instructions and to pass such examination and tests as may be prescribed by the competent authority.

(c) Prescribed scales of pay in the Geological Survey of India

(i) Geologist (Junior) (Junior Scale)—Rs. 8,000-275-13,500/-.

(ii) Geologist (Senior) (Senior Scale)—Rs. 10,000-325-15,200/-.

(iii) Director (Geology)—Rs. 12,000-375-16,500/-.

(iv) Director (Selection Grade)—Rs. 14,300-400-18,300/-.

(v) Dy. Director General (Geology)—Rs. 18,400-500-22,400/-.

(vi) Sr. Dy. Director General (Operation)—Rs. 22,400-525-24,500/-.

(vii) Director—Rs. 26,000/- (fixed).

(d) Promotions to the higher grade of posts in the Department will be made in accordance with the recruitment rules subject to such modifications as may be made by Government from time to time.

(e) Conditions of service and leave and pension are those described in the Fundamental Rules and Civil Services Regulations respectively, subject to such modifications as may be made by Government from time to time.

(f) Conditions of Provident Fund are those laid down in the General Provident Fund (Central Services) Rules, subject to such modifications as may be made by Government from time to time.

(g) All officers of Geological Survey of India are liable for service in any part of India or outside India—

(2) Assistant Geologist Group B—

(a) Candidates selected for appointment will be appointed on probation for a period of two years which may be extended, if necessary.

(b) During the period of probation the candidates may be required to undergo such course of training and instructions and to pass such examinations and tests as may be prescribed by the competent authority.

(c) Prescribed scale of pay Rs. 6,500-200-10,500/-.

(d) Recruitment to the Cadre of Geologist (Group A—Junior Scale) will be made partly through the Union Public Service Commission competitive examination and partly through D.P.C. by promotion from the next lower grade of Assistant Geologist of the Geological Survey of India in accordance with the recruitment rules subject to such modifications as may be made by Government from time to time.

(e) Conditions of service and leave and pensions are those described in all the Fundamental Rules and Civil Services Regulations respectively, subject to such modifications as may be made by Government from time to time.

(f) Conditions of Provident Fund are those laid down in General Provident Fund (Central Services) Rules subject to such modifications as may be made by Government from time to time.

(g) Assistant Geologists are liable for service anywhere in India or outside India.

2. Central Ground Water Board

(1) Scientist 'B' (Jr. Hg.) Group A—

(a) Candidates selected for appointment will be appointed on probation for a period of two years which may be extended, if necessary.

(b) Prescribed scales of pay in the Central Ground Water Board :—

(i) Scientist 'B' (Jr. Hg.)—Rs. 8,000-275-13,500/-.

(ii) Scientist 'C' (Sr. Hg.)—Rs. 10,000-325-15,200/-.

(iii) Scientist 'D'—Rs. 12,000-375-16,500/-.

(iv) Regional Director—Rs. 14,300-400-18,300/-.

(v) Member—Rs. 18,400-500-22,400/-.

(vi) Chairman—Rs. 22,400-525-24,500/-.

(c) Promotions to the highest grades of posts in the Department will be made in accordance with the recruitment rules subject to such modifications as may be made by Government from time to time.

(d) Conditions of service and leave and pensions are those described in the Fundamental Rules and Civil Services Regulations respectively, subject to such modifications as may be made by Government from time to time.

(e) Conditions of Provident Fund are those laid down in the General Provident Fund (Central Services) Rules, subject to such modifications as may be made by Government from time to time.

(f) All Officers of Central Ground Water Board are liable for services in any part of India or outside India.

(2) Assistant Hydrogeologist, Group B—

(a) Candidates selected for appointment will be appointed on probation for a period of two years which may be extended, if necessary.

(b) Prescribed scale of pay—Rs. 7500-250-12000/-.

(c) Recruitment to the cadre of Scientist 'B' Junior Hydrogeologist (Group A) will be made partly through the Union Public Service Commission competitive examination and partly through D.P.C. by promotions from the next lower grade of Assistant Hydrogeologist of the Central Ground Water Board in accordance with the recruitment rules subject to such modifications as may be made by the Government from time to time.

(d) Conditions of service and leave and pensions are those described in the Fundamental Rules and Civil Services Regulations respectively, subject to such modifications as may be made by Government from time to time.

(e) Conditions of Provident Fund are those laid down in General Provident Fund (Central Services) Rules subject to such modifications as may be made by Government from time to time.

(f) Assistant Hydrogeologist are liable for Service anywhere in India or outside India.

A. K. BHANDARI
Director

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2001
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD, AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2001